प्रश्न शाखा का प्रकाशन

मध्यप्रदेश विधान सभा

(षोडश)

खण्ड-3

फरवरी 2024 से दिसम्बर 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन

(मार्च 2025 सत्र में पटल पर रखा गया)

मध्यप्रदेश विधान सभा

(षोडश)

खण्ड-3

फरवरी 2024 से दिसम्बर 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन

भोपाल

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय 2025

निर्देशन :	श्री ए.पी. सिंह	--	प्रमुख सचिव
संपादन :	श्री अरविन्द शर्मा	--	सचिव
	श्री बीरेन्द्र कुमार	--	अपर सचिव
	श्री रमेश महाजन	--	उप सचिव
	श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा	--	अवर सचिव
	श्री माधव दफ्तरी	--	अवर सचिव
	श्री गोविन्द पण्डा	--	अनुभाग अधिकारी
संकलनकर्ता :	श्री संजीव सराठे	--	सहायक ग्रेड-1
	श्री प्रवीण जैन	--	सहायक ग्रेड-2
	श्री रामगोपाल शुक्ला	--	उप सहायक मार्शल
	श्री मनीष बनोदे	--	सहायक ग्रेड-3

प्रस्तावना

इस संकलन में मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 51 की अपेक्षानुसार **फरवरी 2024 से दिसम्बर 2024 सत्र** में शासन द्वारा जिन प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर दिये गये थे तथा प्रश्नोत्तर सूची मुद्रित होने के पश्चात् विभागों से प्राप्त जिन उत्तरों को सदन में पृथकत: वितरित किया गया था, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है.

प्रश्नों के संदर्भ में शासन द्वारा पूर्व में दी जानकारी को बड़े कोष्ठक में [.....] दर्शाया गया है.

स्थान : भोपाल (म.प्र.)
दिनांक : 03 मार्च, 2025

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

विषय-सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)			पृष्ठ संख्या (3)
1.	फरवरी, 2024 सत्र	--	--	1-14
2.	जुलाई, 2024 सत्र	--	--	15-65
3.	दिसम्बर, 2024 सत्र	--	--	66-94

फरवरी, 2024

दिनांक 8 फरवरी, 2024

महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना

[उच्च शिक्षा]

1. परि.अता.प्र.सं. 2 (क्र. 16) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मण्डला जिला अंतर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं पदस्थ समस्त स्टाफ के नाम पता, कक्षा व मोबाइल नम्बर सहित जानकारी उपलब्ध कराएं? स्टाफ में से कौन-कौन कितने वर्ष से उक्त महाविद्यालय में पदस्थ है? इनकी स्थानांतरण नीति के संबंध में जानकारी प्रदाय करें? **(ख)** विकासखंड घुघरी जिला मण्डला में महाविद्यालय खोलने हेतु विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? तत्सम्बन्धी आदेशों या विभागीय पत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराएं? क्या इस विकासखंड के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु मण्डला या बिछिया जाना पड़ता है? क्या महाविद्यालय न होने से अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन से वंचित रह जाते है? महाविद्यालय खोलने के सम्बंध में प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग को कब-कब पत्र लिखे गए? पत्रों की प्रति उपलब्ध कराएं? आदिवासी बहुल इस विकासखंड में महाविद्यालय खोलने में क्या समस्या है? **(ग)** क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार द्वारा सभी विकासखंड विशेषकर आदिवासी बाहुल्य विकासखंड में एक महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? क्या इस संबंध में कोई नीति बनाई गई है? **(घ)** महाविद्यालय अंजनियाँ एवं मवई में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के संचालन को लेकर शासन स्तर पर क्या प्रक्रिया चल रही है? इस सम्बंध में कब-कब, किस-किस के द्वारा मांग की गई है?

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *मण्डला जिला अंतर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** *गैर शैक्षणिक स्टाफ की विस्तृत जानकारी एवं स्थानांतरण नीति की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार हैं*** *तथा शैक्षणिक स्टाफ की विस्तृत जानकारी एवं स्थानांतरण नीति की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार हैं। (ख)*** *नवीन शासकीय महाविद्यालय खोलने हेतु 20-30 कि.मी. की परिधि में कोई शासकीय महाविद्यालय संचालित नहीं होना चाहिए, यह मापदण्ड निर्धारित है। घुघरी (मण्डला) से 30 कि.मी. की परिधि में शासकीय महाविद्यालय भुआबिछिया संचालित है, जहां पर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय संचालित है। प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गए पत्रों की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है।*** *शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।* ***(ग)*** *जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।* ***(घ)*** *महाविद्यालय अंजनियां एवं मवई में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं को आरंभ किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रचलन में नहीं है। साथ ही विभाग को उक्त महाविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं प्रारंभ*

करने के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं होना पाया गया।] **(क)** मण्डला जिला अंतर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

महाविद्यालयों की जानकारी

[उच्च शिक्षा]

2. ता.प्र.सं. 15 (क्र. 253) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले में उच्च शिक्षा के कितने शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी महाविद्यालय/कॉलेज संचालित हैं? कॉलेज में संचालित कोर्स/विभाग की सूची कॉलेज/महाविद्यालय सहित उपलब्ध कराएं तथा कितने उच्च शिक्षा के कोर्स/विषय संचालित हैं, कितने शेष हैं, की सूची उपलब्ध कराएं। यदि शेष हैं तो शेष कोर्स/विषय कब तक संचालित किए जायेंगे, अवधि बताएं? **(ख)** निजी महाविद्यालयों/कॉलेजों को किन-किन शर्तों पर मान्यता प्रदान की गई है? **(ग)** सतना जिले में कितने छात्र इंजीनियरिंग कोर्स अन्तर्गत अध्ययनरत हैं? यदि छात्र संख्या अधिक है तो जिले में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं खोला जा रहा है? क्यों निजी कॉलेजों को महत्व दिया जा रहा है? **(घ)** शा.स्वा. स्नातकोत्तर एवं इंदिरा गांधी गर्ल्स महाविद्यालय, सतना में विभागवार कितने पद सृजित हैं? कितने पद भरे हैं एवं कितने रिक्त हैं? महाविद्यालयवार, विभागवार विस्तृत सूची उपलब्ध कराएं। **(ड.)** प्रश्नांश (घ) अनुसार यदि पद रिक्त हैं तो क्या रिक्त पदों पर अनुभवी अतिथि विद्वान को नियमित किए जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कब तक नियमित किए जाएंगे? यदि नहीं, तो रिक्त पदों को किस माध्यम से भरा जाएगा? **(च)** महाविद्यालयों/कॉलेजों में नियमित कक्षाओं के संचालन की क्या व्यवस्था है? क्या प्रोफेसरों द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन किया जाता है? यदि हाँ, तो किस पद्धति/प्रणाली से?

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *सतना जिलान्तर्गत शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र"अ" अनुसार है।*** *महाविद्यालयों में संचालित कोर्स/विभाग की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र"ब" अनुसार है। (ख)*** *उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका अनुसार निजी महाविद्यालयों/कॉलेजों को मान्यता दी जाती है।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र"स" अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र"द" अनुसार है। (ड.)*** *जी नहीं। रिक्त पदों की पूर्ति मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र"ई" अनुसार है। (च)*** *महाविद्यालय में नियमित कक्षाओं का संचालन विभागीय निर्देशों एवं विभाग द्वारा जारी अकादमिक कैलेण्डर के अनुरूप किया जाता है। जी हाँ। प्रोफेसर द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुरूप पारंपरिक एवं आधुनिक तकनीक के माध्यम से किया जाता है।*] **(ग)** सतना जिले में इंजीनियरिंग कोर्स के अन्तर्गत 2017 छात्र अध्ययनरत हैं। सतना जिले में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोले जाने हेतु वर्तमान में विभाग की कोई योजना नहीं है। निजी कॉलेजों को महत्व नहीं दिया जा रहा है।

दिनांक 9 फरवरी, 2024

कार्मिक, प्रशासनिक सेवा भर्ती नियमों में सुधार

[सामान्य प्रशासन]

3. परि.अता.प्र.सं. 8 (क्र. 149) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि, म.प्र. शासन के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा भोपाल दिनांक 19 जून 1989 परिपत्र क्र.एफ 3-15/89/9/49 के द्वारा शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा सेवाभर्ती नियमों के प्रकरणो में बहुत अधिक विलंब किये जाने के तथ्य को शासन के ध्यान में लाया गया था? यदि हाँ, तो शासन द्वारा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) 1965 के नियम 3 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक से कर्तव्यपरायण रहने की अपेक्षा कि गई थी तथा प्रकरण में विलंब होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान था। यदि हाँ, तो बैठक दिनांक तक कितने अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई वर्षवार नाम, पद एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण सहित सूची देवें। **(ख)** विगत 02 वर्षों में कार्मिक प्रशासनिक सुधार हेतु विभाग द्वारा कितने निर्देश जारी किये गये एवं निर्देशों के उल्लंघन पर क्या कार्यवाहियाँ कि गई? विभाग के निर्देशों एवं परिपत्रों की पुस्तिका की प्रतियाँ वर्षवार देवें। **(ग)** क्या गोपनीय चरित्रावली सी.आर.चैनल के अनुसार लिखे जाने से पूर्व प्रतिवेदक स्वीकारकर्ता एवं समीक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्ति की कर्तव्य परायणता का मूल्यांकन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार के अन्तर्गत किया जाता है? यदि हाँ, तो सी.आर.लिखने के नियम एवं कार्य प्रणाली की जानकारी देवें। **(घ)** कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विगत 02 वर्षों में कितने भारतीय प्रशासनिक एवं राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों की मानिटरिंग की है? निरीक्षण प्रतिवेदन की वर्षवार संकलित रिपोर्ट देवें।

मुख्यमंत्री : [***(क)*** *जी हाँ। शेषांश* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-क अनुसार।*** *शेषांश* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)*** *जी हाँ। नियम निर्देश* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ख अनुसार। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** एवं **(ख) की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार (घ)** शेष उत्तरांश "क", "ख" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 13 फरवरी, 2024

गुना बस दुर्घटना में पीड़ितों को क्लेम राशि का भुगतान

[नगरीय विकास एवं आवास]

4. अता.प्र.सं.125 (क्र. 1525) श्री हरीसिंह सप्रे : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दुर्घटना के समय नगरपालिका गुना के वाहन शाखा (फायर ब्रिगेड) के प्रभारी, उपयंत्री द्वारा फायर ब्रिगेड रेडी एंड फिट कंडीशन में न रखने और लापरवाही बरतने के लिए उक्त

उपयंत्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई तो क्यों? यदि की जाएगी तो कब तक? **(ख)** तत्कालीन आरटीओ द्वारा बरती गई आपराधिक लापरवाही के लिए क्या उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** दुर्घटना में मृतक के परिजनों और घायलों को क्लेम की राशि मिल सके इसके लिए शासन द्वारा क्या प्रबंध किए गए हैं?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क)*** *नगर पालिका परिषद् गुना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दुर्घटना के समय फॉयर बिग्रेड रेडी एवं फिट कंडीशन में थी इसलिये इस बाबत् कोई लापरवाही बरतने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ***(ख)*** *एवं* ***(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(ख)** परिवहन विभाग द्वारा तत्कालीन आर.टी.ओ. को अपने पदीय कार्यों में लापरवाही बरती जाने के कारण आयुक्त, ग्वालियर संभाग के आदेश दिनांक 28.12.2023 के द्वारा निलंबित किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 3325 दिनांक 12.01.2024 के द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से सड़क दुर्घटना में मृत 11 व्यक्तियों के वैध वारिसों को 4.00 लाख रूपये प्रति व्यक्ति के मान से कुल राशि रू. 44.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो कार्यालय कलेक्टर, जिला गुना के आदेश क्रमांक 90/लेखा/6-17/2023 दिनांक 16.01.2024 के द्वारा मृतक व्यक्तियों के वैध वारिसों के बैंक खाते में जमा करा दी गई है।

<u>दिनांक 14 फरवरी, 2024</u>

आदिवासी क्षेत्रों से पलायन रोकने की योजना

[जनजातीय कार्य]

5. अता.प्र.सं.12 (क्र. 331) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आदिवासी क्षेत्रों से हो रहे अनचाहे पलायन का डाटा शासन इकट्ठा नहीं करती है और न ही पलायन की समीक्षा करती है? यदि हाँ, तो क्यों, यदि नहीं, तो धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ जिले के पलायन का ग्रामवार डाटा उपलब्ध कराएं। **(ख)** क्या सरकार ऐसी योजना बनाएगी जिसमें मजदूरों के पलायन संबंधी सभी डाटा ग्रामपंचायत स्तर पर इकट्ठा कर पलायन रोकने के लिए कोई ठोस योजना बनाई जाए। यदि हाँ, तो कब तक। यदि नहीं, तो क्यों। **(ग)** वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक विभाग को ट्राइबल सब-प्लान से किन-किन मदों में कितनी राशि आवंटित की गई? उक्त राशि कहां खर्च की गई? **(घ)** आदिवासी क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए प्रश्नकर्ता ने विगत पांच वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं विभाग को कब-कब पत्र लिखकर क्या-क्या सुझाव दिए? उन पर क्या कार्यवाही की गई? (ङ) विगत चार वर्षों में आदिवासी क्षेत्रों में पलायन रोकने हेतु कितने विशेष शिविरों का आयोजन किया गया, कितने आदिवासियों को रोजगार मिला? शिविरवार रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का ब्यौरा देवें। **(च)** आदिवासियों के पलायन रोकने

एवं रोजगार देने हेतु किन-किन विभागों/संस्थाओं के माध्यम से कितने विशेष शिविरों का आयोजन कराने की योजना है, ब्यौरा देवें। यदि नहीं, तो क्यों?

जनजातीय कार्य मंत्री : [***(क) से(च) जानकारी एकत्रित की जा रही है/*** **]** **(क)** आदिवासी क्षेत्रों में हो रहे पलायन से संबंधित जानकारी विभाग द्वारा संचालित नहीं की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जानकारी संलग्न परिशिष्ट एक अनुसार है। टाईबल सब प्लान में प्रावधानित राशि जनजाति वर्ग के हितार्थ सामुदायिक, हितग्राही मूलक, परिवार मूलक एवं अधोसंरचनात्मक कार्यों पर व्यय की गई। **(घ)** से **(च)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

आदिवासियों को परंपरागत वन अधिकार पत्र (पट्टा) दिया जाना

[जनजातीय कार्य]

6. अता.प्र.सं.104 (क्र. 1715) श्री मोंटू सोलंकी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वानी जिले में वन अधिकार अधिनियम के तहत कितने दावे स्वीकृत किये गए एवं कितने दावे अस्वीकृत किये गए है? व्यक्तिगत दावे के नाम, ग्रामवार उपलब्ध करावें। **(ख)** बड़वानी जिले में कितने सामुदायिक दावों का वितरण किया गया है? ग्रामवार सूची उपलब्ध करवाएं। **(ग)** वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 13 (3) के अनुसार अगर कोई दस्तावेज में कमी पेशी होने पर गाँव के वरिष्ठ के कथन अनुसार दिया जाना था इस प्रकार के कितने व्यक्तिगत दावे दिए गये है? जानकारी दें। **(घ)** बड़वानी जिले में निरस्त दावे किन नियम के तहत किए गए है निरस्त किये है तो निरस्त के दावे की सूची व नियम उपलब्ध करावें। **(ड.)** आदेश क्रमांक वन अधिनियम 08/1047 दिनांक 10 जून, 2008 के अनुसार बड़वानी जिले के राजस्व ग्राम के निस्तार पत्रक एवं अधिकार अभिलेख में दर्ज बड़े झाड़ छोटे झाड़ के जंगल मत की जमीनों से संबंधित ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को प्रदाय की गई जानकारी के प्रति उपलब्ध करवाएं। **(च)** भू राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में बताई गई दखल रहित भूमियों को वन विभाग के वर्किंग प्लान पीएफ एरिया रजिस्टर में शामिल किए जाने की दी गई अनुमति आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं।

जनजातीय कार्य मंत्री : [***(क)*** *बड़वानी जिले में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार*** *25, 127 दावे स्वीकृत तथा* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार*** *3242 दावे निरस्त किये गये है।* ***(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार*** *है।* ***(ग)*** *वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 13 अनुसार व्यक्तिगत दावे विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर स्वीकृत किये गये है, मात्र किसी एक साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत प्रकरणों का वर्गीकरण नहीं किया गया है।* ***(घ)*** *अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, वन अधिकारों की मान्यता 2008 एवं संशोधन नियम 2012 के प्रावधान* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार*** *दावे निरस्त किये गये है।* ***(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (च)*** *प्रश्नांकित दखल रहित भूमियों को वनमण्डल बड़वानी के वर्किंग प्लान पीएफ ऐरिया रजिस्टर में शामिल नहीं की गई है। अत: शेष*

प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।] **(इ.)** म.प्र. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पत्र क्र./वन.अधि./08/1047, भोपाल, दिनांक 10 जून 2008 के अनुसार बड़वानी जिले के राजस्व ग्राम के निस्तार पत्रक एवं अधिकार अभिलेख में दर्ज बड़े झाड़, छोटे झाड़ के जंगल मंद की जमीनों से संबंधित जानकारी राजस्व विभाग द्वारा ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को प्रदान नहीं की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है।**

सहरिया जनजाति योजनाओं की जानकारी

[जनजातीय कार्य]

7. अता.प्र.सं.111 (क्र. 1734) श्री सुरेश राजे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र डबरा शहर का वार्ड 23 स्थित आदिवासी दफाई सुगरमिल, छोले की दफाई, वार्ड 29 स्थित बरोठा दफाई, महाराजपुर दफाई, सिरोल दफाई, छीमक दफाई, में लभगग 100 वर्ष पूर्व से सहरिया अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार निवासरत हैं कुछ परिवारों की इन्द्रावास बनी है तथा कुछ स्थानों पर हैंडपंप एवं विद्युत पोल लगाकर प्रकाश व्यवस्था है किन्तु इन्हें "प्रधानमंत्री आवास योजना" के तहत आवास पट्टा नहीं देने के कारण आवास स्वीकृत नहीं होने से झोपडी में रहना पड़ रहा है । जिन्हें आवास पट्टा देकर कब तक आवास दिए जायेंगे? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या यह सत्य है की उक्त आदिवासी बस्तियों में निवासरत परिवारों के पूर्वज को सुगरमिल डबरा की स्थापना के समय शासन द्वारा गन्ना उत्पादन हेतु लीज पर दी कृषि भूमि में कार्य करने हेतु इन्हें बसाया गया तब से यह दफाइयों में निवासरत हैं। गत 10 वर्ष पूर्व डबरा सुगरमिल बंद होकर सम्पूर्ण सामग्री/मशीन विक्रय हो चुकी हैं तथा 05 वर्ष पूर्व सुगरमिल डबरा को लीज पर दी गई भूमि की अवधि पूर्ण होने से लीज समाप्त हो गई है ऐसी स्थिति में कृषि फार्मों की दफाइयों पर निवासरत परिवारों को कब तक आवास पट्टा दिया जाकर स्वीकृत किये जायेंगे?

जनजातीय कार्य मंत्री : [***(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** प्रश्नाधीन भूमि का विवाद न्यायालय में प्रचलित होने के कारण भूमि अधिकार पट्टा देने एवं आवास उपलब्ध कराने के संबंध में समय सीमा बताई जाना संभव नहीं है। **(ख)** उत्तरांश (क) अनुसार समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

प्रशिक्षण राशि का दुरूपयोग

[जनजातीय कार्य]

8. परि.अता.प्र.सं. 126 (क्र. 1875) श्री देवेन्द्र पटेल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या केन्द्र सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा मार्च 2020 में मध्यप्रदेश के 52 जिलों के पंचायतराज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के प्रोजेक्ट के लिये 8 करोड़ 42 लाख रूपये दिये थे? **(ख)** क्या इस राशि को सभी जिलों के पंचायतराज प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में खर्च न कर केवल तीन जिलों में खर्च किया दिखाकर करोड़ों की राशि की हेरा-फेरी की गई है? **(ग)** क्या इस अनियमितता की जांच के लिये जांच कमेटी बनाई गई है? यदि हाँ, तो कब और इसमें किस-किस

अधिकारी को शामिल किया गया है? **(घ)** क्या उक्त जांच कमेटी ने निर्धारित समय में अपनी जांच रिपोर्ट दे दी है? यदि हाँ, तो जांच के निष्कर्ष क्या है? यदि अभी तक जांच कमेटी का प्रतिवेदन अप्राप्त है तो क्यों?

जनजातीय कार्य मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी हाँ। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक एवं "दो" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार** है। **(घ) जांच समिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार।** जॉच समिति दिनांक 12.07.2023 द्वारा गठित है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>दिनांक 15 फरवरी, 2024</u>

सहकारी सेवा केन्द्र विकसित किया जाना

[सहकारिता]

9. अता.प्र.सं.13 (क्र. 573) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश में प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं (लेम्स) में बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्र विकसित किये जाने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश के किन-किन जिलों में सहकारी साख संस्थाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्र विकसित किया गया है? सूची उपलब्ध करावे। **(ख)** प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थायें (लेम्स) में बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्र विकसित किये जाने की नियमावली क्या है तथा किन-किन शर्तों के तहत बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्र विकसित की जाती है तथा इन केन्द्रों के माध्यम से कौन-कौन से कार्य किये जाते है, इनसे क्षेत्र में एवं जनमानस को क्या-क्या लाभ होता है? **(ग)** क्या अनूपपुर जिले में भी प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थायें (लेम्स) में बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्र विकसित किया गया है? यदि हाँ, तो कहां-कहां सेवा केन्द्र संचालित है तथा इन्हें नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के शासन स्तर से क्या प्रावधान है तथा इन्हें कहां-कहां भूमि उपलब्ध कराई गई है? **(घ)** क्या अनूपपुर जिले बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्रों को विकसित किये जाने हेतु शासन स्तर से कितनी राशि स्वीकृत की गयी है तथा उनकी उपयोगिता कहां-कहां की गई है? क्या बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्रों के लिये समितियों का गठन किया गया यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध करावें। **(ड.)** क्या जिला अनूपपुर में बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्रों के संचालन के संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं विधायकों को जानकारी समय-समय पर दी जाती है यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो कब-कब दी गई?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** बहुउद्देशीय वाणिज्यिक कृषक सेवा केन्द्रों के निर्माण के संबंध में नियमावली व शर्तों के संबंध में दिशा-निर्देश पृथक से जारी नहीं है। बहुउद्देशीय

ग्रामीण वाणिज्यिक केन्द्रों प्रस्तावित केन्द्र में 02 कव्हर्ड आक्शन, 02 ओपन आक्शन प्लेटफार्म, 04 सेण्ड्रीशाप, पार्किंग, चेकपोस्ट, ऑफिस सह रेस्ट हाउस सह अतिरिक्त बैंक काउण्टर, जल व्यवस्था एवं पक्का प्रांगण इत्यादि अधोसंरचना निर्मित किये जाने का उल्लेख है। इन अधोसंरचनाओं से केन्द्र पर आने वाले कृषकों एवं अन्य व्यक्तियों को उक्त सुविधाएं प्राप्त होगी। **(ग)** जी हाँ। म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग रीवा द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार अनूपपुर जिले में कोहका, राजेन्द्रग्राम एवं मीडियारास अनूपपुर में बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्रों का निर्माण कराया गया है, जिनमें से कोहका एवं राजेन्द्र ग्राम बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्र सहकारिता विभाग को हस्तांतरित कर दिये गये है एवं मीडियारास, अनूपपुर बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्रों का निर्माण कार्य अपूर्ण है। कोहका एवं मीडियारास केन्द्रों हेतु शासन द्वारा शासकीय भूमि उपलब्ध करायी गयी है। **(घ)** म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग रीवा द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार अनूपपुर जिले में बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्र कोहका, राजेन्द्रग्राम हेतु राशि रू. 137.958 लाख एवं मीडियारास, अनूपपुर हेतु राशि रू. 148.370 लाख की राशि स्वीकृत की गई। जिनमें से कोहका केन्द्र के निर्माण में स्वीकृत संपूर्ण राशि का एवं मीडियारास केन्द्र के निर्माण में राशि रू. 122.35 लाख का उपयोग किया गया है। बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्रों हेतु पृथक से समितियों का गठन नहीं किया गया है। **(ड.)** बहुउद्देशीय कृषक सेवा केन्द्रों के संचालन के संबंध में माननीय विधायकों द्वारा जानकारी चाही जाने पर प्रदान की जाती है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जानकारी दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट के निर्माण की अनुमति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

10. अता.प्र.सं.44 (क्र. 1333) श्री मोंटू सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वानी, खरगोन, धार, इंदौर जिले की सीमा से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे क्रमांक 3 में कुल कितनी ग्राम पंचायत का क्षेत्र आता है उन ग्राम पंचायत के नाम, देवें? **(ख)** प्रश्नांश (क) की ग्राम पंचायत क्षेत्रों में हाईवे किनारे पर कुल कितने होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, मैरेज गार्डन निर्मित है उनके नाम बतावे और किस सक्षम अधिकारी के द्वारा उनकी निर्माण अनुमति जारी की गई है उनके नाम, पदनाम, एवं निर्माण अनुमति आदेश की प्रति देवें? **(ग)** बड़वानी और इंदौर जिले में हाईवे किनारे कितने दबंगों के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है और उस पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित है? उनके नाम बताएं और प्रशासन कब तक कार्यवाही करेगा? **(घ)** प्रश्न के उत्तर में उल्लेखित व्यवसायों के द्वारा नियमानुसार प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत को शुल्क जमा किया जाता है या नहीं, हाँ तो वर्ष 2022-23 एवं 23-24 की शुल्क जमा रसीद की प्रति बड़वानी जिले के संदर्भ में देवें?

पंचायत मंत्री : [***(क) से(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है, बड़वानी जिले के संबंध में रसीद पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार है।**

निजी महाविद्यालय को मान्यता दिये जाने के प्रावधान

[उच्च शिक्षा]

11. परि.अता.प्र.सं. 71 (क्र. 1863) श्री राजेन्द्र भारती : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दतिया एवं मुरैना जिले में जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता दिये जाने का क्या प्रावधान है? इसके नियम/निर्देशों का उल्लेख करें। उक्त संचालित कॉलेजों में प्राचार्य तथा स्टॉफ नियुक्त करने की क्या प्रक्रिया है? कृपया उल्लेख करें। **(ख)** क्या उक्त प्राइवेट कॉलेजों में मुरैना जिला के सबलगढ़ में शिवशक्ति कॉलेज भी संचालित हो रहा है? यदि हाँ, तो उक्त कॉलेज कब से संचालित हो रहा है? कृपया संचालन करने वाली समिति एवं स्टाफ एवं प्राचार्य के नाम का उल्लेख करें। क्या जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा पत्र कमांक एफ/ संबद्धता/2012/5656 दिनांक 13/12/2012, पत्र कमांक, एफ/संबद्धता/2013/1194 दिनांक 24/01/ 2014, क्रमांक एफ/संबद्धता/2015/2603 दिनांक 16/10/2015, पत्र क्रमांक एफ/संबद्धता/2017/5101 दिनांक 30/08/2017, क्रमांक एफ/संबद्धता/2018/5675 दिनांक 14/08/2018, क्रमांक एफ/संबद्धता/ 2019/6513 दिनांक 09/10/2019. क्र. एफ/संबद्धता/2020/6827 दिनांक 08/10/2020, क्रमांक एफ/ संबद्धता/2021/8506 दिनांक 07/11/2021, क्रमांक एफ/संबद्धता/2022/9401 दिनांक 09/02/2023 क्रमांक द्वारा अधिसूचना जारी कर संबद्धता कुलसचिव द्वारा प्रदान की जाती रही है? यदि हाँ, तो संबद्धता देने वाले कुलसचिव कौन-कौन रहे हैं? कृपया नाम/पद एवं पता, कार्यकाल की जानकारी प्रदान करें। क्या उक्त कॉलेज में जीवाजी विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर सामान्य कोर्स के कॉलेजों की सूची में सरल कमांक 107 पर उक्त महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर डॉ. अरूण शर्मा का नाम दर्ज है? यदि हाँ, तो क्या उक्त प्राचार्य द्वारा जीवाजी विश्वविद्यालय को अपने पत्र से INWARD 240 दिनांक 06/06/2023, का, INWARD 181 दिनांक 18/05/2023 द्वारा सूचित कर लेख किया गया कि उक्त प्राइवेट कॉलेज अस्तित्व में है ही नहीं इसलिये उसका प्राचार्य पद से नाम विलोपित किया जाये तथा संबंधितों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये? यदि हाँ, तो उक्त पत्र के संदर्भ में जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा क्या कानूनी कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो की गई कानूनी कार्यवाही का उल्लेख करें। यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** दतिया जिला में कितने प्राइवेट कॉलेज संचालित हैं? कृपया नाम/पता सहित संपूर्ण विवरण दें। क्या उक्त कॉलेजों में भवन स्टाफ/फर्नीचर/उपकरण आदि उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो कृपया प्रतिवर्ष उक्त भवनों का शासन एवं जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया है? यदि हाँ, तो क्या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो वर्ष 2020 प्रश्न दिनांक तक किये गये निरीक्षण की प्रतिवेदन एवं मान्यता की प्रति उपलब्ध करायें। उल्लेखित दतिया कॉलेजों में स्टाफ नियुक्त करने के क्या-क्या मापदण्ड हैं? कृपया मापदण्ड सहित समस्त कॉलेजो की स्टाफ की जानकारी तथा उनके उपस्थिति पत्रक, वेतन पत्रक एवं बैक खातों में डाली गई राशि, कैशबुक सहित उपलब्ध करायें। क्या उक्त कॉलेजो में अध्ययनरत एस.सी, एस.टी. एवं ओ.बी.सी. के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप (वजीफा) दिया जाता है? यदि हाँ, तो उसके क्या नियम प्रक्रिया है तथा उक्त कॉलेज को कितनी-कितनी राशि वर्ष 2020 से 2023 तक दी गई है? कृपया वर्षवार कॉलेज की अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करायें।

उच्च शिक्षा मंत्री : [*(क) जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा परिनियम 27 के अन्तर्गत महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जाती है तथा परिनियम 28 के अन्तर्गत अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य तथा स्टॉफ को नियुक्त करने की प्रक्रिया संपादित की जाती है।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट'अ' अनुसार है।*** *(ख) जी हाँ। अशासकीय शिवशक्ति महाविद्यालय 2011 से संचालित है। महाविद्यालय का संचालन भैरव शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, सुन्हेरा रोड़, सबलगढ़, मुरैना द्वारा किया जाता है। प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति कार्य परिषद् से अनुमोदित नहीं होने के कारण शून्य घोषित की जा चुकी है। जी हाँ। प्रश्न में निहित अधिसूचना जारी कर कुलसचिव द्वारा संबद्धता प्रदान की गई है। संबद्धता देने वाले कुलसचिव के नाम इत्यादि की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट'ब' अनुसार है।*** *जीवाजी विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर सामान्य कोर्स की सूची प्रदर्शित नहीं है, अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। श्री अरूण शर्मा के पत्र आवक क्र. 240 दिनांक 06.06.2023 एवं आवक क्र. 181 दिनांक 18.05.2023 द्वारा प्रस्तुत पत्रों पर विश्वविद्यालय स्तर से जांच समिति का गठन किया गया है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट'स' अनुसार है।*** *(ग) दतिया जिले में 26 प्राइवेट कॉलेज संचालित हैं, शेष* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट'द' अनुसार है।***] **(ग) शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है।**

कोल्ड स्टोरों में भण्डारित महुआ पर मंडी शुल्क की वसूली

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

12. अता.प्र.सं.119 (क्र. 1926) श्री उमंग सिंघार : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश की किस-किस मंडी क्षेत्र में कितने कोल्ड स्टोर कब से स्थापित है? पृथक-पृथक विवरण नाम, मालिक का नाम, पता सहित विवरण दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के कोल्ड स्टोरों में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितना महुआ भण्डारित था? पृथक-पृथक मात्रात्मक विवरण दें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के अनुसार भण्डारित मात्रा पर कितना मंडी शुल्क देय था कितना किस-किस से क्रेता से वसूल किया गया, कितना शेष है तथा उक्त भण्डारित महुआ की निकासी के लिए अनुज्ञा पत्र लिए गए, कितनी मात्रा बिना अनुज्ञा के निकासी की गई पृथक-पृथक विवरण दें? **(घ)** प्रदेश की किस-किस मंडी के प्रांगण में महुआ की नीलामी होती है। केवल नाम बताएं, मंडी शुल्क महुआ पर मंडी अधिनियम 19 (2) या 19 (4) के तहत कहां-कहां वसूल किया गया है। इस विषय में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उस पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतवार विवरण दें।

किसान कल्याण मंत्री : [*(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार है।** मंडी शुल्क की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ई" अनुसार है।** प्राप्त शिकायतों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "फ" अनुसार है।** जिन पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

दिनांक 16 फरवरी, 2024

प्रदेश में बढ़ते अपराधों की जानकारी

[गृह]

13. परि.अता.प्र.सं. 70 (क्र. 2049) श्री पंकज उपाध्याय : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर संभाग में वर्ष 2018 से 2023 तक महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनूसूचित जनजाति पर घटित अपराधों की शीर्षवार सूची जिलेवार, वर्षवार देवें तथा बतावें कि तीनों कैटेगरी में किस-किस शीर्ष में 2018 की तुलना में 2023 में कितने प्रतिशत वृद्धि तथा कमी हुई? **(ख)** वर्ष 2018 से 2023 तक ग्वालियर संभाग में नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे, मुख्य जिला मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग अनुसार घटित सड़क दुर्घटना, मृतक एवं घायल की संख्या वर्षवार बतावें। वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटना, मृतक की संख्या तथा घायलों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? **(ग)** वर्ष 2018 से 2023 तक माह दिसम्बर अनुसार बतावें कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय में पुलिस द्वारा संस्थित तथा अन्य विभाग द्वारा संस्थित कितने-कितने प्रकरण लंबित हैं? **(घ)** ग्वालियर संभाग में वर्ष 2018 से 2023 तक महिलाओं, अनु. जनजाति तथा घटित अपराधों पर शीर्षवार विभिन्न न्यायालयों में फैसले में सफलता का प्रतिशत क्या है? वर्षवार, शीर्षवार बतावें। **(ड.)** ग्वालियर संभाग में 2018 से 2023 तक कितने पुलिस अधिकारियों एवं सरकारी कर्मचारियों पर ड्यूटी के दौरान अपराधियों द्वारा हमला, हत्या, मारपीट, घायल के कितने प्रकरण दर्ज हुए? कितनों को आरोपी बनाया गया और उन पर क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री : [***(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार।*** *शेष भाग की* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'य' अनुसार। (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'र' अनुसार।*** **] (ग)** शेष भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट (द)-1 एवं (द)-2 अनुसार** है।

जी.एस.टी. एवं आयकर टी.डी.एस. की जानकारी

[वाणिज्यिक कर]

14. अता.प्र.सं.116 (क्र. 2196) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिला पंचायत द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाली जनपद पंचायतों को जी.एस.टी. एवं आयकर टी.डी.एस. पंजीकरण एवं अनुपालन हेतु निर्देशित किया है या नहीं? **(ख)** सिवनी जिला के अंतर्गत कुल कितनी ग्राम पंचायतों का जी.एस.टी. एवं आयकर टी.डी.एस. पंजीकरण करवाया गया है? ग्राम पंचायत एवं जनपदवार पंजीकरण क्रमांक सहित सूची प्रदान करें। **(ग)** सिवनी जिला पंचायत के अंतर्गत जनपद पंचायतों में आने वाली ग्राम पंचायतों में वस्तुओं

तथा सेवाओं की आपूर्ति हेतु कुल कितने वेंडर रजिस्टर्ड हैं? उनकी जी.एस.टी. पंजीकरण क्रमांक सहित सूची प्रदान करें।

उप मुख्यमंत्री, वित्त : [***(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)*** *सिवनी जिले में कुल 434 ग्राम पंचायतें जी.एस.टी., टी.डी.एस. डिडक्टर के रूप में विभाग में पंजीयत हैं एवं आयकर टी.डी.एस. पंजीकरण की जानकारी वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित नहीं है। पंजीयत ग्राम पंचायतों की* ***सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ग)*** *सिवनी जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु कुल 797 वेन्डर रजिस्टर्ड हैं। उनकी जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक सहित* ***सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।***] **(क)** जी हाँ, निर्देशित किया गया है।

दिनांक 19 फरवरी, 2024

विभाग अंतर्गत निर्मित छपरा जलाशय

[जल संसाधन]

15. परि.अता.प्र.सं. 20 (क्र. 916) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छपरा जलाशय एवं उसकी कितनी लंबाई की नहरों का निर्माण कितने क्षेत्र की सिंचाई हेतु कितनी लागत से कब किया गया? बिंदुवार जानकारी देवें? **(ख)** वर्तमान समय में इससे कितनी सिंचाई हो रही है क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मार्बल खदानों द्वारा अपना बेस्ट मटेरियल इस जलाशय के कैचमेंट एरिया में डंप करने से इसकी जल भंडारण क्षमता समाप्त हो चुकी है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के उत्तर में यदि हाँ तो क्या विभाग इस जलाशय को पुनर्जीवित करने हेतु कोई कार्ययोजना बनावेगा? यदि हाँ तो किस प्रकार से कब तक यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा इस संबंध में पूर्व में पूछे गए प्रश्न क्रमांक 647, बैठक दिनांक 21.02.2019, प्रश्न क्रमांक 921, बैठक दिनांक 11.07.2019 एवं प्रश्न क्रमांक 998, बैठक दिनांक 27.07.2022 के उत्तर में दोषी मार्बल खदान संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था? किस पर क्या कार्यवाही की गई? किसी पर कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है?

जल संसाधन मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छपरा जलाशय के कुल 04.50 कि.मी. लंबाई की नहरों का निर्माण 219 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हेतु राशि रू.11.52 लाख की लागत से वर्ष 1967 में किया गया था। **(ख)** वर्तमान में जलाशय से कृषकों को काई भी सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। जी हाँ, शासन द्वारा खनन हेतु स्वीकृत क्षेत्र में मार्बल खदानों के संचालकों द्वारा अपना वेस्ट मटेरियल जलाशय के केचमेंट क्षेत्र में जमा किए जाने से जल भण्डारण क्षमता पूर्णत: समाप्त हुआ जाना प्रतिवेदित है। **(ग)** जी हाँ। राशि रू. 1436.24 लाख का परियोजना प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है। प्रशासकीय स्वीकृति के पूर्व कार्य की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(घ)** जलाशय के अतिक्रमण के

संबंध में कार्यपालन यंत्री कटनी, खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.07.2019 को संयुक्त स्थल निरीक्षण में पाया कि बाँध के नजदीक मार्बल खदानों के संचालकों द्वारा ओव्हर बर्डन डम्प किया गया है। कार्यपालन यंत्री, कटनी द्वारा खदानों का ओव्हर बर्डन (अतिक्रमण) हटाने एवं दोषी खदान संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु पत्र लिखे जाने के उपरांत खनिज विभाग कटनी द्वारा दांडिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है।

बांध निर्माण में किसानों को मुआवजा राशि का प्रदाय

[जल संसाधन]

16. परि.अता.प्र.सं. 57 (क्र. 2011) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बिलगांव बांध के लिए प्राक्कलन अनुसार प्रस्तावित भराव से अधिक क्षेत्रों में जल भराव हुआ है अगर हाँ तो जल भराव की वास्तविक आंकलन क्यों नहीं हुआ था इसके लिए कौन जिम्मेदार है और अगर नहीं तो जल भराव के आधार पर जो जमीन अधिग्रहित की गई थी, उससे अधिक जमीन क्यों डूब में आई? **(ख)** नहर निर्माण में कब-कब, किसने-किसने, क्या-क्या शिकायत किया? शिकायत की जांच कब-कब, किसने-किसने किया, शिकायतों में क्या-क्या कार्यवाही हुई? **(ग)** बांध निर्माण के पूर्व एवं जल भराव के बाद में मुआवजा किस-किस किसान को कितनी-कितनी राशि, कितने-कितने रकबा के विरूद्ध दिया गया? किसानवार जानकारी दें।

जल संसाधन मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी नहीं, जो जमीन अधिग्रहित की गई है इससे अधिक जमीन डूब में आना प्रतिवेदित नहीं है। **(ख)** शिकायतों पर की गई कार्यवाही का **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है।**

डूब से प्रभावित किसानों को मुआवजे का भुगतान

[जल संसाधन]

17. परि.अता.प्र.सं. 63 (क्र. 2029) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बैतूल जिले की पारसडोह वृहद सिंचाई परियोजना में मुलताई विधानसभा के 10 ग्रामों की निजी भूमि अधिग्रहित की गई है? यदि हाँ तो क्या इन ग्रामों के किसानों की निजी भूमि में स्थित झाड़ पेड़ों का भी अधिग्रहण किए जाने हेतु उद्यानिकी एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संगणना कर मूल्यांकित राशि 273.81 लाख रुपए निर्धारित की गई थी? **(ख)** क्या किसी परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली निजी परिसंपत्ति का मुआवजा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के आधार पर दिया जाता है? यदि हाँ तो क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित ग्रामों के किसानों की अर्जित वृक्षों की मूल्यांकित राशि 273.81 लाख रुपए और उसके समतुल्य तोषण राशि प्रदान की गई है? यदि नहीं प्रदान की गई तो, इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है? दोषी अधिकारियों के प्रति क्या कार्रवाई की जावेगी? **(ग)** प्रश्नांश (ख) में क्या जल संसाधन संभाग मुलताई के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री द्वारा डूब प्रभावित ग्रामों के वृक्षों की कटाई हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हाँ तो जिन ग्रामों के वृक्षों की कटाई की निविदा बुलाई गई थी, निविदा

प्रकाशन की प्रति उपलब्ध करावें। निविदाकार से किस-किस ग्राम के वृक्षों की कटाई का अनुबंध किस-किस दिनांक को किया गया था? **(घ)** उक्त में परियोजना के डूब से प्रभावित सभी ग्रामों के वृक्षों की कटाई एक ही ठेकेदार से करवाए जाने के बाद किन-किन ग्रामों के कितने-कितने वृक्षों को कटाई पश्चात वन विभाग को सौंपा गया है? मूल्यांकित वृक्षों में से कटाई पश्चात वन विभाग को सौंपे जाने के बाद शेष कितने वृक्षों को ठेकेदार के माध्यम से बाजार में नियम विपरीत बेचकर भारी भ्रष्टाचार किया गया है? क्या दोषी कार्यपालन यंत्री से उक्त शासकीय राशि की शासन हित में वसूली की जावेगी? यदि हाँ तो कितनी राशि की वसूली की जावेगी और कब तक की जावेगी समय-सीमा बताई जावे।

जल संसाधन मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी हाँ, किसानों की निजी भूमि में स्थित झाड़, पेड़ों की राशि सक्षम स्तर से अनुमोदित अधिनिर्णय अनुसार राशि रू. 348.49 लाख निर्धारित कर एवं शत्-प्रतिशत राशि के समतुल्य पुनर्वास अनुदान राशि रूपये 348.49 लाख सम्मिलित कर अधिनिर्णय पारित किया गया। **(ख)** जी हाँ, सक्षम स्तर से पारित अधिनिर्णय अनुसार निजी भूमि में स्थित झाड़, पेड़ों की राशि रू. 348.49 लाख शत्-प्रतिशत राशि के समतुल्य पुनर्वास अनुदान राशि रू. 348.49 लाख सम्मिलित कर अधिनिर्णय पारित किया गया है। **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार है।** मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक 971/अ.मु.सं./ज.सं.वि./2018 भोपाल, दिनांक 26.02.2018 से कृषि भूमि के अर्जन/क्रय में परिसंपत्तियों के दोहरा भुगतान रोकने विषयक आदेश के बिन्दु क्रमांक-5 अनुसार भूमि पर उपलब्ध परिसंपत्तियों (मकान छोड़कर) का पृथक से मूल्यांकन कर दोहरा भुगतान किया जा रहा हो तो ऐसी व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश पालन में भू-अर्जन प्रकरणों में निजी भूमि पर स्थित झाड़, पेड़ों की राशि सम्मिलित कर सक्षम स्तर से भू-अर्जन अधिनिर्णय पारित नहीं है। जल संसाधन विभाग के आदेशानुसार कार्यवाही होने से जल संसाधन विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी किसी को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है। **विवरण पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-स" अनुसार है।** **(ग)** जी हाँ कुल 10 ग्रामों की निविदा प्रकाशन कराई गई, निविदा प्रकाशन की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "परिशिष्ट-द" अनुसार** है, 10 ग्रामों में से मात्र 01 ग्राम बोरगांव के वृक्षों की कटाई एवं परिवहन की निविदा, निविदा के सातवें आमंत्रण में निविदाकार यश कडवे से प्राप्त हुई। अतः मात्र 01 ग्राम बोरगांव के वृक्षों की कटाई एवं परिवहन का ही निविदाकार यश कडवे द्वारा दिनांक 13.03.2019 को अनुबंध किया गया। निविदा का **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "परिशिष्ट-द" अनुसार है।** **(घ)** निविदाकार यश कडवे ने परियोजना के डूब प्रभावित मात्र 01 ग्राम बोरगांव के वृक्षों की कटाई का अनुबंध कर कटाई की गई एवं निविदा की शर्त अनुसार ग्राम बोरगांव से मुख्य डिपो, हमलापुर-बैतूल में परिवहन कर पेड़ों को पहुंचा कर डिपो से पेड़ों की प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-य" अनुसार है।** ठेकेदार के माध्यम से बाजार में नियम विपरित पेड़-पौधों को बेचकर भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से बिना पर्याप्त साक्ष्य के किसी अधिकारी को दोषी ठहराते हुये वसूली की कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है।

जुलाई, 2024

दिनांक 1 जुलाई, 2024

पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं में अनियमितता

[सहकारिता]

1. अता.प्र.सं.43 (क्र. 196) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन के द्वारा सहकारिता विभाग अन्तर्गत जिला इन्दौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच में पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के नाम से भूमि आवंटित की गई है, जिलेवार एवं संस्थावार जानकारी प्रदाय की जावे? क्या उक्त संस्थाओं के द्वारा भूखण्ड आवंटन करने में अनियमितता करने की शिकायते विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो शिकायतों एवं उस संबंध में की गई कार्यवाही/प्रचलित कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के संबंध में 1 जनवरी 2022 से किन संस्थाओं के संबंध में किस प्रकार की जांच की जा रही है, संक्षिप्त विवरण देवें। **(ग)** उक्त अविध में जिला उज्जैन, मंदसौर, नीमच में गृह निर्माण सहकारी संस्था के संबंध में किस-किस नाम के व्यक्ति की शिकायते जिला कार्यालय सहकारिता विभाग को प्राप्त हुई है, उन शिकायतों की जांच किन अधिकारियों के द्वारा की गई है, जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्यवाही एवं प्रकियाधीन जांच का विवरण उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित जिन गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं की जांच की जा रही है, उनके कार्यरत संस्था अध्यक्ष/प्रशासक की जानकारी संस्थावार उपलब्ध करावे। उक्त संस्थाओं में उपलब्ध भूमि, भूखण्ड एवं सदस्य संख्या उपलब्ध करावें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [***: (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** शासन द्वारा इन्दौर एवं उज्जैन जिले में पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के नाम से आवंटित भूमि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 एवं 02 अनुसार है** तथा मंदसौर एवं नीमच में किसी भी संस्था को शासन द्वारा भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। इंदौर जिले से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है**, उज्जैन जिले में राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन की प्राप्त शिकायत के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु उपायुक्त सहकारिता जिला उज्जैन के द्वारा संस्था प्रशासक को निर्देशित किया गया है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन, मंदसौर एवं नीमच के संबंध में उत्तरांश के पार्श्व भाग के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** इन्दौर एवं उज्जैन, जिले से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 एवं 04 अनुसार है**, मंदसौर जिले से संबंधित जानकारी निरंक एवं नीमच जिले से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार है**। **(ग)** जिला उज्जैन एवं नीमच से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 एवं 05 अनुसार** तथा मंदसौर जिले से संबंधित जानकारी निरंक है। **(घ)** जिला इन्दौर एवं नीमच से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-06 एवं 07 अनुसार है**, उज्जैन जिले की राजस्व गृह निर्माण

सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन में श्री आर.एल. परमार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया है, उक्त संस्था में कुल भूमि रकबा 4.538 हेक्टेयर, कुल भूखण्ड 140, सदस्य संख्या 197 है, मंदसौर जिले से संबंधित जानकारी निरंक है।

(पृथक वितरित उत्तर)

बिना अनुमति कॉलेजों द्वारा स्थानों का परिवर्तन करना

[उच्च शिक्षा]

2. अता.प्र.सं.67 (क्र. 302) श्री प्रदीप पटेल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल/इंदौर/ग्वालियर में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन-कौन से निजी महाविद्यालय है? जिन्होने कॉलेज की मान्यता लेते समय जिस स्थान पर कॉलेज की बिल्डिंग, खेल का मैदान, कार्यालय होना दर्शाया था अब वे उस स्थान से (पते से) हटकर अन्यत्र कॉलेज की बिल्डिंग में कॉलेज का संचालन कर रहे हैं? जिलेवार, कॉलेजवार, स्थान परिवर्तनवार सूची दें। **(ख)** क्या निजी कॉलेजों ने जब कॉलेज खोलने की परमिशन ली तो उस समय स्थान जो पते के रूप में दर्शाया गया था वह प्रश्नतिथि तक बदल दिया गया है? क्या स्थानों का परिवर्तन नियमों के अनुरूप किया गया है? अगर हां तो क्या विभाग से एन.ओ.सी. या लिखित में आदेश प्राप्त किया गया है? अगर हां तो जारी सभी पत्रों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। **(ग)** क्या राज्य शासन इस तरह के कार्य करने वाले किस-किस नाम एवं पते वाले क्या-क्या कोर्स संचालित करने वाले निजी कालेजों पर कब व क्या कार्यवाही किन-किन नियमों के तहत करेगा? की गई कार्यवाही से अवगत करायें।

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** भोपाल एवं ग्वालियर की जानकारी निरंक है तथा इंदौर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख)** जी हाँ, एक महाविद्यालय द्वारा किया गया स्थान परिवर्तन नियमानुसार नहीं पाया गया है, शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक (प्रपत्र 2 से 11 तक) अनुसार है। (ग)** अशासकीय रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड साईंस, इंदौर का स्थान परिवर्तन नियमानुसार नहीं पाये जाने पर आदेश दिनांक 14.10.2024 द्वारा स्थान परिवर्तन को निरस्त किया गया है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है।**

निर्वाचन आवेदनों पर कार्यवाही

[सहकारिता]

3. अता.प्र.सं.85 (क्र. 406) श्रीमती ललिता यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उप पंजीयक सहकारी संस्थान जिला छतरपुर को वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने निर्वाचन आवेदन प्राप्त हुए है? समस्त निर्वाचन आवेदनों की प्रति उपलब्ध कराई जाए। **(ख)** क्या उक्त सभी निर्वाचन आवेदनों पर निर्वाचन आदेश जारी कर संचालक मंडल का गठन कर दिया गया है? यदि हां तो संचालक मंडल की प्रति उपलब्ध कराई जाए। **(ग)** यदि नहीं तो क्यों?

क्या शेष बचे निर्वाचन आवेदनों पर सक्षम अधिकारी निर्वाचन आदेश जारी कर निर्वाचन अधिकारी द्वारा संचालक मंडल का गठन किया जाए। यदि हां तो कब तक? समय-सीमा बताएं। यदि नहीं तो क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [***(क) से(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** 252, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ख)** 252 आवेदनों में से 163 आवेदन म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी कार्यालय को प्रेषित किये गये थे, इनमें से 140 में संचालक मण्डल का गठन कर दिया गया है, 04 में निर्वाचन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शेष 19 निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा त्रुटि सुधार हेतु भेजे गये हैं। संचालक मण्डल की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (ग)** शेष 89 निर्वाचन प्रस्तावों में उप पंजीयक कार्यालय छतरपुर द्वारा त्रुटि सुधार कराया जा रहा है, प्रस्ताव सुधारोपरांत म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी कार्यालय को प्रेषित किये जा सकेंगे, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है, शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्नातक कॉलेज में सुविधाओं का अभाव

[उच्च शिक्षा]

4. अता.प्र.सं.100 (क्र. 507) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ब्लॉक राघौगढ़ जिला गुना में कितने शासकीय कॉलेज है? यह कब स्थापित हुये है? किस वि.वि. से मान्यता एवं संबद्धता है? इनमें किस पाठ्यक्रम की कुल कितने संकाय एवं भवन में कुल कितने कक्ष है यह किस प्रयोजन से उपयोग किये जाते है? क्या शासकीय कॉलेज में मान्यता के सभी मापदण्ड पूर्ण है? कितना स्टॉफ स्वीकृत है, कितने अधि./कर्म./शैक्षणिक स्टॉफ पदस्थ किस प्रयोजन से कार्यरत है उनके नाम, पदनाम एवं कब से पदस्थ है? 2021-24 तक एवं समय-समय पर जारी आदेशों एवं कॉलेज के उन्नयन हेतु उच्च शिक्षा को किये गये पत्राचार की प्रति सहित बतायें। **(ख)** वर्ष 2021-24 तक में कॉलेज में कितनी छात्रवृत्ति किस श्रेणी में कितने छात्रों को वितरीत की गई? संकाय-सेमेस्टरवार जानकारी दें। **(ग)** कॉलेज में आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को नि:शुल्क शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया जाता है यदि हां तो 2021-24 तक कब और क्या वितरण किया गया है? यदि नहीं तो कारण सहित बतायें क्यों? **(घ)** क्या नवीन भवन निर्माण किया गया है? यह कितनी लागत है? इसमें मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति की गई है? यह प्रारंभ हो गया है? यदि नहीं तो कब तक प्रारंभ हो जायेगा? **(ड.)** कॉलेज को स्नातकोत्तर करने के लिये कब और कितने पत्राचार राज्य सरकार को किये है? कब तक स्नातकोत्तर कॉलेज प्रारंभ हो जायेगें? निश्चित समय-सीमा बतायें। नहीं तो कारण सहित स्पष्ट करें क्यों? क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं विद्यार्थियों ने इसकी मांग की है? पत्र एवं ज्ञापन की प्रति सहित बतायें।

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *ब्लॉक राघौगढ़, जिला गुना में शासकीय महाविद्यालय, राघौगढ़ संचालित है। शासकीय महाविद्यालय, राघौगढ़ वर्ष 1988-89 में स्थापित हुआ है एवं जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से संबद्धता है। शासकीय महाविद्यालय, राघौगढ़ में 03 संकाय, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संचालित हैं। महाविद्यालय भवन में 26 कक्ष हैं, जो कार्यालय, शैक्षणिक गतिविधियों में उपयोग हेतु हैं। शासकीय*

महाविद्यालय, राघौगढ़ में कुल 37 पद स्वीकृत हैं, जिनमें प्राचार्य 01, सहायक प्राध्यापक 14, ग्रंथपाल 01, क्रीड़ा अधिकारी 01, मुख्य लिपिक 01, लेखापाल 01, सहायक ग्रेड-2 का 01, सहायक ग्रेड-3 के 02 पद, प्रयोगशाला तकनीशियन 05, प्रयोगशाला परिचारक 05, बुकलिफ्टर 01, भृत्य 02, चौकीदार 01, स्वीपर 01 हैं। कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की विस्तृत ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'1' अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'2' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'3' अनुसार है। (ग)*** *जी हाँ।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'4' अनुसार है। (घ)*** *ब्लॉक राघौगढ़, जिला गुना अंतर्गत केवल एक शासकीय महाविद्यालय, राघौगढ़ संचालित है। इस महाविद्यालय के भवन का निर्माण वर्ष 2000 में हो चुका है। वर्तमान में महाविद्यालय में 06 अतिरिक्त कक्षों, जिनकी लागत राशि रुपये 386.87 लाख है, का नवीन निर्माण हुआ है। नवीन निर्मित 06 अतिरिक्त कक्षों में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति की गई है तथा इन कक्षों का उपयोग हो रहा है।* ***(ङ.)*** *शासकीय महाविद्यालय, राघौगढ़ में स्नातकोत्तर कक्षाएं एम.ए. हिन्दी, एम.ए. राजनीति विज्ञान, एम.एस-सी. रसायन शास्त्र एम.एस-सी. भौतिक शास्त्र, एम.एस-सी. गणित संचालित है। शेष* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(ङ.)** शासकीय महाविद्यालय, राघौगढ़ में वर्तमान में मात्र स्नातक स्तर पर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय संचालित है। विभागीय मापदण्डों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरान्त शासकीय महाविद्यालय, राघौगढ़ को स्नातकोत्तर का दर्जा प्रदान करने संबंधी मापदण्ड की पूर्ति नहीं होने के कारण स्नातकोत्तर का दर्जा प्रदान किया जाना संभव नहीं है। महाविद्यालय को स्नातकोत्तर का दर्जा प्रदान किए जाने के संबंध में क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं विद्यार्थियों की ओर से इस कार्यालय को कोई भी मांग-पत्र अथवा ज्ञापन प्रश्न दिनांक तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

<u>दिनांक 2 जुलाई, 2024</u>

इन्वेस्टर्स समिट की जानकारी

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

5. परि.अता.प्र.सं. 1 (क्र. 7) श्री बाला बच्चन : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में वर्ष 2023 एवं 2024 में हुई इन्वेस्टर्स समिट में कितनी राशि के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए पृथक-पृथक बतावें। ऐसे कितने उद्योग संचालनकर्ता हैं जो दोनों समिटों में सम्मिलित हुए व उनके द्वारा निवेश प्रस्ताव दिए गए इनकी सूची निवेश प्रस्ताव सहित देवें। **(ख)** दोनों समिटों पर हुए व्यय की संपूर्ण जानकारी भुगतान राशि, भुगतान दिनांक, भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म/व्यक्तिनाम, G.ST. नंबर, बिलों की प्रमाणित प्रति सहित देवें। **(ग)** वर्ष 2023 समिट के संदर्भ में बतावें कि इसके लिए जिन उद्योगों को भूमि आवंटित की गई उनके स्थान नाम, भूमि रकवा, जिला नाम, उद्योग नाम, उद्योग प्रकृति सहित देवें। प्रश्न दिनांक की स्थिति में उद्योग प्रारंभ/अप्रारंभ स्थिति बतावें। **(घ)** वर्ष 2023 समिट के संबंध में जो उद्योग अप्रारंभ हैं उनसे हुए समस्त पत्राचार की छायाप्रतियां उद्योगवार देवें। जो उद्योग प्रारंभ हो चुके हैं उनसे कितने रोजगार सृजित हुए की जानकारी उद्योग, नाम, कार्यबल संख्या सहित उद्योगवार देवें।

मुख्यमंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (क)** प्रदेश में वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में राशि रू. 15, 42, 550.84 करोड़ के 6957 निवेश आशय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2024 में आयोजित रीजनल इण्डस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2024 में राशि रू. 94, 139 करोड़ के 26 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। उद्योग संचालनकर्ता जो दोनों समिटों में शामिल हुए, उनके द्वारा दिए गए निवेश प्रस्ताव की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर है। (ख)** प्रदेश में वर्ष 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इंदौर शहर में दिनांक 10 से 11 जनवरी को किया गया, जिस पर हुए व्यय की चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर है** एवं बिल की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स पर है**। वर्ष 2024 में प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन नहीं किया गया, तथापि रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन उज्जैन शहर में दिनांक 01 से 02 मार्च, 2024 को किया गया, जिस पर हुए व्यय की वर्तमान स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द पर है** एवं बिल की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट**-ई **पर** है। **(ग)** वर्ष 2023 समिट के संदर्भ में उद्योगों को जो भूमि आवंटित की गई, उनके स्थान नाम, भूमि रकबा, उद्योग नाम, उद्योग प्रकृति की जानकारी एवं प्रश्न दिनांक की स्थिति में उद्योग प्रारंभ/अप्रारंभ की स्थिति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-फ पर है। (घ)** वर्ष 2023 के समिट से संबंधित जो उद्योग प्रारंभ नहीं हुए है, उनसे किये गये पत्राचार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-उ पर** है तथा सृजित रोजगार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-फ पर है।**

इलेक्ट्रॉनिक चेक पोस्ट लगाने एवं अवैध रेत परिवहन

[खनिज साधन]

6. अता.प्र.सं.45 (क्र. 539) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य सरकार की ओर एन.जी.टी. में शपथ पत्र देकर अवैध रेत रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चेक पोस्ट लगाने के लिए कहा गया था? **(ख)** यदि हाँ तो उपरोक्त शपथ पत्र देने के बाद प्रश्न दिनांक तक कितनी अवधि हो चुकी है? उपरोक्त अवधि में किन-किन जिलों में किस-किस स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक चेक पोस्ट लगाई गई है तथा कहाँ-कहाँ लगाया जाना प्रस्तावित है? इलेक्ट्रॉनिक चेक पोस्ट लगाने में कितना व्यय अनुमानित है? **(ग)** अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन द्वारा जनवरी 2023 से अब तक कुल कितनी कार्यवाही की गई है? जिलेवार, माहवार जानकारी उपलब्ध कराएं। क्या कुछ डम्फरों में रॉयल्टी होने के बावजूद जुर्माना राशि वसूली गई? यदि हाँ तो ऐसे कितने प्रकरण सामने आये हैं? क्या ट्रक ऑनर एसोसिएशन द्वारा इस संबंध में शिकायतें की गई हैं यदि हाँ तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री : [***(क)*** *जी हाँ।* ***(ख)*** *शपथ पत्र दिनांक से प्रश्न दिनांक तक लगभग 16 माह की अवधि हो चुकी है। पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में माह अगस्त 2024 तक जिला भोपाल के 03 स्थान तथा जिला रायसेन के 01 स्थान पर चेक गेट लगाया जाना प्रस्तावित है। पायलेट प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर*

प्रदेश के कुल 41 स्थानों पर चेक गेट स्थापित किया जायेगा, जिसकी ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर*** *है। इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट लगाने में 25, 30, 40, 845/- रूपये व्यय होना अनुमानित है।* ***(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर*** *है।* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** *जी हाँ। भोपाल सेण्ड ट्रक आनर्स एसोसिएशन भोपाल द्वारा कलेक्टर भोपाल को प्रस्तुत शिकायत की जाँच किये जाने उपरांत शिकायत निराधार होने के कारण नस्तीबद्ध की गई है।*]

(ग) जी हाँ। परिवहन की जा रही खनिज की मात्रा के अनुरूप अभिवहन पास नहीं होने पर दर्ज 1279 प्रकरणों में से 1276 वाहनों पर अर्थदण्ड आरोपित कर राशि वसूल की गई है। शेष 03 प्रकरण निराकरण हेतु न्यायालय में गतिशील है।

दिनांक 3 जुलाई, 2024

विभाग की संरचना, विकास एवं निर्माण कार्यों पर व्यय
[संस्कृति]

7. परि.अता.प्र.सं. 84 (क्र. 989) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग की विभागीय संरचना क्या है? छायाप्रति उपलब्ध करावें। संस्कृति विभाग एवं संचालनालय के अंतर्गत कौन-कौन सी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय संस्थाएं, प्रशासनिक इकाइयां, अकादमी आदि सम्मिलित है? सभी के नाम और उक्त सभी संस्थाओं, इकाइयों की जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थाओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्नांकित अवधि तक कौन-कौन सी योजनाओं में, किन-किन निर्माण/विकास एवं अन्य कार्य हेतु विभिन्न मदों कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? योजनावार, मदवार, कार्य के नाम, कुल स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा, कार्यादेश सहित विस्तृत जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में आवंटित राशि के विरूद्ध कितनी राशि व्यय की गई? कितनी राशि शेष है तथा शेष राशि का भुगतान कब तक दिया जावेगा? योजनावार, मदवार, कार्य के नाम सहित जानकारी देवें एवं छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में विभाग द्वारा ओंकारेश्वर, महाकाल लोक तथा अन्य प्राचीन, ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थ स्थल, मठ, मंदिर एवं अन्य कौन-कौन से स्थानों पर कौन-कौन सी योजना से कौन-कौन से विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई? कितनी राशि व्यय की गई? कितनी राशि शेष है, कितनी राशि लैप्स हो चुकी है? कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा कार्यादेश सहित अद्यतन संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। **(ड.)** प्रश्नांश (ग) एवं (घ) क्या गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य अनियमितता, लापरवाही एवं विकास कार्यों तथा कार्य एजेन्सियों, ठेकेदारों, फर्मों को किये गये भुगतान में अनियमितता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो शिकायतों का विवरण दें तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों में जांच उपरांत कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी/ठेकेदार/निर्माण एजेंसी दोषी पाये गये? उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं,

की गई तो कब तक की जावेगी? अभी तक कितनी जांचें लंबित हैं? उनका निराकरण कब तक कर दिया जावेगा? निर्माण/विकास कार्य, योजना, कार्य के नाम, स्थान, तहसीलवार, जिलावार विभाग अनुसार संपूर्ण जानकारी देवें।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), संस्कृति : [*(क) से(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार। (ड.) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विभिन्न योजनाओं में आवंटित राशि की जानकारी
[पर्यटन]

8. परि.अता.प्र.सं. 85 (क्र. 990) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), संस्कृति, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग की विभागीय संरचना क्या है? छायाप्रति उपलब्ध करावें। पर्यटन विभाग के अंतर्गत कौन-कौन सी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाएं, प्रशासनिक इकाइयां, अकादमी आदि सम्मिलित हैं? सभी के नाम और उक्त सभी संस्थाओं की संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग एवं विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थाओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्नांकित अवधि तक कौन-कौन सी योजनाओं में, किन-किन निर्माण/विकास एवं अन्य कार्य हेतु विभिन्न मदों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? योजनावार, मदवार, कार्य के नाम, कुल स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा, कार्यादेश सहित विस्तृत जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में आवंटित राशि के विरूद्ध कितनी राशि व्यय की गई? कितनी राशि शेष है तथा शेष राशि का भुगतान कब तक दिया जावेगा? योजनावार, मदवार कार्य के नाम सहित जानकारी देवें एवं छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में क्या गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य, अनियमितता, लापरवाही एवं विकास कार्यों तथा कार्य एजेन्सियों, ठेकेदारों, फर्मों को किये गये भुगतान में अनियमितता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो शिकायतों का विवरण दें तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों में जांच उपरांत कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी/ठेकेदार/निर्माण एजेन्सी दोषी पाये गये? उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जावेगी? अभी तक कितनी जांचें लंबित है? उनका निराकरण कब तक कर दिया जावेगा? निर्माण/विकास कार्य, योजना, कार्य के नाम, स्थान, तहसीलवार, जिलावार विभाग अनुसार संपूर्ण जानकारी देवें।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), संस्कृति : [*(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार। (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही
[स्कूल शिक्षा]

9. परि.अता.प्र.सं. 100 (क्र. 1119) श्री हरिशंकर खटीक : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन ने जीर्ण-शीर्ण भवन घोषित करने एवं सरकारी भवन गिराने संबंधी वर्तमान में

कौन-कौन से नियम बनाए हैं? कृपया ऐसे आदेशों एवं नियम की छायाप्रतियां प्रदाय करें। **(ख)** क्या शासन ने सरकारी भवनों को गिराने संबंधी ग्राम पंचायतों को अधिकार सीधे दिये हैं? अगर हाँ तो आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि टीकमगढ़ जिले के विधानसभा एवं जनपद पंचायत जतारा की ग्राम पंचायत बम्होरी खास को कब, किस आदेशानुसार शासकीय बालक प्राथमिक स्कूल (बोर्डिंग स्कूलों) की रसोई घर तोड़ने की अनुमति किस विभाग द्वारा दी गई थी? कृपया ऐसे आदेशों की छायाप्रतियां प्रदाय करें। इसमें कौन-कौन दोषी है? कृपया सम्पूर्ण जानकारी दें। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के उपरोक्त कृत्य की जांच करा कर जिला प्रशासन द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की है? सम्पूर्ण जानकारी दें। उपरोक्त ग्राम पंचायत के ऐसे कृत्य की जांच क्या एक सप्ताह में संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने की, की जावेगी? कृपया दोषियों के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही न होने के क्या-क्या कारण हैं? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कि दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही कब तक कर दी जावेगी?

परिवहन मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** आदेश एवं नियम की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "1" अनुसार** है। **(ख)** विभाग द्वारा इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जिले की विधानसभा ग्राम पंचायत जतारा की ग्राम पंचायत बम्हौरी खास में प्रश्नागत रसोई घर को धराशाई करने की स्वीकृति कार्यालय जनपद पंचायत जतारा का पत्र **क्र.** 1527 दिनांक 03.11.2022 द्वारा सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बम्हौरीखास को दी गई थी। उक्त स्वीकृति पत्र में प्रश्नागत भवन को वोटिंग भवन (पुलिस चौकी) सहकारी समिति के सामने नाम से एवं क्षतिग्रस्त उल्लेखित किया गया है। स्वीकृति पत्र की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(घ)** इस संबंध में तहसीलदार लिधौरा द्वारा प्रकरण क्र.0020 /ब-121/2024-25 पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त प्रकरण में जांच जारी है, शीघ्र ही नियमानुसार कार्यवाही कि जायेगी।

दिनांक 5 जुलाई, 2024

संरक्षित वन की अधिसूचना

[वन]

10. परि.अता.प्र.सं. 22 (क्र. 758) कुँवर अभिजीत शाह : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 1 अगस्त 1958 को भा.व.अ. 1927 की धारा 29 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में किस कानून के तहत अर्जित सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों की जमीनों को संरक्षित वन अधिसूचित किया, किन-किन मदों में दर्ज जमीनों को संरक्षित वन अधिसूचित किया पृथक-पृथक बतावें। **(ख)** दिनांक 1 अगस्त 1958 की अधिसूचना के अनुसार किस-किस जिले की संरक्षित वन अधिसूचित भूमियों का किस भू-प्रबंध ईकाई ने किस-किस अवधि में संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन किए जाने की जानकारी वन भवन तुलसी नगर भोपाल में उपलब्ध है? **(ग)** रीवा, सतना एवं छतरपुर जिले में किस भू-प्रबंध ईकाई ने किस अवधि में संरक्षित वन सर्वे डिमारकेशन की कार्यवाही की है इन जिलों की भूमियों को राजपत्र में भा.व.अ. 1927 की धारा 29

के अनुसार प्रश्नांकित दिनांक तक भी संरक्षित वन अधिसूचित नहीं किए जाने का क्या कारण रहा है? **(घ)** वन मुख्यालय वन भवन भोपाल में किस जिले के कितने राजस्व ग्रामों की कितनी भूमियों को किस-किस दिनांक को संरक्षित वन अधिसूचित करने की अधिसूचना वर्तमान में उपलब्ध है।

वन मंत्री : [***(क)*** *भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 (3) के विशिष्ट प्रावधान का उपयोग करते हुये संरक्षित वन की अधिसूचना क्रमांक 9-x-58 दिनांक 9-x-58 को जारी की गई जिसमें भूमियों का विस्तृत विवरण न देकर उनके अर्हता का उल्लेख था। इस अधिसूचना की अनुसूची में किसी क्षेत्र को संरक्षित वन के रूप में मान्य करने हेतु निम्न विवरण उल्लेखित है– 1. मध्यप्रदेश जागीदारी उन्मूलन एक्ट 1950 (M.P. Abolition of Proprietary Right (Estate, Mahala & Alienated Lands) Act-1950) के तहत वनभूमि राज्य शासन से निहित हो। 2. प्रबंधन हेतु राजस्व विभाग से वन विभाग को हस्तांतरित की गई हो। 3. यह पूर्व से अधिसूचित संरक्षित/आरक्षित वन न हो। उक्त अर्हता वाली भूमियों को संरक्षित वनखण्डों में शामिल किया गया। प्रश्नांकित जानकारी वनमण्डलों में प्रतिवेदित नहीं है सामान्य भूमियां पहाड़-चट्टान, छोटे-बड़े झाड़ के जंगल, जंगल जलाॅ, जंगल करात एवं चरनोई इत्यादि मदों में दर्ज है।* ***(ख)*** *से* ***(घ)*** *जानकारी वृहद स्वरूप की होने के कारण एकत्रित की रही है।* **]**
(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। **(ग)** रीवा भू-प्रबंध इकाई द्वारा रीवा, सतना एवं छतरपुर जिले में वर्ष 1958 से 1970 के मध्य सर्वे डिमार्केशन का कार्य किया गया। सर्वे डिमार्केशन में शामिल भूमियां पूर्व से रीवा राज दरबार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 08.02.1937 तथा विन्ध्यप्रदेश का नोटिफिकेशन दिनांक 07.08.1946 से संरक्षित वन अधिसूचित हैं। **(घ)** कानून जंगलात ग्वालियर सन 1912, भोपाल नवाब एलान 1916 दिनांक 12.01.1926, रीवा राज दरबार आदेश दिनांक 08.02.1937, सी.पी. एवं बरार गजट दिनांक 18.11.1949, मध्य भारत नोटिफिकेशन दिनांक 01.03.1955 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 01.08.1958 से अधिसूचित संरक्षित वन भूमियों तथा समय-समय पर राज्य शासन द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त भूमियों के संरक्षित वन की अधिसूचना संबंधित वनमण्डलों की कार्य-आयोजना में उपलब्ध है।

अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना
[जनजातीय कार्य]

11. परि.अता.प्र.सं. 55 (क्र. 1545) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना की राशि से कार्य स्वीकृति के क्या नियम हैं? क्या नियम में इस हेतु एक समिति का उल्लेख है? यदि हाँ तो क्या उक्त समिति की सहमति व अनुमोदन से कार्यों की स्वीकृति दिए जाने का नियम है? यदि हाँ तो क्या मण्डला जिले में वर्ष 2023-24 हेतु आवंटित राशि से कार्य स्वीकृति के लिए समिति की सहमति व अनुमोदन लिया गया था? यदि नहीं तो क्यों? इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? **(ख)** क्या जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी विधायक उक्त समिति के सदस्य होते हैं? यदि हाँ तो क्या प्रश्नकर्ता मंडला जिले में उक्त समिति के सदस्य हैं? यदि हाँ तो क्या वर्ष 2023-24 में मंडला जिले में दी गई उक्त राशि से स्वीकृत कार्यों के लिए समिति के समक्ष विचारार्थ सदस्य के रूप में प्रश्नकर्ता से अनुमोदन/सहमति ली गई? यदि हाँ तो कब, संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं? यदि नहीं क्यों? इसके लिए कौन-कौन दोषी है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? **(ग)** क्या समिति के समक्ष

विचारार्थ सदस्य की जानकारी व अनुमोदन के बिना कार्यों की स्वीकृति दिया जाना विधानसभा सदस्य के रूप में सदस्य का विशेषधिकार हनन नहीं है? क्या इस संदर्भ में कोई कार्यवाही की जाएगी?

जनजातीय कार्य मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना नियम 2018 के नियमानुसार योजनांतर्गत राशि से कार्य स्वीकृत किये जाने के नियम है, नियम की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। प्रश्नांश का शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। जी नहीं। वर्ष 2023-24 हेतु आवंटित राशि से जन-प्रतिनिधियों एवं प्रश्नकर्ता माननीय विधायक के द्वारा प्रेषित कार्यों में से जिला स्तर पर गठित समिति के अध्यक्ष माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदन लिया गया है। प्रश्नांश का शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आदिवासी उपयोजना की राशि का आवंटन
[जनजातीय कार्य]

12. परि.अता.प्र.सं. 63 (क्र. 1612) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आदिवासी उपयोजना के तहत केंद्रीय मद से कितनी राशि राज्य शासन को प्राप्त हुई? राज्य शासन ने कुल कितनी राशि इस योजना के तहत आवंटित की? विगत पांच वर्षों का ब्यौरा देवें। **(ख)** विगत पांच वर्षों में किन-किन विभागों के माध्यम से आदिवासी उपयोजना की कितनी-कितनी राशि खर्च की गई, कितनी राशि आवंटित की गई, कितनी राशि लेप्स होने पर अन्य मदों में ट्रांसफर की गई? वर्षवार ब्यौरा देवें। **(ग)** आदिवासी उपयोजना की राशि खर्च करने के लिए केंद्र सरकार और मध्यप्रदेश सरकार की क्या-क्या नियमावली बनी है? किस नियमावली के तहत राशि को खर्च किया गया? **(घ)** क्या आदिवासी उपयोजना की राशि सामान्य क्षेत्रों या सामान्य मदों में भी खर्च की जा रही है? यदि हाँ तो क्यों किया गया, किस नियम के तहत खर्च किया गया? जहां-जहां खर्च किया गया, उसकी विस्तृत जानकारी देवें। **(ङ)** आदिवासी उपयोजना की राशि का दुरुपयोग होता है और अन्य विभागों या अन्य मदों में ट्रांसफर किया जाता है, कार्यवाही के क्या प्रावधान हैं? **(च)** क्या आदिवासी उपयोजना की राशि खर्च करने में आदिवासी विधायकों से विचार-विमर्श इसलिए नहीं किया जाता कि राशि को लेप्स करके अन्य मदों में खर्च किया जा सके। यदि नहीं तो उपयोजना की राशि के लेप्स होने या अन्य मदों में ट्रांसफर होने से रोकने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

जनजातीय कार्य मंत्री : [*(क) से (च) जानकारी संकलित की जा रही है।*] (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–एक अनुसार है। **(ग) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–दो अनुसार** है। **(ङ)** आदिवासी उपयोजना की राशि का उपयोग वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश एवं योजना अंतर्गत निहित नियमों, दिशा निर्देशों एवं गाइड-लाइन अनुसार किया जाता है। आदिवासी उपयोजना की राशि के दुरुपयोग/अनियमितता से संबंधित कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(च)** आदिवासी विधायकों से विचार विमर्श कर

आदिवासी उपयोजना की राशि को खर्च करने का नियम/निर्देशों में कोई प्रावधान नहीं है। विभागों द्वारा आदिवासी उपयोजना की राशि का व्यय वित्त विभाग की सहमति से एवं शासकीय वित्तीय अधिकार से संबंधित नियमों/ दिशानिर्देशों के तहत किया जाता है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जनजातीय मद से कराये गए विकास कार्य
[जनजातीय कार्य]

13. परि.अता.प्र.सं. 64 (क्र. 1614) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनजातीय बस्ती विकास योजना के तहत इंदौर संभाग में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई? उस राशि से क्या-क्या कार्य स्वीकृत कराए गए? कार्य का नाम, लागत राशि, पूर्णता एवं अपूर्णता की स्थिति के साथ विधानसभावार जानकारी देवें। धार जिले में वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में किस-किस मद में क्या-क्या खरीदी एक लाख से ज्यादा की गई? उसके बिल की प्रतियां देवें। **(ख)** धार जिले में वर्ष 2023-24 में आवंटित राशि से कार्य स्वीकृत करने हेतु किन-किन जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लिए गए? जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। क्या जनप्रतिनिधि से अनुमोदन होने के बाद भी उक्त वर्ष की राशि आवंटित नहीं की गई? यदि हाँ तो इसमें दोषी कौन है? दोषी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जाएगी? **(ग)** इंदौर संभाग में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से प्रश्न-दिनांक तक विभाग से एवं अन्य विभाग से कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? वर्षवार, विभागवार जानकारी देवें। अंतरित की गई राशि के आदेश की छायाप्रति देवें।

जनजातीय कार्य मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** जनजातीय बस्ती विकास योजना के तहत इन्दौर संभाग में वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक आवंटित राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार** है। कार्य का नाम, लागत राशि, पूर्णता एवं अपूर्णता की विधान सभावार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार** है। धार जिले में वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक मदवार सामग्री खरीदी की जानकारी एवं एक लाख से ज्यादा से खरीदी के बिल की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार** है। **(ख)** धार जिले में वर्ष 2023-24 में आवंटित राशि से कार्य आवंटित करने हेतु समस्त जन प्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त किये गये। प्राप्त प्रस्तावों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार** है। कार्यो का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ, जिससे राशि आवंटित नहीं हो सकी। प्रश्नांश का शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** इन्दौर संभाग अंतर्गत जिलों में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में प्रश्न दिनांक तक विभाग से प्राप्त राशि का विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार** है। अन्य विभाग से राशि प्रदाय की जानकारी जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित नहीं है। वर्षवार विभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'इ' अनुसार** है। प्रश्नांश का शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

योजनाओं का क्रियान्वन एवं संस्थाओं का संचालन
[जनजातीय कार्य]

14. परि.अता.प्र.सं. 79 (क्र. 1738) श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वारा विधानसभा में हितग्राही मूलक एवं अन्य किन-किन योजनाओं का संचालन वर्तमान में किया जा रहा हैं? योजनाओं के क्रियान्वन के क्या नियम/निर्देश हैं और हितग्राही योजनाओं का किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकते हैं? **(ख)** प्रश्नांश "क" विगत-03 वर्षों में योजनाओं का लक्ष्य क्या था और विकासखंडवार कितने एवं किन-किन हितग्राहियों को किस चयन प्रक्रिया से किस नाम, पदनाम के सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से किन-किन योजनाओं से लाभान्वित किया गया? **(ग)** बड़वारा विधानसभा में विभाग की कौन-कौन सी संस्था कहाँ-कहाँ एवं कब से संचालित हैं? संस्थावार क्या-क्या सुविधाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं? विगत 05 वर्षों में कितनी-कितनी लागत से किस ठेकेदार कंपनी से एवं किस-किन शासकीय सेवकों के पर्यवेक्षण में निर्माण/विकास के क्या-क्या कार्य कब-कब कराये गए और क्या कार्य कराये जाने की आवश्यकता एवं योजना हैं? **(घ)** प्रश्नांश "ग" अनुसार संस्थावार विगत-05 वर्षों में किस मांग एवं आवश्यकता से कितनी-कितनी लागत की क्या-क्या सामग्री किस आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्था से किस प्रक्रिया से कब-कब क्रय की गयी और संस्थाओं में क्या सामग्री एवं सुविधाओं की आवश्यकता है?

जनजातीय कार्य मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** बड़वारा विधानसभा में हितग्राही मूलक एवं अन्य योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। योजनाओं के नियम/निर्देश और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ख)** बड़वारा विधानसभा अंतर्गत विकासखंड बड़वारा एवं विकासखंड ढीमरखेड़ा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। नियम/निर्देश में उल्लेखित है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'य' अनुसार** है।

राशि का आवंटन
[जनजातीय कार्य]

15. परि.अता.प्र.सं. 82 (क्र. 1753) श्रीमती अनुभा मुंजारे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** समस्त बालाघाट जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु किस दिनांक को मध्यप्रदेश शासन या केंद्र शासन द्वारा आवंटित हुई? उक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य हेतु किन-किन कार्य एजेंसी को कितनी राशि का भुगतान किस माध्यम से किया गया? निविदा प्रकाशन किये गए विज्ञापन तथा निविदकारों को दिए गए कार्यादेश की प्रति सहित समस्त बिल वाउचरों की प्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण किये गए, कितने अपूर्ण हैं? बगैर विज्ञापन निकाले कितने कार्य मेन्युअल आधार पर प्रदान किए गए? दिनांकवार सूची उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या शासकीय कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट में पूर्व में पदस्थ प्राचार्य जिन्हें सस्पेंड भी किया गया था के विरुद्ध गंभीर शिकायत विगत 5 वर्षों से प्राप्त हो रही थी? शिकायतों का निराकरण किस आधार पर किस अधिकारी के द्वारा किया गया? शिकायतों की प्रति एवं दस्तावेज उपलब्ध करायें। **(घ)** शासकीय कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट में विगत 5 वर्षों में प्रश्न दिनांक तक आय-व्यय का ब्यौरा

बिल वाउचर सहित उपलब्ध करावें। साथ ही छात्रावास अधीक्षक के विगत 3 वर्षों के आय-व्यय के संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध करावें।

जनजातीय कार्य मंत्री : [***(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** बालाघाट जिले मे वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक मध्यप्रदेश शासन/केन्द्र शासन द्वारा प्राप्त राशि का दिनांकवार विवरण तथा उक्त राशि से कराये गये कार्यो की जानकारी एवं एजेंसी को किये गये भुगतान की सम्पूर्ण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट द्वारा निविदा प्रकाशन विज्ञापन तथा निविदाकारों को दिये गये कार्यादेश एवं समस्त बिल वाउचरों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश (क) में उल्लेखित कार्यों में से पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट द्वारा बगैर विज्ञापन निकाले कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। **(ग)** जी हाँ, शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में पूर्व में पदस्थ प्राचार्य श्री वाय. के डोंगरे को अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया था। इनके विरूद्ध विगत 5 वर्षो में जिला कार्यालय में प्राप्त 03 गंभीर शिकायतों के संबंध में वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर प्रेषित किया गया, जिसका निराकरण कमिश्नर जबलपुर संभाग जवलपुर के द्वारा किया गया है। उनसे संबंधित शिकायतों की प्रति एवं अन्य दस्तावेज **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन, चार एवं पाँच अनुसार** है। **(घ)** शासकीय कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 का आय-व्यय का ब्यौरा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-छः अनुसार** है। शासकीय कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट में एक ही खाता संचालित है, छात्रावास मद का पृथक से कोई बैंक खाता संचालित नहीं है। अत: छात्रावास अधीक्षक के वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के आय-व्यय के दस्तावेज की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-छः अनुसार** है। शासकीय कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट के वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-2022 वित्तीय अभिलेख शासकीय कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट के पूर्व प्राचार्य श्री वाय.के. डोंगरे द्वारा प्रभार में नहीं सोंपे जाने के कारण संस्था में उपलब्ध नहीं है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2911, दिनांक 03.08.2022, पत्र क्रमांक 1475, दिनांक 11.04.2023 तथा पत्र क्रमांक 2143,दिनांक 19.06.2024 के द्वारा तत्कालीन प्राचार्य श्री वाय.के. डोंगरे (वर्तमान मे पदस्थ प्राचार्य शासकीय कन्या शिक्षा परिसर चटुवामार मण्डला) को शासकीय कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट के वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के वित्तीय अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-सात अनुसार है।** पत्र क्रमांक 2911 दिनांक 03.08.2022, पत्र क्रमांक 1475 दिनांक 11.04.2023 तथा पत्र क्रमांक 2143 दिनांक 19.06.2024 के द्वारा तत्कालीन प्राचार्य श्री वाय.के.डोंगरे (वर्तमान में पदस्थ- प्राचार्य शास.कन्या शिक्षा परिसर चटुवामार मण्डला) को शासकीय कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट के वर्ष 2019-20, 2020-21 एव 2121-22 के वित्तीय अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-सात अनुसार** है।

दिनांक 8 जुलाई, 2024

मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 अंतर्गत मामलों का निराकरण
[सहकारिता]

16. अता.प्र.सं.49 (क्र. 1431) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 के अनुसार सहकारिता विभाग आदेश क्रमांक 1766 दिनांक 4/8/22 द्वारा प्रमुख सचिव सहकारिता की अध्यक्षता में आंतरिक शिकायत निवारण समिति गठित की गई है? यदि हाँ, तो गठन के बाद कब-कब मीटिंग आयोजित की गई, किन-किन प्रकरणों को न्यायालय जाने के पूर्व निराकृत किया? **(ख)** तिलहन संघ कर्मियों से संबंधित कितने प्रकरण विभाग के संज्ञान में है, कौन-कौन से प्रकरण शासन को प्रेषित है, विवरण दें, क्या SLP 31673/2011 आदेश दिनांक 15/4/2013 सेवायुक्तों के पक्ष में प्रकरण खारिज किया है? यदि हाँ, तो अनावश्यक अपीलीय/अदालतीय व्यय विभाग क्यों कर रहा है? **(ग)** क्या तिलहन संघ कर्मी अतिशेष घोषित थे? यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति दें। शासन व सहकारिता में प्रतिनियुक्ति/संविलियत को पांचवा वेतनमान लाभ की पात्रता है यदि हाँ, तो आदेश की छायाप्रति दें, यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करेंगे? **(घ)** क्या तिलहन संघ की बोर्ड मीटिंग में, कर्मियों को पांचवें वेतनमान संबंधी प्रस्ताव पारित किया था? यदि हाँ, तो इसकी छायाप्रति देंगे? क्या पंजीयक ने प्रस्ताव को अमान्य किया था, अभिलेख, प्रमाण सहित स्पष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [***(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)*** *कुल 110 प्रकरण,* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार,*** *जी हाँ, शासन के पक्ष को स्पष्ट करने के लिये प्रति उत्तर दिया जाता है, कोई अनावश्यक व्यय नहीं किया जा रहा है।* ***(ग)*** *जी नहीं। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार। तिलहन संघ के परिसमापनाधीन होने के कारण।* ***(घ)*** *जी हाँ। तिलहन संघ के संचालक मंडल की बैठक दिनांक 14/10/1998 में विषय क्र. 15 (ब) के अंतर्गत प्रश्नांकित प्रस्ताव पारित किया गया था,* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार,*** *जी हाँ, कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म.प्र. के पत्र क्र./विप./ते.प्र./29/99/28 दिनांक 06/01/1999 के द्वारा प्रस्ताव अमान्य किया गया था,* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।*** **]**
(क) आयुक्त सहकारिता के कार्यालयीन पत्र क्रमांक /स्था/9-कोर्ट/2020/1766 दिनांक 04-08-2020 के द्वारा विभाग के पत्र क्रमांक 886/87/2020/15-2 दिनांक 09-07-2020 से राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 हेतु गठित शिकायत निवारण समिति के संबंध में समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को अवगत कराने हेतु प्रदेश के समस्त संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त सहकारिता को निर्देशित किया गया था, राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 के अंतर्गत कोई प्रकरण प्राप्त न होने से समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 9 जुलाई, 2024

अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार
[गृह]

17. अता.प्र.सं.56 (क्र. 2118) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 21 (2) 7 के प्रावधान अनुसार एवं 2017 से 2024 तक प्रतिवर्ष किस-किस जिले के किस-किस थाने के कितने क्षेत्रों की सूची बनाई गयी प्रत्येक क्षेत्र को जोड़ने के पंजीबद्ध अपराध की संख्या धारा सहित शीर्ष सहित बतावें तथा यह सही है कि 2017 में ऐसे 46 क्षेत्र 2021 में बढ़कर 69 क्षेत्र हो गये। **(ख)** प्रश्नांश (क) में जिन क्षेत्रों को सूची में किस वर्ष में जोड़ा गया उसके बाद के वर्षों में उस क्षेत्र में पजीबंद्ध अपराध की शीर्ष अनुसार धारा अनुसार जानकारी दें तथा बतावें कि उस क्षेत्र, किस-किस क्षेत्र को सूची में शामिल करने के बाद वहां किस शीर्ष के अपराध में कितनी कमी या वृद्धि हुई। **(ग)** अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के पंजीबद्ध अपराधों की शीर्षवार, धारा अनुसार वर्ष 2014 से 2023 तथा मई 2024 तक की सूची देवें तथा बतावें की इनमें से कितने अपराध को जघन्य, सनसनीखेज तथा जघन्य अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। **(घ)** क्या यह सही है कि अनुसूचित जनजाति वर्ष 2016 में कुल 5025 अत्याचार के प्रकरण 2022 में बढ़कर 8293 हो गये तथा महिलाओं से बलात्कार प्रकरण 474 से बढ़कर 593 हो गये, यदि हाँ तो बतावें कि क्या शासन अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार रोकने में असफल रहा है?

मुख्यमंत्री : [*(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। वर्ष 2017 में परिलक्षित क्षेत्रों की संख्या 45 थी जो वर्ष 2021 में बढ़ाकर 69 हो गये है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार। (घ)** यह सही है नहीं कि, अनुसूचित जनजाति वर्ष 2016 में कुल 5025 प्रकरण थे जो वर्ष 2022 में बढ़कर 8293 हो गये तथा महिलाओं से बलात्कार के प्रकरण 474 से बढ़कर 593 हो गये है वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि वर्ष 2016 में कुल 1940 प्रकरण थे जो वर्श 2022 में 3210 हो गये तथा महिलाओं से बलात्कार के प्रकरण वर्ष 2016 में 406 कुल प्रकरण थे जो वर्श 2022 में 449 हो गये। यह कहना सही नहीं है कि, शासन अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार रोकने में असफल रहा है। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि अधिक अपराध घटित होने वाले क्षेत्रो में हॉटस्पॉट चिन्हित कर लगातार भ्रमण कार्यक्रम, सजायाबी की दर बढ़ाने के लिए साक्षी संरक्षण योजना एवं अधिक बालानी दर के कारण वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में प्रत्येक शीर्ष में कमी परिलक्षित होकर अपराधों की सख्या में लगभग 8 प्रतिशत की कमी आई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार** है।

सहायक जिला आबकारी अधिकारियों की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]

18. अता.प्र.सं.74 (क्र. 2266) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश के जिला सिवनी, जबलपुर व छतरपुर में जिलों में पदस्थ आबकारी उपनिरीक्षक व सहायक जिला आबकारी अधिकारियों को अन्यत्र जिला स्थानांतरित करने हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों व संघठनो द्वारा शासन/विभाग को कोई पत्र लिखा गया हैं? यदि हाँ तो उसकी जानकारी देवें। क्या शासन/विभाग द्वारा इस पर कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक कि जावेंगी? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित जिलों में पदस्थ अधिकारियों को इसके पूर्व उसी

जिले में लगभग 10-15 वर्षों तक पदस्थ रहने व अन्य शिकायतों के कारण अन्यत्र जिला स्थानांतरित किया गया था? यदि हाँ तो कब व उन्हें पुनः उसी जिले में पदस्थ करने का क्या कारण है? क्या यह शासन की स्थानांतरण नीति के अनुकूल हैं? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक अन्यत्र जिला स्थानांतरित किया जावेगा? क्या उक्त जिलों में पदस्थ अधिकारियों का गृह जिला भी वही है? यदि हाँ तो क्या उन्हें गृह जिले में पदस्थ किया जा सकता है? यदि नहीं, तो कब तक अन्यत्र जिला पदस्थ किया जावेगा?

उप मुख्यमंत्री, वित्त : [***(क)*** *एवं* ***(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** जी हाँ। माननीय डॉ. ढालसिंह बिसेन, संसद सदस्य लोकसभा 15, बालाघाट मध्यप्रदेश के पत्र दिनांक 10.03.2024 एवं श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 22.03.2024 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। आबकारी आयुक्त से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार भारत निर्वाचन द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित जारी दिशा-निर्देश की कंडिका 3.2 एवं 5.4 का उल्लंघन नहीं होने से कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। **(ख)** प्रश्नांश (क) में वर्णित जिलों में पदस्थ अधिकारियों को इसके पूर्व उसी जिले में लगभग 10-15 वर्षों तक पदस्थ रहने संबंधी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-दो अनुसार** है तथा उक्त जिलों में पदस्थ अधिकारी अपने गृह जिले में पदस्थ नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

आयरन ओर की संचालित खदानों की जानकारी
[खनिज साधन]

19. परि.अता.प्र.सं. 68 (क्र. 2367) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के किन-किन जिलों में सबसे अधिक आयरन ओर पाया जाता है? इन जिलों में इस हेतु संचालित खदानों की जानकारी खसरा नंबर व खदान संचालक के नाम सहित उपलब्ध कराएं। वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक इन खदानों उत्खन्न किये गए आयरन ओर की मात्रा की भी जानकारी प्रदान करें। इनमें से सबसे अच्छा आयरन ओर कहाँ पाया जाता है? **(ख)** उक्त खदानों से निकाला जाने वाला आयरन ओर कहाँ-कहाँ सप्लाई किया जा रहा है? क्या यह सही है कि ज्यादातर आयरन ओर की सप्लाई छत्तीसगढ़ राज्य में की जा रही है? यदि हाँ तो राज्य को इससे होने वाली आय की जानकारी विगत 5 वर्ष के संबंध में देवें। **(ग)** क्या यह सही है कि अन्य राज्यों में आयरन ओर सप्लाई करने से लोहे में दो बार जी.एस.टी. और इंटर जी.एस.टी. लग रही है? यदि हाँ तो क्या म.प्र. में औद्योगिक क्षेत्रों में प्लांट लगाकर आयरन ओर से लोहा उत्पादन करने से यह जी.एस.टी. कम लगेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा? क्या इस हेतु विभाग द्वारा अन्य विभागों के साथ कोई पहल की गई है? यदि हाँ तो जानकारी देवें। **(घ)** क्या म.प्र. में इतनी अधिक मात्रा में मिलने वाले आयरन ओर और मंडला जिले में मिलने वाले डोलोमाइट का स्थानीय स्तर में उपयोग कर म.प्र. के औद्योगिक क्षेत्रों में प्लांट लगाकर लोहा उत्पादन करने पर विचार किया जा रहा है? यदि हाँ तो इस संबंध में की गई व की जा रही कार्यवाही से अवगत करावें। यदि नहीं, तो क्या भविष्य में इस हेतु कोई प्रयास किया जायेगा?

मुख्यमंत्री : [***(क)*** *प्रदेश में आयरन ओर जबलपुर, छतरपुर, सागर एवं कटनी में पाया जाता है। संचालित खदानों एवं वर्ष 2019 से उत्खनन आयरन ओर की मात्रा की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित*** *है। उल्लेखित जिलों में आयरन ओर औसत Fe 35% से 55% ग्रेड का आयरन ओर पाया जाता है।* ***(ख)*** *प्रदेश की खदानों से निकाला जाने वाला आयरन ओर प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, झारखण्ड, आन्ध्रप्रदेश, बिहार, उड़ीसा एवं कर्नाटक राज्यों में सप्लाई किया जाता है। यह कहना सही नहीं है कि ज्यादातर आयरन ओर की सप्लाई छत्तीसगढ़ राज्य में की जा रही है। राज्य को होने वाले राजस्व की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित*** *है।* ***(ग)*** *एवं* ***(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(ग)** प्रश्नांश अनुसार किसी वस्तु या सेवा की सप्लाई राज्य के बाहर होने पर उस पर आई.जी.एस.टी. निरूपित होता है तथा राज्य के भीतर सप्लाई होने पर एस.जी.एस.टी. तथा सी.जी.एस.टी. निरूपित होता है। आयरन ओर अन्य राज्य में सप्लाई करने से आई.जी.एस.टी. निरूपित होता है। मध्यप्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों में प्लांट लगाकर आयरन ओर से लौहा उत्पादन करने पर, लौहे की सप्लाई पर यदि राज्य के बाहर किया जाता है, तो तत्समय प्रचलित लौहे पर आई.जी.एस.टी. दर और यदि राज्य के भीतर किया जाता है, तो तत्समय प्रचलित एस.जी.एस.टी. तथा सी.जी.एस.टी. दर से कर निरूपित होगा। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नांश अनुसार औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदेश में वृहद श्रेणी की विभिन्न सेक्टर की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार सृजन हेतु वर्तमान में उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) लागू की गई है, जो कि मण्डला जिले में भी समान रूप से प्रभावशील है। उक्त नीति वृहद श्रेणी की आयरन ओर एवं डोलोमाईट से संबंधित उत्पाद के उत्पादन हेतु स्थापित होने वाले प्लांट/उद्योग पर भी प्रभावशील है।

विभागों के कार्यों का बाहरी मूल्यांकन
[सामान्य प्रशासन]

20. परि.अता.प्र.सं. 75 (क्र. 2413) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनसंकल्प-2013 का बिन्दु क्रमांक–19 क्या है एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा बैठक दिनांक 19/09/2015 से क्या निर्देश दिये गए और शासन/विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक–एफ-11-03/2016/1/9, दिनांक 04/02/2016 से विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों के बाहरी मूल्यांकन के क्या निर्देश दिये गए? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) निर्देशों का कटनी जिले के सभी शासकीय विभागों/कार्यालयों एवं स्थानीय निकायों द्वारा पालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो कैसे और विगत 05 वर्षों में विभाग/कार्यालय/निकायवार कार्यों के किए गए बाह्य मूल्यांकन के परिणामों से अवगत कराएं। यदि नहीं तो किन-किन विभागों/कार्यालयों एवं स्थानीय निकायों द्वारा और क्यों? **(ग)** क्या शासकीय विभागों/कार्यालयों एवं स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षण के बाह्य मूल्यांकन एवं सामाजिक अंकेक्षण का भी प्रावधान है? यदि हाँ, तो किन-किन अधिनियमों/नियमों से? इसके पालन के लिए कौन-कौन प्राधिकारी जिम्मेदार होता है? **(घ)** प्रश्नांश (ग) अनुसार क्या नियमों का कटनी जिले के सभी शासकीय विभागों/कार्यालयों एवं स्थानीय निकायों द्वारा पालन किया जा रहा है? यदि

हाँ, तो कैसे और विगत 05 वर्षों में विभाग/कार्यालय/निकायवार कार्यों/लेखा के बाह्य मूल्यांकन एवं सामाजिक अंकेक्षण के परिणामों से अवगत कराएं। यदि नहीं तो किन-किन विभागों/कार्यालयों एवं स्थानीय निकायों द्वारा और क्यों? **(ङ)** प्रश्नांश (क) से (घ) के तहत अधिनियमों/नियमों एवं शासनादेशों/विभागीय निर्देशों के बाद भी बाह्य मूल्यांकन एवं सामाजिक अंकेक्षण न करने के जिम्मेदार प्राधिकारियों पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [*(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। (ख) एवं (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ड.) जी नहीं, (क) से (घ) के संदर्भ में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>दिनांक 10 जुलाई, 2024</u>

बाढ़ एवं अतिवृष्टि से फसलों को हुई क्षति का मुआवजा
[राजस्व]

21. ता.प्र.सं. 25 (क्र. 2281) श्री ऋषि अग्रवाल : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2019-20 में अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन व उड़द एवं अन्य फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा कुल कितनी मुआवजा राशि स्वीकृत की गई थी? जिलेवार जानकारी देने की कृपा करें। **(ख)** क्या मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक सात/शा-8/2019/1580, दिनांक 17.11.2019 में किसानों की फसल क्षति हेतु स्वीकृत राशि का नियम अनुसार 25 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में वितरीत किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो कितनी राशि किसानों को भुगतान की गई? जिलेवार जानकारी प्रदान करें। **(ग)** क्या शेष राशि प्रदेश के किसानों को भुगतान कर दी गई है? यदि हाँ, तो कितनी राशि कितनी किस्तों में प्रदान की गई? जिलेवार, तहसीलवार सम्पूर्ण विवरण प्रदान करें। **(घ)** यदि फसल क्षतिपूर्ति की शेष राशि किसानों को अभी तक नहीं दी गई है तो क्यों तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा यह राशि किसानों को कब तक भुगतान की जायेगी? **(ड.)** उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में गुना जिले की बमोरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने ग्राम सम्मिलित किये गये थे? जहां मुआवजा राशि का वितरण किया गया? तहसीलवार, ग्रामवार, कृषकवार स्वीकृत राशि, भुगतान राशि व शेष राशि की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।

राजस्व मंत्री : [*(क) जानकारी संकलित की जा रही है।* *(ख)*] *पत्र क्रमांक सात/शा-8/2019/1580, दिनांक 27.11.2019 द्वारा जिला खरगौन, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, बैतूल, भोपाल, हरदा, सीहोर, छतरपुर, देवास, टीकमगढ़, उज्जैन, गुना, रायसेन, अशोकनगर, रतलाम, दमोह, होशंगाबाद, पन्ना, खण्डवा, निवाड़ी, सागर, धार एवं नरसिंहपुर को फसल क्षति के प्रकरणों में स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में वितरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे।* ***(ग)*** *जी नहीं।* ***(घ)*** *वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की सीमा में शासन के निर्णय अनुसार ही भुगतान किया गया है।*

(ड.) जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** वर्ष 2019-20 में अतिवृष्टि के कारण फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु स्वीकृत राहत राशि (मुआवजा) की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। (ड.)** गुना जिले की बमोरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 417 ग्रामों के 70294 कृषकों को शासन निर्देशानुसार 25 प्रतिशत के मान से कुल स्वीकृत राशि में से 8,07,45,176/- रूपये का भुगतान तत्समय किया जा चुका है। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है।**

शिक्षकों की अनुकंपा नियुक्ति एवं पेंशन
[स्कूल शिक्षा]

22. अता.प्र.सं.110 (क्र. 2573) श्री राजेन्द्र भारती : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ष 1998-99 से कार्यरत शिक्षाकर्मियों की वर्ष 2007 में अध्यापक संवर्ग एवं वर्ष 2018 में नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्त करके क्या वरिष्ठता एवं पुरानी पेंशन की पात्रता समाप्त कर दी है? यदि हाँ, तो क्यों? कारण बतायें और नहीं तो इनकी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता एवं पुरानी पेंशन प्रदान करने के आदेश कब तक जारी किये जायेंगे? **(ख)** क्या म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत विद्यालयों में वर्ष 1998-99 एवं उसके पश्चात नियुक्त शिक्षाकर्मियों/संविदा शाला शिक्षकों/अध्यापकों/नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति पश्चात एन.पी.एस. के अंतर्गत पेंशन और ग्रेच्युटी राशि प्रदान की जा रही है? दतिया जिले में 1998 से 2004 तक भर्ती के बाद समस्त सेवानिवृत्ति शिक्षकों को प्रदाय की जा रही एन.पी.एस. पेंशन की राशि और ग्रेच्युटी आदेशों की जिलेवार सूची प्रदान करें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं और किस आदेश द्वारा? क्या प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को सेवानिवृत्त होने के बाद पात्रता के बाद भी ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो क्यों और ग्रेच्युटी राशि प्रदान न करने के दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक? **(ग)** प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा विभाग में के समय निधन होने वाले अध्यापक संवर्ग एवं नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है यदि हाँ, तो उक्ताशय के आदेश की प्रति/प्रतियां प्रदान करें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं कारण सहित बतायें। दतिया जिले में शिक्षा विभाग में कितने अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण लंबित है? कारण सहित सूची प्रदान करें। **(घ)** प्रदेश के अध्यापक संवर्ग/नवीन शिक्षक संवर्ग के मृत शिक्षकों के ऐसे परिजन जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, उनकी मानवीय आधार पर शासन शिक्षक पद पर अथवा अन्य पद पर अनुकंपा नियुक्ति करेंगा यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं? प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत दतिया जिले के जिला शिक्षा केन्द्र समग्र शिक्षा अभियान द्वारा जनवरी 2015 से दिसंबर 2023 तक क्या-क्या सामग्री कार्यालय एवं विद्यालयों के लिये क्रय की गई और किस आदेश के क्रम में क्रय की गई सामग्री की सत्रवार सूची एवं क्रय करने के शासनादेश आदेश की प्रति प्रदान करें।

परिवहन मंत्री : [***(क)*** *"मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम- 2018" के अन्तर्गत नियुक्त लोक सेवकों की वरष्ठिता उक्त नियमों के नियम-17 (1) अनुसार निर्धारित होगी। स्थानीय निकाय में कार्यरत लोक सेवक/अध्यपक सवर्ग के लोक सेवक जो 2018 के*

नियमों के तहत नवीन संवर्ग में नियुक्त है, के लिए अप्रैल 2011 से नवीन पेंशन योजना प्रभावी हैं। ***(ख)*** *जी नहीं। केवल एन.पी.एस. के अंतर्गत पेंशन राशि का प्रावधान हैं।* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 अनुसार*** *सेवानिवृत्ति/मृत्यु होने पर भुगतान सीधे संबंधित के खाते में कर दिया जाता हैं। एन.पी.एस. पेंशन की राशि का निर्धारण एन्युटी खरीदने पर होता हैं। जिसका अभिलेख संधारण, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी में नहीं होने से पेंशन की राशि का उल्लेख करना संभव नहीं हैं। नवीन संवर्ग के लोक सेवकों को नियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम शासकीय सेवा अवधि पूर्ण करने पर ग्रेच्युटी की पात्रता होती हैं। दतिया जिले में ग्रेच्युटी प्रदान करने के संबंध में* ***जानकारी एकत्रित की जा रही*** *है।* ***(ग)*** *जी हाँ। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29 सितम्बर, 2014 एवं 27 मार्च, 2023 तथा समसंख्यक विभागीय निर्देश दिनांक 09.12.2014, 06.08.2015, 18.04.2017, 01.02.2021, 14.02.2023, 21.02.2023 प्रतियां* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर*** *है। दतिया जिलान्तर्गत अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण की सूची* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर*** *है।* ***(घ)*** *उत्तरांश (ग) में वर्णित नियम/निर्देशों के अनुक्रम में आवेदक द्वारा आवेदित पद के अनुक्रम में नियमानुसार कार्यवाही की जाती हैं। दतिया जिला अंतर्गत जिला शिक्षा केन्द्र समग्र शिक्षा अभियान की जनवरी 2015 से दिसम्बर 2023 तक की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार*** *है।* **] (ख)** शिक्षा अधिकारी दतिया के पत्र क्रमांक 4680, दिनांक 15.10.2024 द्वारा दतिया जिले के नवीन शैक्षणिक संवर्ग के सेवानिवृत्त/मृत लोक सेवकों को निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने पर *ग्रेच्युटी* भुगतान के निर्देश जारी किये गये हैं।

शासकीय स्कूलों में बच्चों की कमी एवं बंद स्कूल की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]

23. परि.अता.प्र.सं. 152 (क्र. 2884) श्री पंकज उपाध्याय : क्या परिवहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** स्कूल शिक्षा का वर्ष 2013 से 2023-24 का कुल बजट राशि (अनुपूरक सहित) का प्रावधान तथा व्यय की जानकारी दें तथा बतायें कि इस अवधि में कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 तथा 11 से 12 में शासकीय विद्यालयों में नामंकनांक कितना-कितना था। **(ख)** क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफारमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) में वर्ष 2017 में म.प्र का स्थान 2017-18 में 16वां था जो वर्ष 2020-21 में 28वां हो गया यदि हाँ, तो इसका कारण बतावें तथा लेटेस्ट (PGI) रिपोर्ट अनुसार म.प्र का स्थान बतावें तथा उस रिपोर्ट की प्रति देवें। **(ग)** प्रदेश में मई 2024 की स्थिति विभिन्न प्रकार के शासकीय स्कूलों की संख्या तथा उनमें से कितने-कितने स्कूलों में पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था खेल का मैदान छात्र-छात्राओं हेतु अलग-अलग टॉयलेट, टॉयलेट में नल से पानी की व्यवस्था, नल से हाथ धोने की व्यवस्था, पुस्तकालय नहीं है। **(घ)** शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों के ठहराव के लिये पिछले वर्षों में क्या-क्या कदम उठाये गये और उससे ठहराव में कितनी वृद्धि हुई तथा कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 तथा 11 से 12 में औसत उपस्थिति वर्षवार क्या रही तथा नामांकनांक में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि हुई। **(ड.)** वर्ष 2014-15 से 2023-24 प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कितने शासकीय स्कूल नए खुले और कितने स्कूल बंद हुए जानकारी देवें एवं स्कूल शिक्षा पर औसतन प्रतिवर्ष 25 से 30 हजार करोड़

खर्च करने के बाद भी परफारमेंस में निरंतर गिरावट क्या चिन्ता का विषय नहीं है क्या इस पर श्वेत पत्र जारी किया जायेगा?

परिवहन मंत्री : [***(क)*** *बजट एवं व्यय संबंधी* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–1*** *पर एवं नामांकन संबंधी* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर*** *है।* ***(ख)*** *जी हाँ। 2020-21 में कोविड– 19 संक्रमण के कारण विद्यालय बंद होने से प्रदर्शन प्रभावित हुआ। विभाग के द्वारा सुधार हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे है। जिसके कारण सत्र 2021–22 में म.प्र. 20 वें स्थान पर है।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– 3 पर*** *है।* ***(ग)*** *प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का सत्र 2023-24 का यू–डाईस डाटा का संकलन किया जा रहा है। कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यालयों की जानकारी निरंक है।* ***(घ)*** *स्कूल चले हम अभियान, गृह संपर्क अभियान, नि:शुल्क गणवेश, मध्यान्ह भोजन, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक, नि:शुल्क सायकिल वितरण एवं छात्रावासों की व्यवस्था से नामांकन एवं ठहराव वृद्धि हेतु प्रयास किये जा रहे है।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– 4 पर*** *है। वर्ष 2023-24 के नामांकन डाटा का संकलन भारत सरकार के यू-डाईस प्लस पोर्टल के माध्यम से कार्यवाही प्रचलन में है।* ***(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–5 पर*** *है। सत्र 2021 के नेशनल अचीवमेंट सर्वे (NAS) के अनुसार शैक्षणिक गुणवत्ता में म.प्र. का देश में 5वां स्थान रहा है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश का पीजीआई में स्थान 28 से बढ़कर 20 है। अत: यह कहना उचित नहीं होगा कि परफारमेंस में निरंतर गिरावट चिंता का विषय है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।*]

(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

<u>दिनांक 11 जुलाई, 2024</u>

नगरीय निकायों में निर्माण कार्यों की जानकारी
[नगरीय विकास एवं आवास]

24. परि.अता.प्र.सं. 84 (क्र. 2973) श्री महेश परमार : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिले के नगरीय निकायों पर कौन-कौन से शासन के अधिनियम, नियम, नीति, निर्देश लागू होते हैं? उनकी प्रति देवें एवं बतावें। **(ख)** उज्जैन जिले के नगरीय निकायों में विगत पांच वर्षों में कौन-कौन सी मद में कितनी-कितनी आय प्राप्त हुई? प्रत्येक मद का उपयोग किन-किन कार्यों के लिए किया जाता है? प्रत्येक मद में कितनी राशि विगत पांच वर्षों में खर्च हुई? वित्तीय प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति की कॉपी देवें। **(ग)** उज्जैन जिले में कितने कार्य आउटसोर्स कंपनी के द्वारा कराए गए? उनके नाम, पते, कार्यानुभव की सूची देते हुए अनुबंध की कॉपी देवें। **(घ)** उज्जैन जिले के नगरीय निकायों में कितने निर्माण कार्य विगत 5 वर्षों में किए गए हैं? उन कार्यों को किन-किन ठेकेदारों एजेंसियों को दिया गया है? उनके नाम, पते, स्थान की सूची एवं अनुबंध की कॉपी देवें। **(ड.)** विगत पांच वर्षों में किए निर्माण कार्य हेतु कितना-कितना भुगतान किस-किस एजेंसी को कब-कब दिया गया है? भुगतान के बिल वाउचर एवं कैश बुक की प्रमाणित प्रति देवें। **(च)** विगत 5 वर्षों में विभिन्न निधियों को खर्च करने के पूर्व कार्यों की स्वीकृति तथा

भुगतान के पूर्व बिल वाउचर देयक किन-किन सक्षम समितियों के द्वारा अनुमोदित किए गए? कार्यवाही का विवरण एजेंडा देवें। **(छ)** विगत पांच वर्षों में कितने फॉर एरिया रेशो सर्टिफिकेट कितने प्रकरणों में जारी किया गया है? उन सभी की कॉपी देवें तथा फॉर एरिया रेशो प्रावधान क्या है? प्रति देवें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (छ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** मध्यप्रदेश की समस्त नगरीय निकाय म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में वर्णित प्रावधानों के अंर्तगत प्रशासित होती है। उज्जैन जिले के नगरीय निकायों के लिए पृथक से कोई अधिनियम नहीं है। **(ख)** निकायवार जानकारी उज्जैन (भाग 1 से 3), नागदा (भाग-4), खाचरौद (भाग-5), महिदपुर (भाग-6), बड़नगर (भाग-7), तराना (भाग-8), उन्हेल (भाग-9) एवं माकडोन (भाग-10) **पुस्तकालय में रखे अनुसार** है। **(ग)** निकायवार जानकारी नागदा (भाग-4), खाचरौद (भाग-5), महिदपुर (भाग-6) एवं तराना (भाग-8) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे अनुसार** है। शेष उज्जैन, बड़नगर, उन्हेल एवं माकडोन की जानकारी निरंक है। **(घ)** निकायवार जानकारी उज्जैन (भाग 1 से 3), नागदा (भाग-4), खाचरौद (भाग-5), महिदपुर (भाग-6), बड़नगर (भाग-7), तराना (भाग-8), उन्हेल (भाग-9) एवं माकडोन (भाग-10) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे अनुसार** है। **(ड.)** निकायवार जानकारी उज्जैन (भाग 1 से 3), नागदा (भाग-4), खाचरौद (भाग-5), महिदपुर (भाग-6), बड़नगर (भाग-7), तराना (भाग-8), उन्हेल (भाग-9) एवं माकडोन (भाग-10) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे अनुसार** है। **(च)** निकायवार जानकारी उज्जैन (भाग 1 से 3), नागदा (भाग-4), खाचरौद (भाग-5), महिदपुर (भाग-6), बड़नगर (भाग-7), तराना (भाग-8), उन्हेल (भाग-9) एवं माकडोन (भाग-10) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे अनुसार** है। **(छ)** विगत पांच वर्षों में फॉर एरिया रेशू सर्टिफिकेट की जानकारी निरंक है। फॉर एरिया रेशू नियम की प्रति **पुस्तकालय में रखे अनुसार** है।

<u>दिनांक 12 जुलाई, 2024</u>

उपजाति खेरवा को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया जाना
[जनजातीय कार्य]

25. परि.अता.प्र.सं. 23 (क्र. 2054) श्री ऋषि अग्रवाल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश के खेरवार समाज अनुसूचित जनजाति के अतंर्गत आता है जिस कारण से खेरवा समाज को खेरवार की उपजाति मानते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल क्रमांक 58 से विलोपित कर दिया गया जिसकी अधिसूचना पत्र क्रमांक एफ 06-05/2013/54-1 दिनांक 09/08/2018 में जारी हो चुकी है? **(ख)** यदि हाँ, तो कलेक्टर गुना के पत्र क्रमांक एस.सी/9-20/2020 दिनांक 29/06/2020 एवं पत्र क्रमांक 510/एस.सी./9-20/2020 दिनांक 24/08/2020 के पत्रानुसार खेरवा को खेरवार की उपजाति मानते हुए खेरवा समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची

में शामिल कर लिया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं तो इन्हें कब तक शामिल कर लिया जायेगा ताकि इन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकें।

जनजातीय कार्य मंत्री : [*(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) अनुसुचित जाति तथा अनुसचित जनजातियॉ आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 एवं 2002 के तहत भारत सरकार द्वारा म.प्र. शासन के लिये जारी अनुसूचित जनजाति सूची में क्रमांक 22 पर खैरवार (khairwar) के साथ कोंदर (kondar) सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिये अनुसूचित जनजाति अधिसूचित है। इस सूची में क्रमांक 22 पर खैरवार, कोंदर के अलावा अन्य कोई जाति उल्लेखित नहीं है। खेरवा नाम से कोई जाति पिछड़ा वर्ग सूची में अधिसूचित नहीं है। अत: खेरवा को विलोपित करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.08.2018 द्वारा म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल क्रमांक 58 से खैरूवा जाति को विलोपित किया गया है। **(ख)** जी नहीं। कलेक्टर गुना के पत्र दिनांक 29/06/020 एवं 24/08/2020 खैरूवा जाति को अनुसूचित जनजाति सूची में सम्मिलित करने से संबंधित है न कि खेरवा जाति से संबंधित। खैरूवा जाति को म.प्र. राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किये जाने के संबंध में उल्लेख है कि खैरूवा जाति को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किये जाने संबंधी की गई मांग के परिप्रेक्ष्य में खैरूवा जाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन इंदिरा गांधी राष्टीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। उल्लेखनीय है कि किसी जाति या समूह को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किय जाने का अधिकार भारत सरकार को है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान
[वन]

26. परि.अता.प्र.सं. 54 (क्र. 2896) श्री राजेन्द्र भारती : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दतिया गिर्द सहित दतिया जिला में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होते है? यदि हाँ तो कृपया वन संरक्षण अधिनियम 1927 एवं 1980 को गजट (राजपत्र) प्रकाशित हुआ है। यदि हाँ तो वर्तमान में प्रकाशित एवं लागू गजट की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराये। क्या वर्ष 1943-44 में दतिया गिर्द के सभी सर्वे नम्बरों 5 से 1593, 12 से 1264, 3199 से 11, 2736 से 2895, 2869 से 3178, 2180 से 2436, 2438 से 2730, 1679 से 2179, 1434 से 2865, 2219 से 2747, 1802 से 2212, 2213 से 2509, 258 से 705, 1171 से 1373, 1666 से 1855, 1383 से 1657, 2459 से 3150, 2182 से 2443, 1 से 766, 793 से 1239, 1523 से 1758, 1244 से 1521, 1794 से 2265, 2172 से 2477, 3140 से 3212, 2490 से 3138, 48 से 1083, 1127 से 1293, 1509 से 1591, 1301 से 1407, 1779 से 2000, 1594 से 1778, 2313 से 2531, 3130 से 2255, 3126 से 3179, 2284 से 3123, 46 से 1405, 3181 से 3200, 1683 से 2656, 1802 से 2212, 1265 से 1801 में जंगल दर्ज है? यदि हाँ तो वर्तमान में प्रकाशित एवं लागू गजट की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराये। **(ख)** क्या विभाग द्वारा प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 46 (क्र. 1048) दिनांक 14.02.2024 के सभी बिन्दुओं के अंतर्गत जानबूझकर

जानकारी छुपाई गई है? यदि हाँ तो क्या यह सच है कि दतिया गिर्द स्थित भूमि सर्वे नं. 2467, 2468, 2469 **(ग)** के प्रश्न में कार्यवाही की गई थी। यदि हाँ तो कृपया जनहित में जानकारी उपलब्ध करायें। **(ग)** क्या वर्ष 1943-44 के खसरा के आधार पर भूमि सर्वे नम्बर तहसील सेवढ़ा, भाण्डेर, इन्दरगढ़ तथा जिले में कहां-कहां उपलब्ध है। कृपया खसरा की प्रति एवं वर्तमान प्रकाशित एवं लागू गजट प्रतिलिपियां उपलब्ध कराये। क्या दतिया गिर्द के अतिरिक्त भाण्डेर, सेवढ़ा, इन्दरगढ़ तहसील में 1943-44 के खतौनी में दर्ज नम्बरों की राजस्व विभाग द्वारा शासकीय दर्ज नम्बरों का दतिया गिर्द स्थित सर्वे नम्बर 2467, 2468, 2469 एवं 257 की भांति प्राइवेट जमीनों को शासकीय घोषित कर जंगल किया जायेगा यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों। कृपया कारण सहित बतायें।

वन मंत्री : [***(क)*** *जी हाँ। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का गजट (राजपत्र) प्रकाशित हुआ है, राजपत्र की प्रति* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर*** *है। वन संरक्षण अधिनियम, 1927 जैसा कोई अधिनियम नहीं है। वर्ष 1943-44 में दतिया गिर्द के सर्वे नम्बरों में दर्ज नोईयत के संबंध में कलेक्टर भू-अभिलेख जिला दतिया कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 376/भू-प्रबंधन/2024 दिनांक 19.06.2024 से अवगत कराया गया है कि ग्राम दतिया गिर्द का राजस्व रिकार्ड गायब है, जिसकी थाना कोतवाली, दतिया में एफ.आई.आर. क्रमांक 0319 दिनांक 03.10.2018 दर्ज कराई गई है, अतः प्रश्नाधीन सर्वे नंबर किस मद में दर्ज है बताना संभव नहीं है।* ***(ख)*** *जी नहीं। प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 1048 दिनांक 14.02.2024 का संशोधित पूर्ण उत्तर विभाग को प्राप्त हुआ है। जिसको विधान सभा सचिवालय को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।* ***(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (ग)** वर्ष 1943-44 की स्थिति में प्रश्नाधीन तहसीलों में भूमि सर्वे नम्बर उपलब्ध नहीं है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मांझी जनजाति को पिछड़ा वर्ग एवं जनजाति में विभक्त किया जाना
[जनजातीय कार्य]

27. अता.प्र.सं.83 (क्र. 2898) श्री राजेन्द्र भारती : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 1950-1951 एवं 1976 में संपूर्ण म.प्र. में मांझी में सम्मिलित केवट, भोई, ढ़ीमर, मल्हार जनजाति में है? यदि हाँ तो गजट एवं घोषित सूची उपलब्ध करायें। क्या यह भी सच है कि केवट, भोई, ढ़ीमर, मल्हार वर्ष 1984 में पिछड़ा वर्ग सूची में दर्ज है? यदि हाँ तो क्या जनजाति में घोषित और पिछड़ा वर्ग में घोषित उक्त एक समान जातियों को अलग-अलग जातियों में विभक्त किया गया? यदि हाँ तो क्यों? कृपया कारण सहित बतायें। **(ख)** क्या यह सच है कि वर्ष 1950-51 में विंध्यप्रदेश के जिले दतिया, टीकमगढ़, सीधी, शहडोल, सीधी, रीवा, छतरपुर, पन्ना में मांझी जनजाति को जनजाति सूची में 29वी जाति क्रमांक पर लिखा गया है। यदि हाँ तो क्या यह भी सच है कि वर्ष 2018-2019 में म.प्र. में जनजाति आयोग ने छानबीन समिति ने भी स्वीकार किया गया? यदि हाँ तो जानकारी देते हुये सूची एवं छानबीन समिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराये। **(ग)** क्या यह भी सच है कि कार्यालय कलेक्टर आदिम जाति कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/1942/अ. जा.ज./स्था./2001 दतिया, दिनांक 26/09/2001 के पत्र में मांझी जाति की संपूर्ण

म.प्र. में जनजाति होना स्वीकार किया गया है? यदि हाँ तो प्रतियां उपलब्ध करायें। **(घ)** क्या यह भी सच है कि प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) में उल्लेखित सूची 29वीं में जनजाति आयोग की छानबीन समिति तथा म.प्र. शासन वर्ष 1950-51 एवं 1976 के आदेशों के परिपालन में दतिया जिले मांझी जाति के अंतर्गत केवट, भोई, ढ़ीमर, मल्हार के व्यक्तियों एवं विद्यार्थियों की मांझी जाति का प्रमाण पत्र पूर्व में किये गये? यदि हाँ तो क्या विभाग दतिया जिले में पूर्व की भांति केवट, भोई, ढ़ीमर, मल्हार जाति के व्यक्तियों को मांझी जाति के प्रमाण-पत्र जारी करेगा? यदि हाँ तो कब से यदि नहीं तो क्या शासन को उक्त संबंध में गंभीरता पूर्वक विचार करते हुये समस्या का निराकरण करेगा? यदि हाँ तो कब तक?

जनजातीय कार्य मंत्री : [***(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** जी नहीं। अनुसूचित जनजाति सूची 1950, 1951 एवं 1976 की छायाप्रतियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है।** संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950-51 में मांझी (MAJHI) केवल विन्ध्य प्रदेश राज्य के लिये अनुसूचित जनजाति अधिसूचित की गई एवं अधिनियम 1976 के तहत भारत सरकार द्वारा म.प्र. राज्य के लिये जारी अनुसूचित जनजाति सूची में क्रमांक 29 पर मांझी (MAJHI) सम्पूर्ण म.प्र. के लिये अनुसूचित जनजाति मान्य है। जी हाँ। संवैधानिक सूचियों अनुसार मांझी (MAJHI) अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं केवट, भोई, ढीमर, मल्लाह न कि मल्हार (पिछड़ा वर्ग) दोनों पृथक-पृथक वर्ग की जातियां है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 एवं 1951 में भारत सरकार द्वारा PART VIII विन्ध्य प्रदेश राज्य के लिये जारी अनुसूचित जनजाति सूची में क्रमांक 07 पर मांझी (MAJHI) केवल विन्ध्य प्रदेश के लिये मान्य की गई। शासन द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा वर्ष 2018-19 में प्रस्तुत समिति प्रतिवेदन की छायाप्रति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है,** जिसमें अनुशंसा की गई है कि राज्य सरकार भारत सरकार से आग्रह करे कि धीवर/ढीमर/कहार/केवट/निशाद/ मल्लाह आदि जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में 'मांझी' जनजाति के समक्ष सम्मिलित की जाये एवं अधिसूचना जारी की जाये। तदानुसार उक्त अनुशंसा राज्य शासन के पत्र दिनांक 29.08.2018 द्वारा भारत सरकार को भेजी गई। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर उनके पत्र क्रमांक एफ 12016/14/2001 सी. एंड एल.एम., दिनांक 13 मार्च 2020 छायाप्रति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -3 अनुसार है** जिसके द्वारा प्रकरण अमान्य किया जा चुका है। **(ग)** प्रश्नांश (ग) के संबंध में कलेक्टर जिला दतिया का पत्र क्रमांक/ 1682 दिनांक 26.06.2024 द्वारा उत्तर जानकारी की प्रेषित की गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है। (घ)** कार्यालय कलेक्टर जनजातीय कार्य विभाग जिला दतिया से प्राप्त पत्र क्रमांक/आ.ज.क./वि.स./2024/1726 दिनांक 1/07/2024 की छायाप्रति संलग्न द्वारा प्राप्त जानकारी में उल्लेख है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दतिया/सेवढा/भाण्डेर के अनुसार जिले में मांझी जाति के अंतर्गत केवट, भोई, ढीमर, मल्हार के व्यक्तियों एवं विदयार्थियों को मांझी जाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये है। जी नहीं। अनुसुचित जनजाति मांझी (MAJHI) एवं पिछड़ा वर्ग सूची में मान्य ढीमर, भोई, कहार केवट मल्लाह न कि मल्हार(पिछड़ा वर्ग) दोनों पृथक-पृथक वर्ग की जातियां है, जिन्हें यथा वैधानिक स्थिति अनुसार लाभ पाने की पात्रता है। प्रश्नांश (ख) के उत्तर में

उल्लेखित भारत सरकार, के पत्र दिनांक 13 मार्च 2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। उल्लेखनीय यह भी है कि किसी जाति/समूह को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का क्षेत्राधिकार भारत सरकार को है एवं भारत सरकार द्वारा प्रश्नाधीन जातियों का प्रस्ताव अमान्य किया जा चुका है।

डूब क्षेत्र की भूमि में पौधारोपण
[वन]

28. परि.अता.प्र.सं. 57 (क्र. 2945) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 01 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा बिजावर विधानसभा में किये गये पौधा रोपण में किस रेंज के, किस बीट में, कितनी भूमि मे, कितने संख्या में पौधे रोपित किए गए? इन पौधों को किन-किन स्थानों से क्रय किया गया? विक्रेता का नाम, पता, क्रय संख्या, दर, भुगतान राशि की जानकारी प्रदाय करें? प्रश्न दिनांक तक बीट अनुसार कितने पौधे जीवित है। **(ख)** उक्त रोपण में गड्ढा खोदने में, पौधा लगाने तथा अन्य सामग्री (जैसे ट्रिगार्ड, खाद आदि) पर व्यय राशि का विवरण देवें। इन पौधों को लगाने के पश्चात देखभाल पानी देने आदि पर कुल व्यय की जानकारी राशि बीटवार प्रदाय करें। **(ग)** उक्त कार्यों के विभागीय मूल्यांकनकर्ता/सत्यापनकर्ता के नाम व पद सहित सूची देवें। **(घ)** क्या उक्त अवधि में केन बेतवा लिंक परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि पर भी पौधारोपण किया गया? हाँ तो किस स्थान पर, किस नियम तथा किस सक्षम अधिकारी की अनुमति से? **(ड.)** डूब क्षेत्र में नए पौधारोपण, कोई प्रोजेक्ट या निर्माण कार्य किए जाने के संबंध में शासन के क्या दिशा-निर्देश है।

वन मंत्री : [***(क)*** *01 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा बिजावर विधान सभा में किये गये पौधारोपण से संबंधित* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर*** *है। वृक्षारोपण हेतु पौधों का क्रय नहीं किया गया है। विभाग द्वारा संस्थापित सामाजिक वानिकी वृत्त सागर अंतर्गत स्थापित रोपणियों से पौधे प्राप्त कर रोपण किये गये। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ***(ख)*** *एवं* ***(ग)*** *जानकारी उत्तरांश "क" में है।* ***(घ)*** *प्रश्नांश अवधि में केन बेतवा लिंक परियोजना के डूब क्षेत्र की भूमि पर पौधारोपण नहीं किया गया है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ***(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(ड.)** उत्तरांश (घ) के अनुक्रम में केन बेतवा लिंक परियोजना में जिस प्रयोजन हेतु वनभूमि व्यपवर्तित की गई है उसी प्रयोजन में उपयोग की जानी है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित स्कूलों की जानकारी
[जनजातीय कार्य]

29. परि.अता.प्र.सं. 78 (क्र. 3090) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल तथा हायर

सेकेण्डरी स्कूल की वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक की संख्या बतावें। इन वर्षों में इन स्कूलों के लिये कितना-कितना बजट था तथा व्यय कितना किया गया? **(ख)** जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक तथा 9 से 12 तक विद्यार्थियों की संख्या कक्षावार वर्ष 2015-16 तथा 2022-23 की बतावें तथा किस अवधि में किस-किस कक्षा के कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, गणवेश (नगद राशि) पुस्तकें, सायकल एवं मध्यान्ह भोजन दिया गया?

जनजातीय कार्य मंत्री : [***(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है।**

दिनांक 15 जुलाई, 2024

मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना 2023
[सहकारिता]

30. अता.प्र.सं.9 (क्र. 657) सुश्री रामश्री (बहिन रामसिया भारती) राजपूत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं छतरपुर जिला छतरपुर को मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना 2023 में की गई आर्थिक अनियमितताओं तथा गबन के संबंध में प्रतिवेदन सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं छतरपुर द्वारा दिया गया था? **(ख)** क्या कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. विंध्याचल भवन भोपाल के पत्र क्र. साख/सी.बी-2/50/छतरपुर सी-2/50/छतरपुर/बि 2022/1047 भोपाल दिनांक 25/04/2022 के अनुसार दोषियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये यदि हाँ, तो क्यों? **(ग)** क्या आयुक्त सहकारिता विभाग के पत्र क्र./साख/2018/310 भोपाल दिनांक 02/02/2018 के तहत पत्र कलेक्टर छतरपुर को दिया गया यदि हाँ, तो कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक क्यों नहीं की गई?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ, ऋण नीति के विरूद्ध ऋण वितरण करने के कारण संबंधित समिति प्रबंधकों को पत्र दिनांक 13.02.2018 से सदैव के लिए लेन-देन से प्रतिबंधित किया गया था, जिसके विरूद्ध उनके द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में वाद दायर किये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आदेश दिनांक 19.02.2018 से संबंधित समिति प्रबंधकों के विरूद्ध कार्यवाही पर म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण के निगरानी प्रकरण क्र. आर-75/18 में निर्णय होने तक के लिए स्थगन दिया गया था। म.प्र. सहकारी अधिकरण द्वारा दिनांक 04.02.2022 निगरानी प्रकरण को खारिज करने के परिणामस्वरूप प्रकरण में जारी स्थगन समाप्त हो जाने के कारण कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये। **(ग)** जी हाँ, आयुक्त सहकारिता द्वारा जारी पत्र पर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पत्र क्रमांक 88 दिनांक 07.02.2018 से पुलिस अधीक्षक जिला छतरपुर को दोषियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने तथा रिकार्ड जप्ती हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, पत्र क्रमांक 87 दिनांक 07.02.2018 से उपायुक्त सहकारिता जिला छतरपुर को तथा पत्र क्रमांक 89 दिनांक 07.02.2018 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक

छतरपुर को दोषियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने तथा अनियमितताओं में संलिप्त समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। बैंक द्वारा दोषियों के विरूद्ध पुलिस थाना बड़ामलहरा जिला छतरपुर में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई एवं उनके विरूद्ध विभागीय जाँच कार्यवाही संस्थित की गई। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 917 ए दिनांक 21.07.2024 से श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तत्कालीन शाखा प्रभारी शाखा बड़ामलहरा एवं आदेश क्रमांक 1625 दिनांक 16.12.2023 से श्री कृष्णपाल सिंह प्रभारी लिपिक बैंक शाखा बड़ामलहरा की सेवाएँ समाप्त की गई।

शासकीय नवीन महाविद्यालय की स्थापना
[उच्च शिक्षा]

31. अता.प्र.सं.18 (क्र. 1409) श्री निलेश पुसाराम उईके : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला पांढुर्णा में शासकीय नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु शासन/विभाग को स्थानीय जनप्रतिनिधियों/जनों द्वारा कोई पत्र/ज्ञापन प्राप्त हुए है? यदि हाँ तो उनकी जानकारी व उन पर शासन/विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? **(ख)** क्या प्रदेश के जिला पांढुर्णा में शासन/विभाग स्तर में शासकीय नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु कोई विचार/प्रस्ताव लंबित हैं? यदि हाँ, तो उस पर कब तक निर्णय लिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्या नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु शासन/विभाग विचार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? **(ग)** क्या प्रदेश के जिला पांढुर्णा व सिवनी में संचालित अशासकीय महाविद्यालय शासन/ विभाग की निर्धारित शर्तों/अनुबंधों को पूर्ण कर संचालित हो रहे है? यदि हाँ, तो विभाग/शासन द्वारा कब-कब इस बाबत् परीक्षण किया गया उसकी परीक्षण रिपोर्ट क्या है? इन जिलो में संचालित अशासकीय महाविद्यालयों की सूची (विभागीय अनुमति व शर्तों सहित) देवें।

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क)*** *जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।* ***(ख)*** *जी हाँ। सी.एम. मॉनिट "बी" 237/सीएमएस/एमएलए/128/2024, 16.02.2024 द्वारा विधानसभा क्षेत्र पांढुर्णा के ग्राम पाठई में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है। लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं की गई। वर्तमान में* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** *समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।* ***(ग)*** *जी हाँ। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान करने से पूर्व निरीक्षण/परीक्षण की कार्यवाही की जाती है।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट"1" अनुसार है।*** *इन जिलों में संचालित अशासकीय महाविद्यालयों की सूची* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट"2" अनुसार है।*** *अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने संबंधी मार्गदर्शिका की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट"3" अनुसार है।*** **]**

(ख) जी हाँ। सीएम मॉनिट "बी" 237/सीएमएस/एमएलए/128/2024, दिनांक 16.02.2024 द्वारा विधानसभा क्षेत्र पांढुर्णा अंतर्गत ग्राम पाठई में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने संबंधी निर्धारित विभागीय मापदण्डों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत ग्राम पाठई जिला पांढुर्णा में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सहित मंत्रि-परिषद् संक्षेपिका तैयार

की गई है जो शीघ्र अभिमत हेतु वित्त विभाग को प्रेषित की जा रही है। वित्त विभाग के अभिमत एवं मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी। निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

सी.ई.ओ. एवं बी.डी.ओ. पर नियम विरूद्ध पदस्थापना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

32. परि.अता.प्र.सं. 60 (क्र. 3227) श्रीमती मनीषा सिंह : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. राज्य के 89 जनजातीय विकासखण्डों की जनपद पंचायतों में सी.ई.ओ./बी.डी.ओ. के पद पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा स्वीकृत है? यदि हाँ, तो दोनों पदों के स्वीकृत आदेशों की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें तथा वर्ष 2018 के पश्चात 89 जनजातीय विकासखण्डों की जनपद पंचायतों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उक्त दोनों पदों पर की गई सभी पदस्थापना आदेशों का संपूर्ण ब्यौरा दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) संबंध में क्या संवैधानिक व्यवस्था अनुच्छेद 164 (1) के तहत तथा शेड्युल एरिया में निवासरत अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण एवं विकास के लिये गठित विशेष विभाग (जनजातीय कार्य विभाग) तथा वर्गों के लोगों के लिये नीति निर्धारण एवं किसी भी प्रकार से नीतिगत संशोधन के लिये म.प्र. राज्य आदिवासी मंत्रणा परिषद का निर्णय एवं महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति अनिवार्य है? यदि हाँ, तो 89 जनजातीय विकासखण्डों में जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा स्वीकृत सी.ई.ओ. एवं बी.डी.ओ. के पदों पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पदस्थापना किये जाने बावत् मंत्रणा परिषद का निर्णय एवं महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति/आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें? **(ग)** प्रश्नांश (ख) यदि नहीं, हो तो किस आधार पर जनजातीय कार्य विभाग के स्वीकृत सी.ई.ओ. एवं बी.डी.ओ. (89 जनपद पंचायतों) के पदों पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2018 के पश्चात् नियम विरूद्ध तरीके से संवैधानिक व्यवस्था के प्रतिकूल पदस्थापना की कार्यवाही की गई है? ऐसे नियम विरूद्ध एवं प्रशासनिक अराजकता पूर्ण की गई सभी पदस्थापना आदेश क्या निरस्त किए जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संबंध में सम्पूर्ण नियम विरूद्ध कार्यवाही के लिए कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी और कब-तक?

पंचायत मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** जी नहीं। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। **(ख)** संवैधानिक व्यवस्था अनुच्छेद 164(1) एवं मध्य प्रदेश राज्य आदिवासी मंत्रणा परिषद की नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 1281/2006 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 14084/2019 में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र की जनपद पंचायतों में पदस्थापना की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** उत्तरांश (ग) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

तिलहन संघ संचालक मण्डल की बैठक में पारित प्रस्ताव
[सहकारिता]

33. परि.अता.प्र.सं. 67 (क्र. 3399) श्री प्रदीप पटेल : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र.राज्य तिलहन संघ की प्रबंधकारिणी समिति/संचालक मंडल की बैठक वर्ष 1997 से वर्ष 2000 के मध्य हुई, यदि हुई हो तो कब तक? पारित प्रस्तावों की छायाप्रति देंगे? कौन-कौन से प्रस्ताव आयुक्त सहकारिता के पास अनुरोध हेतु भेजा गया। **(ख)** विधान सभा प्रश्न क्रमांक 753 उत्तर दिनांक 21.12.2021 में कहा गया है कि तिलहन संघ के शासन में प्रतिनियुक्ति/स्थापना से वाणिज्यिक कर में संविलियत सेवायुक्तों को वेतन निर्धारण में पांचवा वेतनमान लाभ की पात्रता नहीं है, क्या सहकारिता विभाग इस उत्तर से सहमत है? यदि नहीं, तो यह भ्रम/विसंगति दूर करेंगे? स्पष्ट करेंगे क्या विभाग को मार्गदर्शन देंगे? **(ग)** क्या सहकारिता विभाग में पदस्थ प्रतिनियुक्ति सेवक वर्ष 2000 से 2005 अवधि में कार्यरत रहे को पांचवा वेतनमान की पात्रता है? यदि है तो आदेश की छायाप्रति देंगे। क्या इन्हें राज्य कर्मियों को स्वीकृत पांचवा वेतनमान लाभ अनुसार देंगे या संविलियन नीति अनुसार दें? **(घ)** तिलहन संघ के संविलियत सेवायुक्त जो 2025 से 2030 तक सेवानिवृत्त होंगे में से किन-किन को ग्रेच्युटी अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया गया नाम, पद, विभाग राशि/भुगतान दिनांक बताएंगे? तिलहन संघ में ही कार्यरत रहकर वर्ष 2015 से 2019 तक अवधि में सेवानिवृत्त किन-किन को ग्रेच्युटी अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया गया?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [***(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** *(ख) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा विधानसभा प्रश्न क्रमांक 753 दिनांक 21.12.2021 में दिये गये उत्तर का परीक्षण सहकारिता विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित नहीं।* ***(ग)*** *सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही की गई, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ***(घ)*** *तिलहन संघ के संविलियत सेवायुक्त जो 2025 से 2030 तक सेवानिवृत्त होंगे, उनको ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण का भुगतान सेवानिवृत्ति उपरांत ही किया जा सकेगा। सेवानिवृत्ति के पूर्व जानकारी दिया जाना संभव नहीं। शेष प्रश्नांश की* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** वर्ष 1997 से वर्ष 2000 के मध्य तिलहन संघ की प्रबंधकारिणी समिति/संचालक मंडल की बैठक में पारित प्रस्तावों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है**। तिलहन संघ के स्तर पर उपलब्ध जानकारी अनुसार आयुक्त सहकारिता को प्रेषित प्रस्ताव की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है। (घ)** तिलहन संघ के संविलियत सेवायुक्त जो 2025 से 2030 तक सेवानिवृत्त होंगे, उनमें से 117 कर्मियों के ग्रेच्यूटी, अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष बचे सेवायुक्तों को तिलहन संघ में प्राथमिकता क्रम में राशि की उपलब्धता होने पर देय स्वत्वों का भुगतान किया जा सकेगा, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 03 अनुसार है।** शेष प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 04 अनुसार है।**

किसानों के ब्याज माफी की राशि में अनियमितता

[सहकारिता]

34. अता.प्र.सं.81 (क्र. 3405) श्रीमती ललिता यादव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक छतरपुर के अंतर्गत 113 सेवा सहकारी समितियों ने किसानों को ब्याज माफी के लिए वर्ष 2022-23 में क्लेम के बदले कितनी राशि शासन द्वारा दी गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) के प्रकाश में प्राप्त राशि का वितरण किस-किस सेवा सहकारी समिति को कितनी-कितनी राशि मांग के बदले दिया गया? समिति का नाम, राशि, दिनांक सहित बतायें। **(ग)** ब्याज माफी राशि का लाभ किस-किस किसान को प्राप्त हुआ? समिति का नाम, किसानों की सूची, किसान का खाता नं., मोबाइल नं व माफ किए गए ब्याज की राशि की जानकारी समितिवार पृथक-पृथक बताएं। **(घ)** ब्याज माफी के लिए प्राप्त राशि में अनियमितताओं की शिकायतों पर अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी समितिवार दोषीजन सहित बतायें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [*(क) एवं* ***(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)*** *अनियमितताओं की शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है।***] **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 (क) अनुसार है।**

सहकारी समितियों में अनिमितताओं की जांच

[सहकारिता]

35. अता.प्र.सं.104 (क्र. 3525) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सरकार को छतरपुर जिले की सहकारी समितियों के द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी, बिना जानकारी के लोन लेने, रिकार्ड संधारण आदि के संबंध में कोई शिकायत विगत 05 वर्षों में मिली थी? **(ख)** यदि हाँ, तो किन-किन समितियों की क्या-क्या शिकायत प्राप्त हुई? इन शिकायतों के आधार पर किन के विरूद्ध जांच कमेटी गठित की गई थी। **(ग)** जांच कमेटी की रिपोर्ट क्या थी? रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही हुई?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [*(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) जी हाँ। **(ख)** समितिवार शिकायतों की जानकारी एवं गठित जांच कमेटी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - अ अनुसार है। (ग)** समितिवार जांच कमेटी की रिपोर्ट एवं रिपोर्ट के आधार पर पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - ब अनुसार है।**

विभागीय संरचना एवं कार्यों की जानकारी

[आयुष]

36. परि.अता.प्र.सं. 88 (क्र. 3563) श्री उमाकांत शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग की विभागीय संरचना क्या है? छायाप्रति उपलब्ध करावें। विभाग के अंतर्गत कौन-कौन सी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय संस्थाएं, प्रशासनिक इकाइयां एवं संस्थाएं आदि सम्मिलित हैं? सभी के नाम और उक्त सभी संस्थाओं, इकाइयों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के नाम, सेवाकाल सहित संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग एवं विभाग के अंतर्गत संचालित सहकारी संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं, प्रशासनिक इकाइयों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्नांकित अवधि तक कौन-कौन सी योजनाओं में, किन-किन कार्यों एवं योजनाओं एवं अन्य कार्य हेतु विभिन्न मदों कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? योजनावार, मदवार, कार्य का नाम, कुल स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा, कार्यादेश सहित संस्थावार विकासखण्डवार विस्तृत जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में आवंटित राशि के विरूद्ध कितनी राशि व्यय की गई? कितनी राशि शेष है तथा शेष राशि का भुगतान कब तक दिया जावेगा? योजनावार, मदवार, कार्य के नाम सहित जानकारी देवें एवं छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(घ)** विभाग द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक कितनी सामग्री का क्रय किया? सामग्री के नाम सहित, कहाँ से सामग्री खरीदी गई? फर्म का नाम सहित भुगतान की राशि का विवरण वर्षवार, विकासखण्डवार देवें तथा कितनी सामग्री का वितरण किया गया? वितरित की गई सामग्री की जानकारी वर्षवार उपलब्ध करावें। वितरण एवं सामग्री क्रय में क्या अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? कौन-कौन दोषी पाये गये? उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जावेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" एवं "द" अनुसार**। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार**। (घ) क्रय की गई सामग्री विकासखण्डवार न किये जाकर संचालनालय स्तर से केन्द्रीयकृत रूप से क्रय की जाकर जिला स्तर पर प्रदाय की जाती है। क्रय की गई समस्त सामग्री जिलों के माध्यम से संबंधित औषधालयों/ चिकित्सालयों में प्रदाय की गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ई" अनुसार।** जी हाँ। शिकायत की जांच प्रचलन में है जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मनरेगा से अनुदान राशि का प्राप्त होना
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

37. अता.प्र.सं.128 (क्र. 3629) श्री हेमंत कटारे : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य शासन द्वारा 15वां वित्त की राशि से ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के लिये मनरेगा से निश्चित अनुपात में राशि जोड़कर विकास कार्य कराने की योजना प्रचलित है? यदि हाँ, तो इस योजना में मनरेगा से कितने प्रतिशत राशि जोड़े जाने का प्रावधान है? **(ख)** क्या सरपंचों एवं अधिकारियों की मिलीभगत से जनपद पंचायत अटेर, जिला भिण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कराये

गये 15वां वित्त की राशि के कार्यों में निर्धारित निश्चित अनुपात से तीन से चार गुना अधिक राशि जोड़कर (समायोजन) कर बड़े स्तर पर धांधली करने संबंधी शिकायतें पूर्व में विभाग को प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो कब, अगस्त, 2022 से प्रश्न दिनांक तक जिन प्रकरणों की शिकायत प्राप्त हुई शिकायत की वर्तमान स्थिति क्या है? शिकायतों का पूर्ण विवरण ग्राम पंचायत का नाम, कार्य, 15वां वित्त में स्वीकृत राशि, मनरेगा से समायोजित की गई राशि एवं उसका प्रतिशत, कार्य की वर्तमान स्थिति, भुगतान दिनांक आदि उपलब्ध कराएं **(ग)** क्या जनपद पंचायत अटेर अंतर्गत 15वां वित्त में स्वीकृत ग्राम पंचायत नायब के सुजानपुरा में एवं ग्राम पंचायत कोषढ़ अंतर्गत सामुदायिक भवनों के निर्माण में मनरेगा से समायोजित की राशि निश्चित अनुपात से अधिक थी? यदि हाँ, तो कार्यवार 15वां वित्त में स्वीकृत राशि, मनरेगा में समायोजित राशि के विवरण सहित पूर्ण जानकारी दी जाय। **(घ)** क्या उपरोक्त ग्राम पंचायतों में अधिकारियों की मिलीभगत से मनरेगा से समायोजन में निर्धारित निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में जोड़कर नियम विरूद्ध शासकीय राशि का भुगतान करने के संबंध में कौन दोषी है तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही कर राशि की वसूली करने की कार्यवाही की जायेगी? समय-सीमा बताई जाये।

पंचायत मंत्री : [***(क) से(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी हाँ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. के पत्र क्रमांक 6049/MGNREGSMP/NR-3/2018 भोपाल दिनांक 14.08.2018 द्वारा दिये गये प्रावधान अनुसार पंचायत भवन व आंगनवाड़ी भवन निर्माण में मनरेगा से 25% मजदूरी व 15% सामग्री मद इस प्रकार 40% राशि का अभिसरण किया गया है तथा सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण में 15% मजदूरी का प्रावधान है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जनपद पंचायत अटेर अंतर्गत 15वां वित्त में स्वीकृत ग्राम पंचायत नायब के सुजानपुरा में एवं ग्राम पंचायत कोषण अंतर्गत सामुदायिक भवनों के निर्माण कार्य मनरेगा अभिसरण से किये गये हैं, शासन द्वारा निर्धारित 266 अनुमत्य कार्यों की सूची में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य नहीं है। अत: उक्त कार्य गैर अनुमत्य होने से तत्कालीन सचिव, तत्कालीन सरपंच से उक्त कार्यों पर व्यय मनरेगा मद की अतिरिक्त राशि वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है। **(घ)** जी हाँ, ग्राम पंचायत नायब के ग्राम सुजानपुरा एवं कोषण में मनरेगा मद से अभिसरण कर तकनीकी प्राक्कलन जारी करने वाले कार्यपालन यंत्री एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने वाले मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अटेर को उक्त त्रुटि के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। प्रतिउत्तर प्राप्त होने के उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तावित की जावेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

पंचायतों में किये गये विकास कार्यों की जांच
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

38. अता.प्र.सं.172 (क्र. 3823) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 17 सदन में उत्तर देने का दिनांक 18.02.2019 के उत्तर में बताया गया है कि जांच वृहद होने के कारण प्रचलन में है, प्रश्न दिनांक तक जिन पंचायतों की जांच पूर्ण हो गई है, उनके जांच प्रतिवेदन, दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करायें। **(ख)** क्या यह सत्य है कि तत्कालीन, प्रमुख सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण

विकास विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर को भण्डार क्रय नियमों के विपरीत सोलर लाइट क्रय किये जाने की जांच के संबंध में पत्र क्रमांक 12442 दिनांक 26.10.2016 जारी किया गया था? यदि हाँ, तो रीवा के संबंधित पंचायतों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करायें।

पंचायत मंत्री : [*(क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।*] **(क)** प्रश्न दिनांक तक सोलर लाईट क्रय किये गये सभी 234 ग्राम पंचायतों की जांच पूर्ण हो गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– ''अ'' अनुसार** है। दोषियों के विरूद्ध धारा 89 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रचलन में है। **(ख)** जी हाँ। रीवा जिले के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सहायक यंत्री, खण्ड पंचायत अधिकारी एवं संबंधित पंचायत क्षेत्र के पंचायत समन्वय अधिकारी की समिति गठित की जाकर जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार 234 ग्राम पंचायतों में से 02 ग्राम पंचायत यथा:- ग्राम पंचायत हर्दी नं. 02 जनपद पंचायत रायपुर कर्चु. एवं ग्राम पंचायत सेनुआ जनपद पंचायत नईगढ़ी द्वारा निर्धारित दर से कम में सोलर लाईट क्रय की गयी है। शेष 232 ग्राम पंचायतों द्वारा सोलर लाईट क्रय में भण्डार क्रय नियमों एवं शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप सभी 232 ग्राम पंचायतों के तत्कालीन सरपंच एवं सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर धारा 89 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। 232 ग्राम पंचायतों में से 94 सचिवों एवं 29 सरपंचों द्वारा सम्पूर्ण वसूली योग्य राशि जमा की जा चुकी है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – ''ब'' अनुसार** है। शेष ग्राम पंचायतों से राशि वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।

<u>दिनांक 16 जुलाई, 2024</u>

लाड़ली बहना योजना की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]

39. परि.अता.प्र.सं. 5 (क्र. 324) श्री लखन घनघोरिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के तहत कुल कितनी-कितनी बहनों के खाते में माहवार कितनी-कितनी राशि जमा की गई है? कितनी बहनें योजना के लाभ से वंचित हैं? कितनी अपात्र बहनों के नाम योजना से पृथक किये गये एवं कितनी बहनों के नाम जोड़े गये हैं? जुलाई 2023 से जून 2024 तक की जिलावार एवं माहवार जानकारी दें। **(ख)** जिला जबलपुर में विधानसभा क्षेत्रवार कितनी-कितनी बहनों के खाते में कितनी-कितनी राशि जमा की गई? कितनी-कितनी अपात्र बहनों के नाम योजना से पृथक किये गये? कितनी-कितनी बहनों के नाम जोड़े गये? कितनी बहनें योजना के लाभ से वंचित हैं? माहवार जानकारी दें। **(ग)** योजना के तहत लाभान्वित पात्र बहनों की पात्रता का परीक्षण का आधार एवं इसका अधिकार किस स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया है? इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायकों व सांसद की क्या भूमिका निर्धारित की गई है एवं उन्हें अनुशंसा करने का क्या अधिकार है? **(घ)** पूर्व विधानसभा क्षेत्र क्र. 97 जबलपुर के तहत परियोजना पर्यवेक्षक सेक्टरवार कितनी बहनों को योजना का लाभ दिया गया है?

कितनी बहनें योजना के लाभ से वंचित है? क्या शासन इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : [*(क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर** है। योजनांतर्गत ऑनलाईन आवेदन पंजीयन कराने वाली समस्त पात्र महिलाओं को योजना से लाभांवित किया जा रहा है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर** है। शेष **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर** है। जिला जबलपुर में किसी भी लाभार्थी महिला को अपात्र किया जाकर योजना से पृथक नहीं किया गया है। शेष **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** योजनांतर्गत ऑनलाईन आवेदन पंजीयन कराने वाली समस्त पात्र महिलाओं को योजना से लाभांवित किया जा रहा है। **(ग)** योजना के प्रावधान **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 पर** है। **(घ)** योजनांतर्गत पंजीयन निकायवार कराये जाने के कारण विधानसभा क्षेत्र क्र. 97 जबलपुर में निकायवार लाभार्थी महिलाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 पर** है। योजनांतर्गत ऑनलाईन आवेदन पंजीयन **कराने वाली समस्त पात्र महिलाओं को योजना से लाभांवित किया जा रहा है, अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।***] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 पर** है। योजनांतर्गत ऑनलाईन आवेदन पंजीयन कराने वाली समस्त पात्र महिलाओं को योजना से लाभांवित किया जा रहा है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ पर** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर** है। जिला जबलपुर में किसी भी लाभार्थी महिला को अपात्र किया जाकर योजना से पृथक नहीं किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब पर** है। योजनांतर्गत ऑनलाईन आवेदन पंजीयन कराने वाली समस्त पात्र महिलाओं को योजना से लाभांवित किया जा रहा है।

अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरण
[खनिज साधन]

40. अता.प्र.सं.9 (क्र. 1563) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नर्मदापुरम जिले में अवैध उत्खनन के कितने प्रकरण किस-किस न्यायालय में प्रचलित है। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रत्येक प्रकरण का क्रमांक, दिनांक पेनाल्टी राशि, आरोपियों के नाम पते, न्यायालय का नाम जिसके यहां प्रकरण प्रचलित है की जानकारी देने का कष्ट करें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में किस-किस प्रकरण में कितनी-कितनी पेनाल्टी शासन द्वारा निर्धारित की गई है। **(घ)** अवैध उत्खनन द्वारा निर्धारित राशि कब तक वसूल करेगा ताकि शासन उक्त राशि का उपयोग कर सकें।

मुख्यमंत्री : [*(क) एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** प्रकरणों का निराकरण नहीं होने एवं पेनाल्टी की राशि का निर्धारण न होने से राशि की वसूली एवं उसके उपयोग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।*] **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है।

रजिस्टर्ड एवं ब्लैक लिस्टेड फर्मों की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]

41. अता.प्र.सं.22 (क्र. 2382) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय इंदौर में हुए कूटरचित बैंक चालान प्रकरण में, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आबकारी आयुक्त, उपायुक्त इंदौर को पत्र-क्रमांक (फाईल नंबर) 11109/11111 दिनांक-06/05/2024 एवं अन्य को पत्र भेज जानकारी मांगी गई। **(ख)** वर्तमान में मध्यप्रदेश के किन जिलों में किन कारणों/अपराध के कारण, किन लाइसेंसियों/व्यक्तियों से, किस दिनांक से, कितनी राशि वसूली बकाया है। वसूली के लिए जारी नोटिस, आरआरसी आदि की प्रतियां देवें। किन कारणों से वसूली विलम्ब हो रहा, विवरण देवें, न्यायालय सहित अन्य आदेशों की प्रतियां देवें। **(ग)** वर्तमान में ब्लैक लिस्टेड लाइसेंसियों, फर्म, व्यक्तियों के नाम, ब्लैक लिस्टेड करने का दिनांक, कारण, ब्लैक लिस्टेड करने के आदेशों की प्रतियां देवें। **(घ)** वर्ष 2015 से प्रश्न-दिनांक तक की अवधि में ब्लैक लिस्टेड की गई फर्म की गारंटी नहीं लौटाने के लिए जिलों के अधिकारियों द्वारा विभाग/अधिकारियों को लिखे पत्रों की और बैंक गारंटी जारी करने के लिए जारी आदेशों/पत्रों की प्रतियां देवें, उपर्युक्त अवधि में किस ब्लैक लिस्टेड फर्म/लाइसेंसी की गारंटी नहीं लौटाई जाना थी जिसे किस अधिकारी के आदेश/पत्र से लौटाई गई है। **(ङ)** ब्लैक लिस्टेड फर्म, ब्लैक लिस्टेड लाइसेंसी की गारंटी लौटाने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है नाम, उनकी वर्तमान पद स्थापना आदेश की प्रतियां देवें, क्या दोषी अधिकारी पर कार्यवाही की गई, यदि नहीं, तो क्यों, कबतक की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री, वित्त : [*(क) से(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** जी हाँ। सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय इन्दौर में हुए कूटरचित बैंक चालान प्रकरण में, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आबकारी आयुक्त, उपायुक्त इन्दौर को पत्र क्रमांक (फाईल नंबर) 11109/11111 दिनांक 06.05.2024 एवं अन्य को पत्र भेजकर जानकारी मांगी गई। **(ख)** वर्तमान में मध्यप्रदेश के जिलों में कारणों/अपराध के कारण लायसेंसियों/व्यक्तियों से दिनांक से राशि वसूली बकाया संबंधी जानकारी एवं वसूली के लिए जारी नोटिस, आर.आर.सी. तथा कारणों से वसूली विलंब होने संबंधी एवं न्यायालय सहित अन्य आदेशों की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। **(ग)** आदेशों की छायाप्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है। **(घ)** आदेश/पत्र की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार** है।

खनिज विकास निगम द्वारा आयोजित ऑनलाइन नीलामी
[खनिज साधन]

42. अता.प्र.सं.43 (क्र. 3062) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2023 में म.प्र. राज्य खनिज विकास निगम अरेरा हिल्स भोपाल ने किस-किस जिले की कितनी रेत खदानों की कितनी मात्रा के लिए कितनी-कितनी न्यूनतम बोली निर्धारित कर ऑन

लाइन नीलामी की कार्यवाही किस दिनांक से किस दिनांक तक की है? **(ख)** ऑन लाइन नीलामी के अंतिम दौर में या दूसरे चरण में किस-किस ने क्या-क्या दर ऑन लाईन प्रस्तावित की, उसमें से किसकी कितनी दर को मान्य किया, उसका किस-किस दिनांक को किस-किस स्तर पर अनुबन्ध का निष्पादन किया? **(ग)** प्रश्नकर्ता द्वारा रेत की नीलामी में रिंग बनाकर शासन को हानि पहुंचाने बाबत् प्रेषित पत्र प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग भोपाल, संचालक खनिज साधन विभाग भोपाल, एम.डी. राज्य खनिज विकास निगम भोपाल को किस-किस दिनांक को प्राप्त हुए उसकी किसके द्वारा जांच की गई, जांच प्रतिवेदन की प्रति सहित बतावे।

मुख्यमंत्री : [***(क)*** *म.प्र. राज्य खनिज निगम, भोपाल द्वारा वर्ष 2023 में रेत खदानों से रेत उत्खनन एवं विक्रय हेतु समूहवार माइन डेवलपर कम ऑपरेटर के चयन बाबत् सम्पादित ई-निविदा सह नीलामी का विवरण* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर*** *है।* ***(ख)*** *ई-नीलामी में प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित ऑनलाईन दर एवं स्वीकृत उच्चतम दर का समूहवार विवरण एवं अनुबंध निष्पादन दिनांक की जानकारी का विवरण* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर*** *है।* ***(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (ग)** म.प्र. राज्य खनिज निगम लिमिटेड़ को माननीय विधायक का रेत खदानों के विषय में पत्र दिनांक 28/02/2024 प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय को सम्बोधित एवं निगम को पृष्ठांकित था। मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 2471/1985331/2024/12/1 /पार्ट/एम.पी.एस.एम.सी. दिनांक 26/04/2024 के तहत विस्तृत प्रतिवेदन कार्यालय, राजभवन को प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर** है।

जी.एस.टी. की धारा 107 (6) के अंतर्गत धारा 10 (7) का उल्लंघन
[वाणिज्यिक कर]

43. परि.अता.प्र.सं. 69 (क्र. 3395) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या उप मुख्यमंत्री, वित्त, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वाणिज्यिक कर वृत्त इटारसी के कितने व्यापारियों/फर्मों द्वारा जनवरी 2023 से जून 2024 तक न्याय न मिलने के कारण प्रकरण अन्य अधिकारी को स्थानांतरित करने हेतु उपायुक्त/आयुक्त को आवेदन प्राप्त हुए? प्रत्येक आवेदनों के संबंध में की गयी कार्यवाही की जानकारी दें। **(ख)** क्या जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 107 (6) के अंतर्गत मांग का 10 प्रतिशत टैक्स जमा करने के बाद धारा 10(7) में अपील करने पर स्वत: स्थगन माना जाता है? यदि हाँ, तो जानकारी दें। धारा 107 में आवेदन करने वाले किन-किन व्यापारियों/फर्मों के खाते से वसूली हेतु अटैच किए गए एवं इनसे वसूली की गयी? यदि हाँ, तो किन व्यापारियों से कितनी राशि की? **(ग)** क्या उक्त वसूली नियमानुकूल है? यदि नहीं, तो इसका उत्तरदायी कौन है? क्या इनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी?

उप मुख्यमंत्री, वित्त : [***(क)*** *वाणिज्यिक कर वृत्त इटारसी से संबंधित कुल 07 आवेदन जनवरी 2023 से जून 2024 तक न्याय न मिलने के कारण प्रकरण अन्य अधिकारी को हस्तांतरित करने हेतु उपायुक्त/आयुक्त को प्राप्त हुए। इन आवेदनों में 30 व्यवसायियों के 31 प्रकरण हस्तांतरित किये*

जाने हेतु आवेदन किया गया। आवेदन में उल्लेखित व्यवसायियों से संबंधित प्रकरणों में की गई कार्यवाही की ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।*** *(ख) जी.एस.टी अधिनियम की धारा 107 (6) के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार किये गये कर, ब्याज, फाइन, शुल्क तथा शास्ति की राशि एवं आदेश में सृजित विवादित कर का 10 प्रतिशत, (अधिकतम 25 करोड़ तक) जमा करने पर धारा 107(7) के तहत दिये गये प्रावधान के अंतर्गत शेष अतिरिक्त मांग का स्वत: स्थगन माना जाता है। धारा 107 में अपील प्रस्तुत करने वाले व्यापारियों/फर्मों के बैंक खाते अटैच करने संबंधी प्रकरणों के संबंध में* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)*** *जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 107(7) के अधीन स्थगन उपरांत वसूली की कार्यवाही नियमानुसार नहीं है। अपील प्रस्तुत करने के उपरांत बैंक खाते अटैच करने संबधी प्रकरणों के संबंध में* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(ख)** जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 107 (6) के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार किये गये कर, ब्याज, फाईन, शुल्क तथा शास्ति की राशि एवं आदेश में सृजित विवादित कर का 10 प्रतिशत, (अधिकतम 25 करोड़ तक) जमा करने पर धारा 107(7) के तहत दिये गये प्रावधान के अंतर्गत शेष अतिरिक्त मांग का स्वत: स्थगन माना जाता है। वृत्त इटारसी में जनवरी 2023 से जून 2024 तक जी.एस.टी. अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई अपील तथा इन प्रकरणों में वसूली हेतु अटैच किये गये बैंक खातों के संबंध **में विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 107(7) के अधीन स्थगन उपरांत वसूली की कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने से श्रीमती श्वेता साठे, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त इटारसी के विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-16 के अंतर्गत आरोप ज्ञापन दिनांक 27.09.2024 से जारी किया गया है।

वृद्धजनों को वायुयान सेवा का लाभ
[विमानन]

44. परि.अता.प्र.सं. 75 (क्र. 3486) श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन द्वारा वायुयान सेवा से वृद्धजनों के लिए पर्यटन/धार्मिक/तीर्थयात्रा की कोई योजना/अनुबंध विभाग द्वारा किया गया है? यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में वर्णित वायुयान सेवा से किन-किन जिलों से यात्रा संचालित की गई है? जानकारी देवें तथा किन-किन जिलों से कितने तीर्थ यात्रियों को वायुयान सेवा का लाभ मिला? जानकारी देवें। **(ग)** क्या सागर जिला अंतर्गत वायुयान सेवा से वृद्धजनों के लिए पर्यटन/धार्मिक/तीर्थयात्रा की कोई योजना/ अनुबंध विभाग द्वारा किया गया है? जानकारी देवें तथा ढाना हवाई पट्टी/अड्डा से कोई अनुबंध विभाग द्वारा किया गया है अथवा प्रस्तावित है? जानकारी देवें। **(घ)** क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित कोई योजना/अनुबंध से हवाई पट्टी/अड्डा ढाना से यात्रा से संबंधित कोई घोषणा-पत्र विभाग के पास लंबित है? यदि हाँ, तो कब से लंबित है तथा उसका क्रियान्वयन कब होगा? जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम के अंतर्गत भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय के उपक्रम IRCTC लिमिटेड के माध्यम से म.प्र. के 25 जिलों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए वायुयान द्वारा तीर्थ यात्रा

संचालित की गई है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश (क) अनुसार। **(घ)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु आवंटित राशि
[जनसंपर्क]

45. परि.अता.प्र.सं. 81 (क्र. 3567) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग की विभागीय संरचना क्या है? छायाप्रति उपलब्ध करावें। विभाग के अंतर्गत कौन-कौन सी शासकीय, प्रशासनिक एवं अन्य इकाईयां आदि सम्मिलित हैं? सभी के नाम और उक्त सभी संस्थाओं, इकाइयों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के नाम, सेवाकाल सहित संस्थावार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग एवं विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थाओं एवं सरकार की योजनाओं एवं अन्य के प्रचार-प्रसार हेतु वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक कौन-कौन सी योजनाओं में, किन-किन कार्यों हेतु विभिन्न मदों कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं प्रचार-प्रसार हेतु आवंटित राशि के विरूद्ध कितनी राशि व्यय की गई? कितनी राशि शेष है तथा शेष राशि का भुगतान कब तक दिया जावेगा? योजनावार, मदवार एवं प्रचार-प्रसार हेतु भुगतान किस-किस कम्पनी, फर्म, एजेन्सी अथवा व्यक्ति को किया गया? जानकारी सहित छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में क्या भुगतान में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो शिकायतों का विवरण दें तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों में जांच उपरांत कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी/फर्म/एजेन्सी दोषी पाये गये? उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? अभी तक कितनी जांचें लंबित हैं? उनका निराकरण कब तक कर दिया जावेगा? शिकायतवार जानकारी देवें। **(ङ)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में विभाग द्वारा विदिशा जिले में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु कितनी-कितनी राशि किन-किन फर्म, एजेन्सी इत्यादि को भुगतान किया गया है? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री : [***(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है।*** *दो इकाइयां (1) म.प्र. माध्यम (2) माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो एवं 'तीन' अनुसार है। (ख)*** *एवं* ***(ग) जानकारी संकलित की जा रही है। (घ)*** *जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ***(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार है।*** **] (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-पांच अनुसार है। (ग)** उत्तरांश (क) अनुसार। मदवार जानकारी संकलित नहीं की जाती।

विभागीय जांच की समय-सीमा एवं कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]

46. अता.प्र.सं.77 (क्र. 3676) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासकीय सेवक की विभागीय जांच संस्थित होने के उपरांत विभागीय जांच पूर्ण करने एवं प्रकरण में कार्यवाही हेतु समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ तो कितनी नियम की प्रति उपलब्ध

करायें। **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में निर्धारित समय-सीमा में विभागीय जांच पूर्ण नहीं करने वाले प्रस्तुतकर्ता एवं विभागीय जांच अधिकारी/निर्णयकर्ता अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जाती है यदि हाँ तो क्या-क्या, किस-किस नियम के तहत? नियमों की प्रति उपलब्ध करायें। **(ग)** विभागीय जांच पूर्ण कर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करने के बाद सक्षम अधिकारी को निर्णय पारित करने हेतु भी समय-सीमा निर्धारित है? यदि हाँ तो कितनी? **(घ)** क्या कुल सचिव नाना जी देशमुख पशु चिकित्सा, विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के आदेश क्रमांक 2285/स्था-1/2022 दिनांक 17.8.2022 द्वारा निलंबित किये गये सहायक प्राध्यापक की विभागीय जांच संस्थित की गई थी? यदि हाँ तो विभागीय जांच समय-सीमा में पूर्ण कर अभी तक सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय क्यों नहीं लिया गया? क्या सक्षम अधिकारी के विरूद्ध शासन प्रश्नांश (क), (ख) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेगा? यदि हाँ तो कब तक?

मुख्यमंत्री : [***(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क), (ख) एवं (ग)** विभागीय जॉच पूर्ण करने संबंधी नियम निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ठ अनुसार। (घ)** जी हाँ। विभागीय जॉच में आरोप सिद्ध होने के उपरांत मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत दीर्घ शास्ति आरोपित करते हुए नियम 10(9) के तहत सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त (Terminate) की गई है।

नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों व मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति
[महिला एवं बाल विकास]

47. अता.प्र.सं.83 (क्र. 3703) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** परासिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत परियोजना 01 एवं परियोजना 02 परासिया के अन्तर्गत स्थित विभिन्न नगर/ग्राम/ग्राम पंचायतों में छोटे-छोटे बच्चों व महिला हितग्राहियों की सुविधा हेतु नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों व मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा विभागीय मंत्री को पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2024/150 दि. 08.02.2024 एवं अनुस्मरण-01 पत्र क्र.वि.स./परासिया/127/2024/317 दि. 27.05.2024 प्रेषित किये गये है, इन पत्रों पर अभी तक नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों व मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उपरोक्त प्रेषित पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए, कब तक परासिया विधानसभा के अन्तर्गत विभिन्न नगर/ग्राम/ग्राम पंचायतों में नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों व मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी? **(ग)** नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों व मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु विभाग की क्या नियमावली है, छायाप्रति उपलब्ध करायें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : [***(क) से(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** जी हाँ। संचालनालयीन पत्र क्र./1767-1768 दिनांक 14.06.2024 के द्वारा प्रश्नकर्ता माननीय विधायक को अवगत कराया गया है कि भारत सरकार से नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण प्रस्ताव अनुसार ग्रामों में आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं

है। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेख अनुसार। शेष जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

खनिज प्रतिष्ठान मद से स्वीकृत कार्य
[खनिज साधन]

48. अता.प्र.सं.111 (क्र. 3902) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर जिला अंतर्गत खनिज प्रतिष्ठान मद से वित्तीय वर्ष 2023-24 में आदिम जाति कल्याण विभाग को विभिन्न कार्यों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है, प्रत्येक कार्यों की स्वीकृत आदेश की प्रति, कार्य स्वीकृत के पूर्व कार्यालयीन नस्ती की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं? **(ख)** क्या खनिज प्रतिष्ठान मद स्वीकृत विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ई-निविदा आमंत्रित की गई है, यदि हाँ, तो प्रत्येक कार्यों की न्यूनतम निविदा दर, निविदाकार का नाम तथा निविदा प्रकाशन किन-किन समाचार पत्रों में किया गया, उसकी प्रति उपलब्ध कराते हुए जानकारी दें? **(ग)** क्या खनिज प्रतिष्ठान से स्वीकृत कार्यों में अनेक कार्य बिना निविदा के विद्यालयों में गठित एस.एम.डी.सी. के माध्यम से कराए गए है, यदि हाँ, तो प्रत्येक कार्यों का नाम, निर्माण कार्य की लागत, कार्य स्वीकृत करने में विभाग के नस्ती का संपूर्ण विवरण की प्रति उपलब्ध कराएं? **(घ)** प्रश्नांश (ख) एवं **(ग)** अनुसार ई-निविदा एवं मनमानी ढंग से एस.एम.डी.सी. को स्वीकृत कार्यों में लागत अनुसार तुलनात्मक पत्रक में जानकारी देते हुए बताएं कि ई-निविदा एवं एस.एम.डी.सी. के कार्यों में कितनी राशि सी.एस.आर. के अनुसार कितनी राशि का अंतर आया? स्पष्ट पूर्ण जानकारी देवें। **(ड.)** क्या मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक-एफ 12-2/2022/12/1/पार्ट भोपाल, दिनांक 08/06/2022 के आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए बताएं कि आदिम जाति कल्याण विभाग अनूपपुर ने खनिज साधन विभाग के आदेश का पालन किया है? यदि नहीं, तो क्यों? स्पष्ट व पूर्ण जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री : [***(क)*** *अनूपपुर जिला अंतर्गत खनिज मद प्रतिष्ठान मद से वित्तीय वर्ष 2023-24 में आदिम जाति कल्याण विभाग को विभिन्न कार्यों के लिए 1325.67 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत आदेश की प्रति* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर*** *है।* ***(ख)*** *जी हाँ।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर*** *है।* ***(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)*** *प्रत्येक निविदा की दर भिन्न-भिन्न होती है। अत: एस.एम.डी.सी. एवं ई-निविदा का तुलनात्मक पत्रक दिया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।* ***(ड.)*** *मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 12-2/2022/12/1/पार्ट भोपाल दिनांक 08/06/2022 के आदेश की प्रति* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर*** *है। भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शास्त्री भवन नई दिल्ली के वित्तीय शक्तियों में संशोधन किया गया है, जिसकी कंडिका के पैरा क्रमांक 4.3.2(बी) में 30 लाख तक के कार्य एस.एम.डी.सी. द्वारा कराये जाने के प्रावधान के तहत नवीन प्रयोगशाला/पुस्तकालय/अतिरिक्त कक्ष के निर्माण हेतु जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के पदेन अध्यक्ष कलेक्टर महोदय के अनुमोदन उपरांत एस.एम.डी.सी. को*

कार्य एजेंसी निर्धारित किया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।] **(ग)** प्रश्नांश अनुसार संपूर्ण नस्ती की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब-1 अनुसार** है।

फर्जी सत्यापन रिपोर्ट
[गृह]

49. अता.प्र.सं.122 (क्र. 3969) श्री हेमंत कटारे : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या श्री सुबोध सिंह राजावत के विरूद्ध थाना रौन, जिला भिण्ड में अप. क्रमांक 35/23, धारा 354, 354, 354क, 506 भादवि, 7/8 पॉक्सो एक्ट एवं आईटी एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है? यदि हाँ, तो वर्तमान में प्रकरण की क्या स्थिति है? **(ख)** क्या श्री सुबोध सिंह राजावत आत्मज श्री सत्येन्द्र बहादुर सिंह राजावत, निवासी ग्राम व पो. मेंहदवा, शिक्षा संकुल केन्द्र मेंहदबा अंतर्गत संविदा शिक्षक वर्ग-2 (विषय अंग्रेजी) के रूप में शासकीय हाई स्कूल इन्दुर्खी, जिला भिण्ड में कार्यरत है? यदि हां तो किस दिनांक से? **(ग)** यदि हाँ, तो पॉक्सो एक्ट जैसे जघन्य अपराध के आरोपी को शासकीय सेवा के योग्य होने का प्रतिवेदन किस अधिकारी द्वारा एवं किन परिस्थितियों में जारी किया गया? क्या इस संबंध में दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बताएं।

मुख्यमंत्री : [***(क) से(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी हाँ। सुबोध सिंह राजावत के विरूद्ध थाना रौन, जिला भिण्ड में अप०क्र० 35/23, धारा 354, 354 क, 354 ग, 506 भादवि, 7/8 पॉक्सो एक्ट, 67, 67ए, 66ई आईटी एक्ट, 2000 इजाफा धारा 201 भादवि पंजीबद्ध है। प्रकरण में चालान क्रमांक 23/24 दिनांक 07.03.2024 को तैयार कर प्रकरण क्रमांक 42/24 दिनांक 11.03.2024 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। **(ख)** जी हाँ। दिनांक 31.03.2023 से कार्यरत थे। **(ग)** संबंधित द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र में आपराधिक प्रकरण न होने का उल्लेख करने से पदभार ग्रहण कराया गया। संबंधित की ज्वाईनिंग दिनांक 09.07. 2024 को निरस्त कर दी गई है। संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रकरण के संबंध में जाँच की जा रही है। दोषी के विरूद्ध कार्यवाही जाँच निष्कर्ष पर निर्भर करती है।

भोपाल जिलान्तर्गत संचालित खदानें
[खनिज साधन]

50. परि.अता.प्र.सं. 132 (क्र. 3976) श्री भगवानदास सबनानी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल जिलान्तर्गत मुरम, गिट्टी, कोपरा एवं अन्य खनिज पदार्थों की (शासकीय एवं अशासकीय) कितनी खदानें किस-किस क्षेत्र में संचालित हैं? संचालनकर्ताओं के नाम, पता सहित, विधानसभावार क्षेत्रवार जानकारी दें। **(ख)** उक्त खदानों में से किस-किस खदान के संबंध में आवंटित क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध खनन किये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है तथा किन-किन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज हुये हैं? **(ग)** प्राप्त शिकायतों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है? शिकायतवार जानकारी दें एवं दर्ज प्रकरणों की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें।

मुख्यमंत्री : [***(क)*** *जिला भोपाल में कुल 132 खदानें स्वीकृत हैं। शेष* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार*** *है।* ***(ख)*** *एवं* ***(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है।

दिनांक 18 जुलाई, 2024

स्वीकृत पदों से कम स्टाफ होना एवं आऊटसोर्स करना
[पर्यटन]

51. अता.प्र.सं.7 (क्र. 1059) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक विभाग के प्रदेश में कुल कितने छोटे-बड़े कार्यालय है? कार्यालय का नाम, पता, पदस्थ अधिकारी/कर्मचाही के स्वीकृत पद भरे पद रिक्त पद, कब से पदस्थ है, प्रतिनियुक्ति में कितने गये? **(ख)** विभाग की प्रदेश में कितनी चल अंचल संपत्ति है? कितनी संपत्ति लीज पर राज्य शासन से अनुदान में मिली, किराये पर वर्तमान मूल्य क्या सहित संपूर्ण जानकारी का गौशवारा कार्यालयवार, जिलेवार पृथक बताये। **(ग)** विभाग का कुल व्यय कितना रहा है, वेतन, निर्माण, क्रय, सहित संपूर्ण व्यय का ब्यौरा वर्षवार बनाकर पृथक-पृथक दें। किस-किस प्रकार का मुद्रण कितनी लागत का, किस प्रयोजन से, किस एजेन्सी से, किस दर पर कराया गया विवरण दें। **(घ)** प्रश्नांश अवधि में लीज स्थानांतरण के कितने प्रकरण प्राप्त हुये? कितने निराकृत लंबित अमान्य किये गये? प्रकरणवार कारणों सहित बतायें। उक्त प्रकरण कार्यालय में किस-किस लेबल पर कितने दिन प्रचलन में रहा बताये।

राज्य मंत्री (स्वत्रंत प्रभार), संस्कृति : [***(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" एवं "स" अनुसार।** **(घ)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रोगी कल्याण समिति की बैठकों का कार्यवाही विवरण
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

52. परि.अता.प्र.सं. 103 (क्र. 3778) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रोगी कल्याण समिति की स्थापना, संरचना, कांसेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर, फ्रेम वर्क से संबंधित समस्त अभिलेख, गजट नोटिफिकेशन की प्रति देवें। **(ख)** जिला रोगी कल्याण समिति धार की गवर्निंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी की दिनांक 1 जनवरी 2022 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में आयोजित हुई समस्त बैठकों का कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदन देवें। **(ग)** वर्ष 2019 से लेकर प्रश्न दिनांक की स्थिति में जिला रोगी कल्याण समिति के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की प्रति, वर्ष 2020-21 से लेकर 2022-23 तक की ऑडिट रिपोर्ट, केश बुक, लेजर इसके साथ 01 लाख रुपए से अधिक के भुगतान के बिल एवं वाउचर और वार्षिक प्रगति

प्रतिवेदन की छायाप्रति देवें। **(घ)** जिला रोगी कल्याण समिति धार की आय के समस्त स्रोतों के नाम एवं उनसे अर्जित होने वाली मासिक/वार्षिक आय का विवरण देवें। **(ड.)** क्या गवर्निंग बॉडी में होने के बाद भी प्रश्नकर्ता सदस्य को जिला रोगी कल्याण समिति की बैठकों में आमंत्रित नहीं किया जाता है? क्या शासन ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा या नहीं? हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों नहीं?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [*(क) से(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। (ग)** बैंक एकाउंट स्टेटमेंट की प्रति, ऑडिट रिपोर्ट केश बुक, लेजर, 01 लाख रू. से अधिक के भुगतान के बिल एवं वाउचर और वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की छायाप्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार। (घ)** रोगी कल्याण समिति जिला चिकित्सालय धार के आय के सामान्यतः स्त्रोत निम्नानुसार है- 1. बाहय रोगी पर्ची, 2. आंतरिक रोगी पर्ची, 3. एम्बुलेंस शुल्क, 4. शव वाहन शुल्क, 5. मेडिकल बोर्ड फीस, 6. गेट पास, 7. दुकान किराया, 8. इंश्योरेंस सर्टीफिकेट शुल्क, 9. स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण की फीस, 10. इंटर्नशिप की फीस, 11. स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी मान्यता फीस, 12. साईकिल स्टैण्ड अनुबंध, 13. केंटीन अनुबंध, 14. सांची पार्लर किराया, 15. ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेवा शुल्क, 16. डायलीसिस सेवा शुल्क, 17. आयुष्मान भारत इंसेन्टिव से प्राप्ती, 18. दान से आय, 19. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से बजट प्राप्ति, 20. बैंक ब्याज से आय आदि से आय होती है। मासिक/वार्षिक आय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार। (ड.)** रोगी कल्याण समिति नियमावली 2018 में साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति का प्रावधान है। विधायकों को साधारण सभा की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। माननीय सदस्य रोगी कल्याण समिति की साधारण सभा की बैठक दिनांक 04.02.2019 को आयोजित की गई थी में सम्मिलित हुए थे। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

गौचर की भूमि को दर्ज किया जाना
[राजस्व]

53. अता.प्र.सं.121 (क्र. 3964) श्रीमती ललिता यादव : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला छतरपुर अनुविभाग छतरपुर के किन-किन हल्का मौजा में बंदोबस्त में खसरा नंबरों में शासन एवं गोचर की भूमि दर्ज है? खसरा नंबर एवं रकबा उल्लेख कर कम्प्यूटर टाइपिंग प्रति उपलब्ध कराएं। उक्त खसरा नंबरों पर शासन एवं गोचर की भूमि को कब-कब शासन एवं गोचर विलोपित कर निजी भूमि स्वामी दर्ज किया गया? सूची उपलब्ध कराएं। **(ख)** क्या उक्त खसरा नंबरों शासन एवं गोचर विलोपित कर निजी भू-स्वामियों का नाम सक्षम अधिकारी के आदेश से किया गया है? यदि हाँ, तो आदेशों की प्रति उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें? **(ग)** क्या सक्षम अधिकारी के समक्ष नामांतरण आवेदन पर हल्का पटवारियों द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में उल्लेखित खसरा नंबर बंदोबस्त या 1958-59 में निजी भूमि या शासन, गोचर है प्रतिवेदन दिया जाता है? **(घ)** यदि हाँ, तो क्या समस्त हल्का पटवारियों के पास बंदोबस्त या 1958-59 में कौन-कौन सी भूमि शासन या गोचर की है रिकॉर्ड या सूची है? यदि हाँ, तो क्या सक्षम अधिकारी

पटवारियों से कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन आदेश जारी करेगा? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें? क्या बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के शासन या गोचर की दर्ज भूमि सक्षम अधिकारी द्वारा निजी भू-स्वामियों को लाभ पहुंचने के कारण शासन या गोचर की भूमि दर्ज करने के आदेश जारी नहीं करेगा? यदि नहीं, तो क्यों कारण स्पष्ट करें?

राजस्व मंत्री : [***(क)*** *एवं* ***(ख) जानकारी संकलित की जा रही है।*** *(ग) जी हाँ।* ***(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।***] **(क)** जिला छतरपुर के अनुभाग छतरपुर के सभी हल्कों में बंदोबस्त में शासन/गोचर की भूमि दर्ज है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 'अ' अनुसार। (ख)** जी हाँ। भूमि बंटन/व्यवस्थापन आदि जैसी योजनाओं के कारण शासन/गोचर भूमियों को सक्षम अधिकारियों के आदेशों से निजी दर्ज किया गया है। भूमि बंटन के उपलब्ध आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 'ब'' अनुसार। (ग)** जी हाँ। **(घ)** समस्त हल्का पटवारियों के पास संबंधित ग्रामों की बंदोबस्ती एवं 1958-59 की खतौनी उपलब्ध है। बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के शासकीय भूमि को निजी दर्ज किये जाने संबंधी मामला संज्ञान में आने पर कार्यवाही की जाती है।

एस.एन.सी.यू. एवं पी.आई.सी.यू. में अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

54. परि.अता.प्र.सं. 132 (क्र. 4008) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 जनवरी 2018 के पश्चात नीमच जिले में एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. में औषधीय उपकरण, ऑक्सीजन गैस पर कितनी राशि व्यय की गई? औषधीय उपकरण में कौन-कौन सी सामग्री खरीदी गई? उपरोक्त कार्य कार्पोरेशन, अन्य या स्थानीय स्तर पर किए गए? औषधीय उपकरण की सूची तथा खर्च की सम्पूर्ण जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) संदर्भित अवधि में एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. में कितने बच्चे भर्ती हुए व कितनों को रैफर किया गया? रैफर किए जाने का कारण सहित जानकारी दें। एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. में उक्त जिलों में कितनी-कितनी नर्सें एवं डॉक्टर प्रशिक्षित हैं? वर्तमान में इनसे कौन सा कार्य लिया जा रहा है? सूची दें। **(ग)** विशिष्ट कार्यालयों से एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. में किन-किन अधिकारियों ने किस-किस दिनांक को उक्त अवधि में भ्रमण किया? भ्रमण दल द्वारा क्या कमियां पाई गई तथा उन्हें सुधारने के लिए क्या निर्देश दिए गए? पाई गई कमियों के लिए भ्रमण अधिकारियों ने किस-किस के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की? **(घ)** क्या प्रश्नांश (क) संदर्भित अधिकारियों की लापरवाही एवं अनियमितता के चलते शासन की राशि का दुरुपयोग हो रहा है? यदि हाँ, तो उक्त कार्यों को लेकर उक्त अवधि में किस-किस व्यक्ति ने उक्त जिलों में कहाँ-कहाँ पर, किस-किस प्रकार की शिकायत की? शिकायतकर्ता का नाम, की गई शिकायत की प्रति, दिनांक सहित अवगत करावें।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क)*** *नीमच में प्रश्नावधि में एस.एन.सी.यू. तथा पी.आई.सी.यू. में औषधीय, उपकरण एवं ऑक्सीजन गैस पर हुए व्यय की* ***जानकारी पुस्तकालय में***

रखे परिशिष्ट के प्रपत्र"अ" अनुसार। *शेष प्रश्नांश की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र"ब" एवं"स" अनुसार। (ख)*** *उक्त अवधि में एस.एन.सी.यू. में कुल 10861 एवं पी.आई.सी.यू. में कुल 1826 बच्चे भर्ती हुए तथा एस.एन.सी.यू. में 340 एवं पी.आई.सी.यू. में 258 बच्चे रैफर किये गये, रेफर करने का मुख्य कारण जन्मजात विकृति उपचार हेतु शल्य क्रिया आवश्यकता पड़ने पर, गंभीर शिशु जिन्हें श्वास संबंधी समस्या हेतु उच्च स्तरीय वेन्टीलेशन सपोर्ट की आवश्यकता पड़ने पर, गंभीर शिशुओं में उच्च स्तरीय जांच हेतु, जन्मजात मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के उपचार इत्यादि है। शेष प्रश्नांश की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र"द" एवं"ई" अनुसार। (ग)*** *प्रश्नांश की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र"फ" अनुसार। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(घ)** जिला चिकित्सालय नीमच में संचालित एस.एन.सी.यू. एवं पी.आई.सी.यू. के किसी भी अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही/अनियमितता नहीं की गयी है एवं शासन की राशि का दुरूपयोग नहीं हुआ है। नीमच जिले के कार्यालयीन अभिलेख अनुसार प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जिला चिकित्सालय एवं मेडीकल कॉलेज में ऑउटसोर्स सेवाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

55. अता.प्र.सं.162 (क्र. 4116) श्री राजेन्द्र भारती : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग द्वारा सफाई, सुरक्षा एवं मरीजों के पंजीयन में आउटसोर्स की सेवाएं दिये जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो इस संबंध में विभाग द्वारा क्या निर्देश जारी किये गये है? यदि हाँ, तो क्या कृपया नियम निर्देश की प्रतिया उपलब्ध करायें। **(ख)** क्या दतिया जिला स्थित मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय में उक्त सभी सेवायें सफाई, सुरक्षा, ओ.पी.डी., आई.पी.डी. की व्यवस्थायें दी जा रही है यदि हाँ, तो क्या जिला चिकित्सालय द्वारा खरीदे जाने वाले सामान जैसे ए.सी., कूलर एवं अन्य उपकरण का प्रति नग के हिसाब से दी जाने वाली राशि एवं विक्रेता के संस्थान का पूर्ण व स्पष्ट पता एवं पक्के बिलों की कॉपी प्रदान करें। सिविल सर्जन एवं सीएमएचओ कार्यालय में कितने वाहन किराये अथवा ठेकों से लगाये गये है? क्या विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सिर्फ टैक्सी परमिट गाड़ी ही लगाई जा सकती है यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक कितने वाहन संचालित है उनके रजिस्ट्रेशन की कॉपी, वाहन मालिक का नाम, पता एवं लॉगबुक की कॉपी उपलब्ध करायें। जिला चिकित्सालय में मरीजो के पंजीयन करने वाली एजेन्सी विजन इनेस्ट बैंक द्वारा कितने कर्मचारी लगाये गये है उनको वर्तमान कलेक्टर रेट से वेतन दिया जाता हो तो कर्मचारियों की खातों में डाली जाने वाली माहवार वेतन NEFT या वेतन ट्रांसफर की कॉपी उपलब्ध करायें। क्या कार्य कर रही कंपनी द्वारा कर्मचारियों का EPF-ESI कटौती की जा रही है? यदि हां तो प्रति उपलब्ध करायें। **(ग)** क्या शासन द्वारा मरीजों को दिये जा रहे पौष्टिक भोजन में कौन-कौन से आईटम दिये जाते है? कृपया मीनू सूची प्रदान करें। क्या मरीजों को दिये जा रहे भोजन का भौतिक सत्यापन किया जाता है? यदि हां तो किसके द्वारा किया जाता है? कृपया जानकारी दें। क्या सी.एम.एच.ओ. ऑफिस द्वारा पी.एस.सी. उचाड़, थरेट, बडौनी, सोनागिर, भाण्डेर, बसई, इदंरगड, सेवढ़ा में भी आउटसोर्स पर सफाई और सुख्ता कर्मचारी कितने-कितने

कर्मचारी उपलब्ध कराये गये है? कृपया मांग एवं उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों के नाम, पते, सहित संख्या बतायें क्या-क्या उक्त कर्मचारियों को वेतन भुगतान आउटसोर्स कंपनी द्वारा दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो 2018 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार वेतन पत्रक प्रदान करें। क्या उक्त PSC में CMHO द्वारा रोगी कल्याण समिति द्वारा सफाई कर्मचारियों एवं सुरक्षा कर्मचारी रखे गये है यदि हाँ, तो क्या उनका वेतन भुगतान रोगी कल्याण समिति द्वारा किया जाता है? यदि हाँ, तो कृपया वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक सभी कर्मचारियों के नाम तथा वेतन की जानकारी PSC की वर्षवार प्रदान करें। **(घ)** क्या शासन द्वारा अटैचमेंट किये जाने के नियम निर्देश दिये गये है यदि हाँ, तो नियम निर्देशों की प्रतिया उपलब्ध कराये। यदि नहीं, तो CMHO द्वारा दतिया जिला में उदगवां, भगुआपुरा, आदि अन्य स्थानों पर अटैचमेंट किये गये है यदि हाँ, तो क्यों? कृपया कारण सहित बताये। अटैचमेंट में पदस्थ कर्मचारी की अवधि निश्चित है अथवा नहीं कृपया जानकारी दें। क्या नियम विरुद्ध किये गये अटैचमेंट समाप्त किये जायेगें? यदि हाँ, तो कब तक?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** जी हाँ। साफ-सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए मेन पावर के आधार पर एवं मरीजों के पंजीयन के लिए कार्य आधारित निविदा का प्रावधान है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार। (ख)** जी हाँ। जिला चिकित्सालय द्वारा खरीदी जाने वाली सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार।** सिविल सर्जन के अधीन 01 वाहन एवं सी.एम.एच.ओ. कार्यालय के अधीन 09 वाहन ठेको से लगाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में वाहन की सेवा शर्तों में टैक्सी परमिट लगाये जाने का उल्लेख है इसके साथ में अनुबंध में अन्य सेवाओं का उल्लेख किया गया है। संचालित वाहन की संख्या, रजिस्ट्रेशन की कॉपी, वाहन मालिक का नाम, पता, लागबुक की कॉपी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार।** मरीजों के पंजीयन का ठेका फर्म को दिया जाता है, फर्म को किए भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार।** फर्म द्वारा कर्मचारियों की संख्या तयकर उन्हें वेतन भुगतान किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार।** जी हाँ। भोजन का भौतिक सत्यापन समय-समय पर विभागीय अमले द्वारा किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार।** संस्थाओं में उपलब्ध कराए गये आउटसोर्स कर्मचारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार।** वेतन भुगतान आउटसोर्स कंपनी द्वारा किया जा रहा है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं। सी.एम.एच.ओ. दतिया द्वारा उदगवां भगुआपुरा आदि अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य सुविधा को सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु रिक्त संस्थाओं में अस्थाई रूप से कर्मचारियों से कार्य कराया जाता है। रिक्त संस्थाओं पर कर्मचारी की पूर्ति होने पर या अन्य व्यवस्था होने पर ड्यूटी निरस्त की जाती है। (अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आपराधिक प्रकरण में विभाग द्वारा कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

56. अता.प्र.सं.166 (क्र. 4131) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ संजय दुबे, सहायक ग्रेड-2 के विरूद्ध फर्जी घोटाले में किन धाराओं में अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है, वर्तमान में विभाग द्वारा प्रकरण में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्या प्रकरण निराकृत हो चुका है अथवा लंबित है? यदि लंबित है तो क्या लंबित रखने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं उस पर कार्यवाही कब तक होगी और कब तक प्रकरण का निराकण हो जायेगा? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार संबंधित कर्मचारी 01 वर्ष से अधिक से निलंबित रहा, किस अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया, किस अधिकारी द्वारा बहाल किया गया, क्या बहाल किये जाने हेतु अधिकारी अधिकृत हैं? यदि है तो किस नियम के तहत बहाल किया गया है? छायाप्रति उपलब्ध कराये। **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार संबंधित के पद के अनुरूप निलंबन से बहाल किये जाने हेतु किस स्तर की विभागीय जांच कमेटी गठित की गई थी, कमेटी के गठन के आदेश, जाँच प्रतिवेदन अभिमत की छायाप्रति उपलब्ध कराये। क्या शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया गया था। यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** वर्तमान में संबंधित कर्मचारी की पदस्थापना कहां है क्या वहां कार्य संपादित कर रहा है या नहीं यदि नहीं, तो क्यों?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बैतूल में पदस्थ श्री संजय दुबे, सहायक ग्रेड-2 के विरूद्व बैतूल पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 346/2021 की धारा 420,467,468,471,34 भा.दा.वि. एवं 7, 13 (1) डी भ्रष्टाचार अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया गया है। श्री संजय दुबे, सहायक ग्रेड-2 के प्रकरण में कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल संभाग भोपाल में जॉच प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** डॉ. डी.के.कौशल, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल में उनके आदेश क्रमांक संभाग/स्था./अविज्ञप्त/2021/7849, दिनांक 23.07.2021 द्वारा श्री संजय दुबे, सहायक ग्रेड-2 को निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमला जिला बैतूल निर्धारित किया गया था। म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 28.01.2013 एवं ज्ञाप दिनांक 30.09.2015 के परिपालन में एक वर्ष से अधिक निलंबित रहने वाले कर्मचारी को कलेक्टर महोदय बैतूल की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) एवं कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल) के अनुमोदन पश्चात बहाल करने का प्रावधान निर्देशित है, जिसके परिपालन में जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन पश्चात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बैतूल के आदेश क्र. स्था./अवि./2023/3388, दिनांक 17.03.2023 द्वारा निलंबन से बहाल किया गया। निलंबन एवं बहाली आदेश तथा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है।** **(ग)** शासन के प्रश्नांश (ख) में दिये गये निर्देशानुसार, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 28.01.2013 एवं 30.09.2015 के परिपालन में जिला स्तर पर माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। जिसमें तत्कालीन कलेक्टर बैतूल अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल एवं डॉ. सुरेश बौद्ध, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं

स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बैतूल सदस्य थे। टीप पत्र में दिये गये अनुमोदन की छायाप्रति अवलोकनार्थ **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है।** श्री संजय दुबे, सहायक ग्रेड-2 के विरूद्व क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल संभाग, भोपाल कार्यालय में जांच प्रक्रियाधीन है। जी हॉ.। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** संबंधित कर्मचारी की मूल पदस्थापना जिला मलेरिया कार्यालय बैतूल में है एवं कलेक्टर महोदय बैतूल द्वारा जारी रिडिप्लायमेंट आदेश के परिपालन में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतूल में एक वर्ष के लिए कार्यरत है एवं संबंधित कर्मचारी द्वारा वर्तमान में पेंशन शाखा एवं पीएनडीटी शाखा का कार्य कार्यालय में संपादित किया जा रहा है।

दिनांक 19 जुलाई, 2024

विभाग की संरचना, विकास एवं निर्माण कार्यों पर व्यय
[ऊर्जा]

57. परि.अता.प्र.सं. 34 (क्र. 3266) श्री उमाकांत शर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ऊर्जा विभाग नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग अंतर्गत संचालित संस्थाओं के अनुसार 01 अप्रैल 2020 से प्रश्नांकित अवधि तक कौन-कौन सी योजनाओं में, किन-किन निर्माण/विकास एवं अन्य कार्य हेतु विभिन्न मदों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? योजनावार, मदवार, कार्य के नाम, कुल स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा, कार्यादेश सहित विस्तृत जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में आवंटित राशि के विरूद्ध कितनी राशि व्यय की गई? कितनी राशि शेष हैं तथा शेष राशि का भुगतान कब तक दिया जावेगा? योजनावार, मदवार, कार्य के नाम सहित जानकारी देवें एवं छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में क्या गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य, अनियमितता, लापरवाही एवं विकास कार्यों तथा कार्य एजेन्सियों, ठेकेदारों, फर्मों को किये गये भुगतान में अनियमितता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ तो शिकायतों का विवरण दें तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों में जांच उपरांत कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी/ठेकेदार/निर्माण एजेन्सी दोषी पाये गये? उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो कब तक की जावेगी? अभी तक कितनी जांचे लंबित हैं? उनका निराकरण कब तक कर दिया जावेगा? निर्माण/विकास कार्य, योजना, कार्य के नाम, स्थान, तहसीलवार, जिलावार विभाग अनुसार संपूर्ण जानकारी देवें।

ऊर्जा मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** ऊर्जा विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थाओं में प्रश्नाधीन अवधि में विद्युत अधोसंरचना विकास के किए गए कार्यों की प्रश्नाधीन चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के क्रमश: प्रपत्र-"अ" एवं "ब" अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश (क) के संदर्भ में ऊर्जा विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की प्रश्नाधीन चाही गयी स्वीकृत/व्यय/शेष राशि संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के क्रमश: प्रपत्र अ-1 एवं ब-1 अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश (क) एवं (ख)

के संदर्भ में ऊर्जा विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थाओं के कार्यालयों में संधारित अभिलेखों के अनुसार गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य, अनियमितता, लापरवाही एवं विकास कार्यों तथा कार्य एजेन्सियों, ठेकेदारों, फर्मों को किये गये भुगतान में अनियमितता के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। अत: शेष प्रश्न नहीं उठता।

भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की निविदा
[नगरीय विकास एवं आवास]

58. अता.प्र.सं.127 (क्र. 4275) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बी.सी.एल.एल. की निविदा क्रमांक 13 के तहत संचालित बसों का रिफरबिशमेंट क्या बी.सी.एल.एल. को कराना था, हाँ अथवा नहीं? क्या वर्ष 2018 से 2023 के मध्य यह बसें रिफरबिशिंग हो पाई, हाँ अथवा नहीं? क्या इन बसों की खरीदी पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान था, हाँ अथवा नहीं? क्या बसों का रिफरबिशमेंट न होने से जो बसें नहीं चल पाई इसमें शासन को आर्थिक हानि हुई, हाँ अथवा नहीं? **(ख)** क्या उपरोक्त निविदा के तहत निविदाकार द्वारा बसें 2020 में बी.सी.एल.एल. के बोर्ड की सक्षम स्वीकृति से जॉपहॉप टेक्नोलॉजीस प्रा. लि. (चलो मोबिलिटी) को हैण्डओवर की गई, हाँ अथवा नहीं? क्या बसों को रिफरबिशमेंट भी इसी कम्पनी द्वारा किया जाना था, हाँ अथवा नहीं? क्या रिफरबिंशमेंट के लिए बसे इस कम्पनी को बी.सी.एल.एल. द्वारा दी गई, हाँ अथवा नहीं? क्या चलो मोबिलिटी कम्पनी को दोनों ही निविदाओं में डिफाल्ट के चलते टर्मिनेट किया गया, हाँ अथवा नहीं? **(ग)** क्या फरवरी 2020 से मार्च 2024 तक यह बसें चलो मोबिलिटी एवं बी.सी.एल.एल. के पजेशन में रहीं, हाँ अथवा नहीं? क्या जो आर.टी.जो. टैक्स मार्च 2024 में बी.सी.एल.एल. द्वारा जमा किया गया, वह इंटरसिटी टैक्स एवं स्पेयर टैक्स था, हाँ अथवा नहीं? क्या इंटरसिटी टैक्स के लिए बी.सी.एल.एल. विभाग द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में जवाब दिया गया है कि यह टैक्स आर.टी.ओ. द्वारा विभाग पर गलत अध्यारोपित किया गया है, हाँ अथवा नहीं? **(घ)** क्या प्रश्नांश (ग) अनुसार स्पेयर टैक्स की अवधि में यह बसें बी.सी.एल.एल. के पजेशन में थी, हाँ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो जो स्पेयर टैक्स आर.टी.ओ. द्वारा इन बसों पर अध्यारोपित किया गया, वह विभाग के कर्मचारी की लापरवाही से हुआ, हाँ अथवा नहीं? क्या मूल निविदाकार को इस समय अवधि में बसें रिफरबिशमेंट कराकर चलाने के लिए हैण्डओवर की गई, हाँ अथवा नहीं? **(ड.)** क्या अक्टूबर 2021 से सितंबर 2023 तक निविदा-13 के तहत निविदाकार को बसें चलाने के लिए विभाग द्वारा कोई पत्राचार किया गया, हाँ अथवा नहीं? क्या इसी समय अवधि में मूल निविदाकार द्वारा विभाग के साथ कोई पत्राचार किया गया, हाँ अथवा नहीं? यदि हाँ तो मूल निविदाकार द्वारा किए गए पत्राचार की छायाप्रति, पत्रों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही, कार्यवाही अवधि, अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पद का गौशवारा बनाकर प्रदाय करें। इसी निविदा के तहत दिनांक 01.01.2024 से प्रश्न दिनांक तक लिये गये विधिक अभिमत की छायाप्रति प्रदान करें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (क)** जी नहीं। जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। **(ग)** जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ।

(घ) जी हाँ। जी नहीं। जी नहीं। **(ड.)** जी नहीं। जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। विधिक अभिमत की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है।

ग्रीन मेडोज कॉलोनी की भूमि का निराकरण
[नगरीय विकास एवं आवास]

59. अता.प्र.सं.134 (क्र. 4287) श्री हरिशंकर खटीक : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि म.प्र. गृह निर्माण मंडल को अरेरा हिल्स स्थित खसरा क्र. 959/1 में से रकबा 5.15 एकड़ भूमि का आवंटन (ग्रीन मेडोज कॉलोनी) हेतु विसंगति भूमि का आवंटन होने से कॉलोनी के रहवासी एक मुश्त लीज रेंट जमा नहीं कर पा रहे हैं? कृपया सम्पूर्ण भूमि आवंटन के आदेश की छायाप्रतियां प्रदाय करें। **(ख)** क्या यह भी सही है कि राजस्व विभाग, म.प्र. शासन अपर सचिव के पृष्ठां. क्र. एफ 6-7/2007/सात/नजूल, दिनांक 07.07.2017 द्वारा कलेक्टर जिला भोपाल को पत्र लिखा गया था? जिसमें स्पष्ट बिंदु क्र. (1) एवं (2) में उल्लेख जो था उसकी समस्त कार्यवाही प्रश्न दिनांक तक क्यों नहीं कराई जा रही है? क्या-क्या कारण हैं स्पष्ट बताएं। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं **(ख)** के आधार पर बताए कि अरेरा हिल्स भोपाल के किस-किस खसरा नंबर में कितने-कितने रकबा में कौन-कौन से कार्यालय, भवन एवं अन्य वर्तमान की स्थिति में बने हैं एवं किस-किस का कब्जा है? उसमें से कितनी-कितनी भूमि पर प्रश्न दिनांक तक उक्त कॉलोनी का कब्जा है? कृपया सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय करें। **(घ)** प्रश्नांश (क) के आधार पर निश्चित समय-सीमा सहित बताए कि प्रश्न दिनांक तक शासन के राजस्व विभाग द्वारा दिए दिनांक 07.07.2017 से लगभग 7 वर्ष में कलेक्टर, कमिश्नर भोपाल के द्वारा भूमि विसंगति का संशोधन कर निराकरण नहीं कर पाया है? क्यों? उसका निराकरण कराया जायेगा तो कब तक? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं कब तक एक मुश्त लीज रेंट जमा करवाई जावेगी तो कब तक? निश्चित समय-सीमा सहित बताएं।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [*(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। **(घ)** राजस्व विभाग द्वारा लीज में संशोधन किये जाने हेतु आदेश दिनांक 27092023 जारी किये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

दिसम्बर, 2024

दिनांक 16 दिसम्बर, 2024

भवन/कारखाना निर्माण की अनुमति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

1. अता.प्र.सं.23 (क्र. 163) श्री कालु सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 55 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियम, आदर्श विधियां उपविधियां की प्रति देवें। **(ख)** ग्राम खोड़ी ग्राम पंचायत कदवालिया में जनपद पंचायत बड़वाह जिला खरगोन में एसोसिएटेड एल्कोहल एवं ब्रेवरीज लिमिटेड खोड़ी उद्योग द्वारा इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया? कार्य प्रारंभ करने एवं पूर्ण होने की दिनांक बतावें और नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत कार्यालय से कब निर्माण की अनुमति प्राप्त की गई? ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड से निर्माण अनुमति, निर्माण का नक्शा फीस का भुगतान और उपभोग का प्रमाण पत्र देवें। **(ग)** यदि ग्राम पंचायत रिकॉर्ड के अनुसार निर्माण अनुमति जारी नहीं की गई है तो उक्त अवैध निर्माण कब तक तोड़ दिया जाएगा और इस अवैध निर्माण को तोड़ने वाले सक्षम अधिकारी का नाम पदनाम बतावें। **(घ)** ग्राम पंचायत कदवालिया के द्वारा अवैध निर्माण के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या शराब उद्योग के खौफ से सरपंच एवं सचिव के द्वारा अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा जा रहा है या सरकार का संरक्षण है?

पंचायत मंत्री : [***(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।***] **(ख)** जी हॉ, ग्राम पंचायत कदवालिया में जनपद पंचायत बड़वाह जिला खरगोन में ऐसोसिएट एल्कोहल एवं ब्रेवरीज लिमिटेड खोडी द्वारा उद्योग इथेनाल प्लांट वर्ष 2019 में प्रारंभ कर 2023 में स्थापित किया गया है। ग्राम पंचायत कदवालिया के क्रमांक 22 दिनांक 29.05.2019 एवं पत्र दिनांक 07.08.2021 अनुसार ग्राम पंचायत से निर्माण अनापत्ति प्राप्त की गई। तत्संबंधी प्रमाण-पत्र व पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है। (ग) एवं (घ)** उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भवन/कारखाना निर्माण की अनुमति

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

2. परि.अता.प्र.सं. 29 (क्र. 169) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 55 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियम, आदर्श विधियां उपविधियां की प्रति देवें। **(ख)** ग्राम खोड़ी ग्राम पंचायत कदवालिया में जनपद पंचायत बड़वाह जिला खरगोन में एसोसिएटेड एल्कोहल एवं ब्रेवरीज लिमिटेड खोड़ी उद्योग द्वारा इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया? कार्य प्रारंभ करने एवं पूर्ण होने की दिनांक

बतावे और नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत कार्यालय से कब निर्माण अनुमति प्राप्त की गई? ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड से निर्माण अनुमति, निर्माण का नक्शा फीस का भुगतान और उपभोग का प्रमाण पत्र देवें। **(ग)** यदि ग्राम पंचायत रिकॉर्ड के अनुसार निर्माण अनुमति जारी नहीं की गई है तो उक्त अवैध निर्माण कब तक तोड़ दिया जाएगा और इस अवैध निर्माण को तोड़ने वाले सक्षम अधिकारी का नाम पदनाम बतावें? **(घ)** ग्राम पंचायत कदवालिया के द्वारा अवैध निर्माण के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या शराब उद्योग के खौफ से सरपंच एवं सचिव के द्वारा अवैध निर्माण को नहीं तोड़ जा रहा है? या सरकार का संरक्षण है? प्रमुख सचिव प्रतिवेदन देवें।

पंचायत मंत्री : *[(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*] **(ख)** जी हॉ, ग्राम पंचायत कदवालिया में जनपद पंचायत बड़वाह जिला खरगोन में ऐसोसिएट एल्कोहल एवं ब्रेवरीज लिमिटेड खोडी द्वारा उद्योग इथेनाल प्लांट वर्ष 2019 में प्रारंभ कर 2023 में स्थापित किया गया है। ग्राम पंचायत कदवालिया के क्रमांक 22 दिनांक 29.05.2019 एवं पत्र दिनांक 07.08.2021 अनुसार ग्राम पंचायत से निर्माण अनापत्ति प्राप्त की गई। तत्संबंधी प्रमाण-पत्र व पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है। **(ग) एवं (घ)** उत्तरांश **(ख)** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित हितग्राही मूलक योजना
[श्रम]

3. अता.प्र.सं.37 (क्र. 231) श्री हरी सिंह सप्रे : क्या श्रम मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कुरवाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा संचालित किन-किन योजना अंतर्गत कितनी राशि विगत 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक आंवटित की गई? किन-किन योजनाओं में लाभान्वित कितने-कितने हितग्राही को किस मान से कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है एवं कितनी-कितनी राशि वितरित की गई है? कितने हितग्राहियों को राशि नहीं दी गई है? कारण बतावें। वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक ग्राम पंचायत/नगर परिषदवार हितग्राहियों की जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार विभाग की संबल योजना सहित विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों के लंबित राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्रम मंत्री : *[**(क)** म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की योजनाओं अंतर्गत जिला/निकाय स्तर पर राशि आवंटित नहीं की जाती है। पदाभिहित अधिकारी द्वारा पोर्टल पर प्राप्त आवेदन की ऑनलाईन स्वीकृति के पश्चात ई.पी.ओ. के माध्यम से हितग्राही को सीधे बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। कुरवाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं में वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक लाभांवित हितग्राहियों की जनपद पंचायतवार/नगर परिषदवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।** म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की योजना अंतर्गत लंबित प्रकरणों की जानकारी निरंक है। श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना अंतर्गत जिला स्तर पर राशि आवंटित नहीं की जाती है। सबंल योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के*

खाते में सीधे अंतरित की जाती है। कुरवाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत योजना में लाभान्वित हितग्राहियों की स्वीकृति राशि एवं वितरित राशि की ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है।*** *विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संबल योजना अंतर्गत 222 प्रकरण भुगतान हेतु स्वीकृत है। 222 की ग्राम पंचायतवार/नगर परिषदवार* ***जानकारी संकलित होने पर प्रेषित*** *की जावेगी। म.प्र. श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं में वर्ष 2021-22 से कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पात्र श्रमिकों द्वारा आवेदन नहीं किये जाने के कारण जानकारी निरंक है।* ***(ख)*** *म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार, कर्मकार कल्याण मंडल प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता के प्रकरणों में भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है, आगामी सिंगल क्लिक कार्यक्रम में बजट उपलब्धता अनुसार मृत्यु दिनांक के क्रमानुसार में राशि जारी की जाती है।*] **(क)** म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की योजनाओं अंतर्गत जिला/निकाय स्तर पर राशि आवंटित नहीं की जाती है। पदाभिहित अधिकारी द्वारा पोर्टल पर प्राप्त आवेदन की ऑनलाईन स्वीकृति के पश्चात ई.पी.ओ. के माध्यम से हितग्राही को सीधे बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। कुरवाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं में वर्ष 2021-22 से प्रश्न दिनांक तक लाभांवित हितग्राहियों की जनपद पंचायतवार/नगर परिषदवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।** म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की योजना अंतर्गत लंबित प्रकरणों की जानकारी निरंक है। श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना अंतर्गत जिला स्तर पर राशि आवंटित नहीं की जाती है। सबंल योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के खाते में सीधे अंतरित की जाती है। कुरवाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत योजना में लाभान्वित हितग्राहियों की स्वीकृति राशि एवं वितरित राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।** विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संबल योजना अंतर्गत 222 प्रकरण भुगतान हेतु स्वीकृत है। 222 की ग्राम पंचायतवार/नगर परिषदवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।** म.प्र. श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं में वर्ष 2021-22 से कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पात्र श्रमिकों द्वारा आवेदन नहीं किये जाने के कारण जानकारी निरंक है।

सहकारिता विभाग में घोटले की जांच
[सहकारिता]

4. अता.प्र.सं.72 (क्र. 403) श्री राजेश कुमार वर्मा : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्तमान सिमरिया जिला पन्ना शाखा प्रबंधक, पूर्व प्रभारी जिला महाप्रबंधक के नियम विरुद्ध प्रभारी बनाए जाने से लेकर करोड़ों के गबन की दर्जनों शिकायतें कई सालों से आज भी अपूर्ण है? इतने वर्षों में उक्त के खिलाफ शिकायत और सबूत होने के बावजूद कार्यवाही न किया जाना और जांच को लटकाए रखना कितना न्यायोचित है? क्या शासन इस पर कड़े दिशा-निर्देश देने की कृपा करेंगे? **(ख)** जिला सहकारी बैंक पन्ना अंतर्गत अभी तक कितने महाप्रबंधकों पर गबन करने के आरोप सिद्ध हुए हैं और कितने लोगो पर अभी तक एफ.आई.आर. दर्ज हुई है? आज भी

दर्जनों ऐसे समिति प्रबंधक हैं जिन पर वसूली संस्थित है फिर उन्हें किस आधार पर मौके दिए जा रहे है जबकि अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज क्यो नहीं किया गया है? सहायक समिति प्रबंधक भिलसांय की कई शिकायतों के बावजूद गबन की सिद्धता के बाद भी कार्यवाही, एफ.आई.आर न होना किसकी लापरवाही है और उक्त समिति प्रबंधक पर कितने रुपए की वसूली निकली है? यदि वसूली निकली है तो अभी तक क्यों वसूल नहीं की गई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? साथ ही अभी तक इन पर एफ.आई.आर. दर्ज कर सेवा से पृथक क्यों नहीं किया गया?

सहकारिता मंत्री : *[(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित पन्ना की शाखा सिमरिया के शाखा प्रबंधक, पूर्व प्रभारी महाप्रबंधक बैंक पन्ना के विरुद्ध 11 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनकी जाँच कराई जाकर कार्यवाही की गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है**। प्राप्त शिकायतों की जाँच कराई गई, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित पन्ना में अभी तक पदस्थ रहे महाप्रबंधकों पर गबन के आरोप सिद्ध नहीं पाये जाने से उनके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई है जिला सहकारी बैंक पन्ना में ऐसे समिति प्रबंधक, जिन पर राशि वसूली संस्थित है, की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है**। सहायक समिति प्रबंधक भिलसांय श्री रामशिरोमणि द्विवेदी के विरुद्ध एफ.आई.आर. के निर्देश समिति प्रबंधक को दिये गये हैं। उक्त समिति प्रबंधक के विरूद्ध वसूली हेतु अधिरोपित राशि रू. 26,54,122/- एवं श्री रामशिरोमणि द्विवेदी सहायक समिति प्रबंधक तथा श्री धर्मेन्द्र द्विवेदी विक्रेता के विरुद्ध संयुक्त रूप से राशि रु. 6,09,000/- का प्रकरण न्यायालय सहायक पंजीयक सहकारी सोसायटी संस्थाएँ पन्ना में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 64 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। श्री रामशिरोमणि द्विवेदी, सहायक समिति प्रबंधक की सेवाएँ समाप्त की जाकर सेवा से पृथक कर दिया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र - 4 एवं 5 अनुसार है**।

मेढ़ बंधान में मिट्टी का उपयोग
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

5. अता.प्र.सं.92 (क्र. 472) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायतों एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा 01.04.2021 से प्रश्नतिथि तक जिन-जिन तालाबों का निर्माण कराया गया है उन-उन तालाबों के मेढ़ बंधान की मिट्टी किस निर्धारित खदानों से लाकर मेढ़ बनवाई गई? उक्त मेढ़ बंधान की मिट्टी का सोईल टेस्ट (मिट्टी परीक्षण) की तालाबवार/वर्षवार/माहवार/ग्रामवार/तालाब निर्माण की राशिवार सभी टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध करायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार तालाबों को किस-किस योजना के अंतर्गत खोदा गया? किन-किन तालाबों का गहरीकरण किस-किस स्थान/जनपद पंचायतों में कराया गया? क्या मजदूरों का उपयोग किया या मशीनें लगाकर खुदाई की गई? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित मेढ़ बंधान की मिट्टी के लिये किस-किस तालाब के लिये किस-किस सप्लायर/विक्रेता को कब-कब, कितना-कितना भुगतान कितनी-कितनी राशि का किया गया? तालाबवार/राशिवार/माहवार/वर्षवार/सप्लायर के नाम/पतेवार/जनपदवार/स्थान (ग्राम पंचायतवार)

जानकारी दें। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख), (ग) में उल्लेखित कार्यों में से किस-किस कार्यों की क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायतों की एक-एक प्रति दें एवं सभी कार्यों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें।

पंचायत मंत्री : *[(क) से(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*] **(क)** सतना (सतना व मैहर) जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायतों एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2021 से प्रश्न दिनांक तक निर्मित तालाबों की मिट्टी, स्थानीय तालाबों स्थानीय कृषकों की जमीन तथा निर्माणाधीन तालाब के केचमेंट से ली जाकर तालाबों के बंड बनवाये गये। मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' में वर्णित समयानुसार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' में उल्लेखित तालाबों की मिट्टी के विक्रेता/सप्लायरों को भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स'** (फ्लो चार्ट) **अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश क, ख, ग में उल्लेखित शिकायतों की जानकारी तथा सभी कार्यों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्रों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है।

भवन/कारखाना निर्माण की अनुमति
[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

6. अता.प्र.सं.138 (क्र. 655) श्री सचिन बिरला : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 55 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियम, आदर्श विधियां उपविधियां की प्रति देवें? **(ख)** ग्राम खोडी ग्राम पंचायत कदवालिया में जनपद पंचायत बड़वाह जिला खरगोन में एसोसिएटेड (एल्कोहल एवं ब्रेवरीज लिमिटेड खोडी उद्योग द्वारा इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया? कार्य प्रारंभ करने एवं पूर्ण होने की दिनांक बतावें और नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत कार्यालय से कब निर्माण अनुमति प्राप्त की गई? ग्राम पंचायत के रिकार्ड से निर्माण अनुमति, निर्माण का नक्शा फीस का भुगतान और उपभोग का प्रमाण पत्र देवें। **(ग)** यदि ग्राम पंचायत रिकार्ड के अनुसार निर्माण अनुमति जारी नहीं की गई है तो उक्त अवैध निर्माण कब तक तोड़ दिया जाएगा और इस अवैध निर्माण को तोड़ने वाले सक्षम अधिकारी का नाम, पदनाम बतावें। **(घ)** ग्राम पंचायतं कदवालिया के द्वारा अवैध निर्माण के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या शराब उद्योग के खौफ से सरपंच एवं सचिव के द्वारा अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा जा रहा है?

पंचायत मंत्री : *[(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है। (ख) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*] **(ख)** जी हॉ, ग्राम पंचायत कदवालिया में जनपद पंचायत बड़वाह जिला खरगोन में ऐसोसिएट एल्कोहल एवं ब्रेवरीज लिमिटेड खोडी द्वारा उद्योग इथेनाल प्लांट वर्ष 2019 में प्रारंभ कर 2023 में स्थापित किया गया है। ग्राम पंचायत कदवालिया के क्रमांक 22 दिनांक 29.05.2019 एवं पत्र दिनांक 07.08.2021 अनुसार ग्राम पंचायत से निर्माण अनापत्ति प्राप्त

की गई। तत्संबंधी प्रमाण-पत्र व पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है। (ग) एवं (घ)** उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2024

रेत का अवैध उत्खनन
[खनिज साधन]

7. परि.अता.प्र.सं. 42 (क्र. 493) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 2023-24 में केवलारी विधानसभा क्षेत्र की खुर्शीपार माल रेत खदान नीलामी में उक्त प्रक्रिया का पालन न किया जाकर अवैध तरीके से ई.सी. जारी कर दी गई? इसकी शिकायत प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा की गई है? जिसमें प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश (क) के प्रकाश में ग्राम बागडोंगरी में ग्रामवासियों की जनसुनवाई की कार्यवाही के दौरान ग्रामवासियों ने 24 मई 2024 को पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एवं विधायक ने मौके पर आपत्ति दर्ज कराई किन्तु इसके बावजूद भी इसे नजर अंदाज कर अवैध तरीके से रेत खदान की ई.सी. जारी कर दी गई, तो क्यों? **(ग)** क्या शासन पूरे प्रकरण की जाँच कर खदान निरस्त करने की कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री : *[(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम - सकरी - खुरसीपार - अरंडिया के खसरा क्रमांक 671, 01, 507 का कुल रकबा 21.000 हेक्टेयर क्षेत्र की पर्यावरणीय अनुमति हेतु जनसुनवाई मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर के द्वारा दिनांक 22.03.2024 को आयोजित की गई। प्रश्नकर्ता माननीय विधायक द्वारा उक्त जनसुनवाई में कोई शिकायत नहीं की गई है। जनसुनवाई में प्राप्त जनसामान्य की टीका-टिप्पणी एवं ई.आई.ए. अध्ययन रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13.05.2024 में प्रस्तुत की गई, अनुशंसा उपरांत नियमानुसार प्राधिकरण (सिया) द्वारा दिनांक 21.05.2024 को विशिष्ट एवं मानक शर्ते अधिरोपित कर पूर्व पर्यावरण मंजूरी (ई.सी.) प्रदान की गई है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के प्रकाश में ग्राम बागडोंगरी - देवगांव की रेत खदान की पूर्व पर्यावरण मंजूरी (ई.सी.) की प्रक्रिया में म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन भोपाल द्वारा पूर्व पर्यावरण मंजूरी (ई.सी.) हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदित प्रकरण क्रमांक पी 2-463/2024 पंजीबद्ध है। उक्त प्रकरण में ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 में निहित प्रावधान अनुसार पूर्व पर्यावरण मंजूरी (ई.सी.) हेतु ई.आई.ए. प्रतिवेदन एवं जनसुनवाई दिनांक 24.05.2024 की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकर्ता माननीय विधायक एवं उपस्थिति जनप्रतिनिधियों द्वारा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर को प्रस्तुत शिकायत पत्र कार्यवाही में सम्मिलित कर प्रतिवेदन सहित ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर राज्य खनिज निगम द्वारा आवेदन किया गया। सेक की 764 ए बैठक दिनांक 05.06.2024 में प्रकरण में तकनीकी जानकारी सेक को प्रस्तुत करने हेतु राज्य खनिज निगम को निर्देशित किया गया है। प्रश्न दिनांक तक प्रकरण में

पर्यावरणीय अनुमति नहीं दी गयी है। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

8. अता.प्र.सं.54 (क्र. 528) श्री अभय मिश्रा : क्या उप मुख्यमंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जन अभियान परिषद् द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं का संचालन कार्यक्षेत्र तथा प्रभाव क्षेत्र के आधार पर उसका वर्गीकरण एवं मूल्यांकन करना स्वयं सभी संस्थाओं की शासकीय विभागों द्वारा संचालित योजनाओं पर भागीदारी कराना कोष की स्थापना व अनुदान उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है? **(ख)** यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो रीवा संभाग के विभिन्न जिलों व जनपदों में कितनी संस्थाओं/विभागों का मूल्यांकन व शासकीय विभागों के साथ संलग्नीकरण कराकर कितनी-कितनी राशियां किन-किन संस्थाओं को किन-किन कार्यों हेतु कब-कब दी गई का विवरण वर्ष 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक का देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) के तारतम्य में परिषद् द्वारा संचालित योजनाएं एवं विकासात्मक गतिविधियां कौन-कौन सी हैं? इनमें से रीवा संभाग के विभिन्न जिलों व जनपदों में किन लोगों को कब-कब, किन-किन योजनाओं में समायोजित कर कितना-कितना लाभ किन-किन योजनाओं द्वारा हितग्राहियों को प्रदान किया गया का विवरण वर्ष 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक का जिला/जनपदवार देवें। इनमें से शासन से प्राप्त आवंटन व व्यय का विवरण भी उपरोक्त अवधि अनुसार देवें। पत्र क्रमांक 543 दिनांक 04.10.2024 के माध्यम से कलेक्टर रीवा व संयुक्त संचालक योजना एवं सांख्यिकी विभाग से जानकारी चाही गई थी जो आपेक्षित है, क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के तारतम्य में संचालित प्रस्फुटन योजना, नवांकुर योजना, समृद्धि योजना के तहत कितनी समितियों, संस्थाओं का चयन किया गया? उनके पदनाम सहित विवरण देवें। इस हेतु कितनी राशि शासन द्वारा प्राप्त हुई एवं कितनी व्यय की गई? योजनावार, व्यक्तिवार, समितिवार, संस्थावार जानकारी वर्ष 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक की देवें। चयन बाबत् शासन के क्या निर्देश हैं? प्रति देते हुये बतायें। निर्देशों का पालन कर चयन नहीं किया गया तो इसके सत्यापन व जांच बाबत् क्या निर्देश देंगे? बतावें। अगर नहीं तो क्यों? **(ड.)** प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार उल्लेखित आधारों पर संबंधितों द्वारा कार्यवाही नहीं की गई, मनमानी तरीके से समितियों एवं संस्थाओं को व्यक्तिगत हितपूर्ति कर लाभान्वित किया गया। प्रस्फुटन योजना एवं नावांकुर योजना का क्रियान्वयन कर मनमानी तरीके से अपने निजी स्वजनों को लाभान्वित करने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं? जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

उप मुख्यमंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी : *[(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]* **(क)** जी हाँ। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के उन्मुखीकरण एवं पोषण हेतु नवांकुर योजना का संचालन किया जाता है। शेष प्रश्नांश संबंधित नहीं है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में रीवा संभाग के विभिन्न जिलों व जनपदों में नवांकुर योजनान्तर्गत चयनित संस्थाओं की सूची एवं उन्हें आवंटित राशि संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।**

(ग) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा नवांकुर योजना का संचालन किया जाता है, प्रश्नांश से रीवा संभाग के विभिन्न जिलों व जनपदों से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।** परिषद की उक्त योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से आमजन लाभान्वित नहीं होते। पत्र क्रमांक 543 दिनांक 04.10.2024 की चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।** शेष प्रश्नांश संबंधित नहीं है। **(घ)** प्रश्नांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रस्फुटन योजना, नवांकुर योजना, समद्धि योजना से संबंधित चयनित/गठित समितियों की जानकारी व आवंटित राशि, व्यय संबधित जानकारी व चयन निर्देश नवांकुर योजना मार्गदर्शिका **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** प्रश्नांश के संदर्भ में निर्धारित नियम प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सहकारी सूत मिल मर्या. बुरहानपुर
[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

9. ता.प्र.सं. 5 (क्र. 588) श्रीमती अर्चना चिटनीस : क्या सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सहकारी सूत मिल मर्या. बुरहानपुर के श्रमिक एवं कर्मचारियों को देय वेतन, ग्रेज्युटी के भुगतान के संबंध में विभाग द्वारा कोई निर्णय प्रदेश के अन्य मिलों के कर्मचारियों को किए गए भुगतान के तरह लिया गया है? यदि नहीं, तो 25 वर्षों की परिसमापन अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी भुगतान का निर्णय कितनी समय-सीमा में लिया जायेगा? **(ख)** मिल परिसमापन के समय मिल की समस्त चल-अचल संपत्ति की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या मिल को 99 वर्ष की लीज पर दी गई भूमि भी शासन द्वारा अपने आधिपत्य में लिया गया था? यदि हाँ, तो मिल की भूमि एवं सम्पत्तियां किस विभाग के आधिपत्य में हैं? **(ग)** मिल के परिसमापन के समय मिल श्रमिक एवं कर्मचारियों को देय वेतन, ग्रेज्युटी के भुगतान संबंधी कितनी देनदारी शेष थी? प्रश्न दिनांक को श्रमिकों की कितनी देनदारियां शेष है? इन मिल श्रमिकों के भुगतान शासन किस समय-सीमा तक भुगतान की व्यवस्था करेगा? **(घ)** मिल परिसमापन के समय से प्रश्न दिनांक तक किन-किन विभागों को परिसमापक नियुक्त किया गया था? परिसमापकों के द्वारा श्रमिकों के देनदारियों के भुगतान के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है? क्या विभाग मिल की परिसंपत्तियों का विक्रय कर समय-सीमा निश्चित कर श्रमिकों के देनदारियों का भुगतान सुनिश्चित करेगा?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री : [***(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** यह तथ्य शासन के संज्ञान में है एवं श्रामिकों के देयताओं के भुगतान पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। **(ख)** कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग बुरहानपुर के निरिक्षण प्रतिवेदन दिनांक 15.04.2024 अनुसार स्थल पर कोई चल-अचल संपत्ति नही पाई गई। स्थल के कुछ स्थानों पर पूर्व में निर्मित भवनों का मलबा पाया गया, जो नगण्य है। जी हां, मिल को वर्ष 1966 में 57.83 एकड भूमि 99 वर्ष की लीज पर दी गई थी। मिल को लीज पर प्रदान भूमि में से 35.98 एकड भूमि (14.57 हेक्टेयर) भूमि राजस्व अभिलेखों में वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के नाम से दर्ज है। शेष भूमि का प्रबंधन राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। कार्यपालन यंत्री के प्रतिवेदन दिनांक 15.04.2024 से स्पष्ट है कि वर्तमान में मिल के नाम पर कोई परिसम्पत्ति नहीं है। **(ग)** परिसमापन दिनांक

28.02.1999 की स्थिति में मिल श्रमिक एवं कर्मचारियों को देय वेतन, ग्रेज्युटी आदि की कुल देनदारिया राशि रूपये 151.13 लाख शेष थी। प्रश्न दिनांक तक श्रमिको के देनदारियाँ की उक्त राशि यथावत है। यह तथ्य शासन के संज्ञान में है एवं इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। **(घ)** मील परिसमापन के समय से प्रश्न दिनांक तक नियुक्त परिसमापकों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** उक्त परिसमापकों द्वारा श्रमिकों की देनदारियों के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। वर्तमान में सहकारी सूत मिल बुरहानपुर के नाम पर कोई भी चल-अचल संपत्ति या परिसम्पत्ति नहीं है। अतः विक्रय का प्रश्न उपस्थित नही होता। श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान के संबंध में शासन स्तर पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

<u>परिशिष्ट - "एक"</u>

रिलायंस कंपनी द्वारा मीथेन गैस का उत्सर्जन
[खनिज साधन]

10. परि.अता.प्र.सं. 59 (क्र. 622) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शहडोल संभाग अंतर्गत जिला शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर में रिलायंस कंपनी द्वारा किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी मीथेन गैस कुओं से निकाली जा रही है? ग्रामवार, जिलावार जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार रिलायंस कंपनी द्वारा मीथेन गैस निकालने के लिए कितनी भूमि शासकीय एवं कितनी भूमि निजी पट्टेधारियों की ली गई है? जिलावार पृथक–पृथक जानकारी देवें तथा निजी भूमि मालिकों को मुआवजा भुगतान हो चुका है या नहीं? **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार मीथेन गैस उत्सर्जन के बाद मीथेन गैस को कहाँ-कहाँ और कितने किलोमीटर दूर भेजा जा रही है? किस माध्यम से भेजा जा रही है? जानकारी देवें। **(घ)** क्या मीथेन गैस ज्वलनशील होने के कारण वातावरण में घुलकर लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है तथा क्या कृषि पैदावार पर भी प्रभाव पड़ रहा है? कंपनी द्वारा संभाग में इसकी रोकथाम के लिए किए गए उपायों की जानकारी देवें। **(ड.)** रिलायंस कंपनी कब से मीथेन गैस शहडोल संभाग के ग्रामों से उत्सर्जित कर रहा है तथा कितने लोगों को नौकरियां दी गयी हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सुविधा देने के अनुबंध के अनुसार ग्रामवासियों को लाभ मिला या नहीं? शासन और कंपनी के बीच किये गये अनुबंध की छायाप्रति देवें।

मुख्यमंत्री : [***(क) से(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** रिलायंस कंपनी द्वारा शहडोल जिले में 24 मार्च 2017 से 6,54,56,232.61 मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (गैस की मात्रा मापने की इकाई) कोल बेड मीथेन गैस का उत्पादन किया गया है। अनूपपुर जिले में वर्तमान में कोई उत्पादन नहीं किया गया है। उमरिया जिले में कंपनी को कोल बेड मीथेन गैस की कोई खनि रियायत स्वीकृत नहीं है। शहडोल जिले में 45 ग्रामों में स्थित 320 गैस के कुओं से गैस निकाली जा रही है। ग्रामों की सूची **जानकरी संलग्न परिशिष्ट पर** दर्शित है। गैस के कुओं से गैस निकालकर तीन स्थानों पर पाईप लाईन के माध्यम से संग्रहण किया जाता है। अत: ग्रामवार गैस के उत्पादन की जानकारी संधारित नहीं होती है। **(ख)** प्रश्नाधीन कंपनी द्वारा शहडोल जिले में भू-स्वामी से समन्वय कर 393.99 एकड़ तथा अनूपपुर जिले में 31.834 हेक्टेयर भूमि पट्टे अथवा विक्रय के आधार पर ली गई है। जिसका डायवर्सन कराकर निजी भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान

किया गया है। कंपनी के पक्ष में स्वीकृत ब्लाक में 15.06 एकड़ शासकीय भूमि शामिल है। **(ग)** कंपनी द्वारा गैस पाइप लाइन के माध्यम से कोल बेड मीथेन गैस फूलपुर (उत्तरप्रदेश) भेजी जाती है, जिसकी लम्बाई 304 किलोमीटर है। नेशनल गैस ग्रिड के माध्यम से देश के विभिन्न उपभोक्ताओं को गैस भेजी जा रही है। **(घ)** मीथेन गैस ज्वलनशील होने के कारण वातावरण में घुलकर लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने एवं कृषि पैदावार पर भी प्रभाव पड़ने जैसी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। कंपनी के पक्ष में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति दी गई है। अनापत्ति की शर्तों का कंपनी द्वारा पालन किया जा रहा है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** प्रश्नांश की जानकारी प्रश्नांश (क) के उत्तर में दर्शित है। कंपनी में वर्तमान में लगभग 2298 व्यक्ति इस परियोजना में कार्यरत है। जिसमें से मध्यप्रदेश के 1614 कर्मचारी तथा अन्य प्रदेशों के 684 कर्मचारी कार्यरत है। कंपनी द्वारा सी.एस.आर. के तहत परियोजना से लगे लगभग 150 ग्रामों में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन यापन, कौशल विकास, जल आपूर्ति की आवश्यकताओं के लिए कार्य कर रही है। राज्य शासन से कंपनी के मध्य वर्तमान में अनुबंध नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "दो"</u>

नीलाम की गई खदानों की जानकारी
[खनिज साधन]

11. परि.अता.प्र.सं. 74 (क्र. 764) श्री चन्द्रशेखर देशमुख : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल जिले में कितनी-कितनी रेत खदान की कितनी मात्रा की नीलामी वर्ष 2018 से 2023 तक की जाकर, कितनी शासकीय बोली निर्धारित की गई एवं कितनी राशि में किस-किस दिनांक को अनुबंध किया गया? इस अवधि में रॉयल्टी की दर क्या निर्धारित थी? पर्यावरणीय अनुमति किसे लेनी था? **(ख)** उपरोक्त अवधि में किस स्थान पर कितनी रेत के भंडारण की अनुमति किस दिनांक को दी गई? किस दिनांक को कितनी मात्रा में अवैध रेत खनन एवं अवैध रेत भंडारण का किस स्थान पर किसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया? उस पर किस दिनांक को कितना अर्थदंड किया गया? **(ग)** किस रेत भंडारण में किस रेत खदान से कितनी रेत का परिवहन किया गया? परिवहन की गई रेत में से कितनी रेत की पीट-पास जारी की गई? कितनी रेत की पीट-पास भंडारण स्थल से जारी की गई? दिनांकवार बतावें।

मुख्यमंत्री : [***(क) से(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** प्रश्नांश अनुसार बैतूल जिले में वर्ष 2018 की अवधि में रेत खदानें मध्यप्रदेश रेत खनन नीति 2017 के तहत ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय के माध्यम से संचालित होने से वर्ष 2018 में रेत खदानों की नीलामी नहीं की गई। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 अधिसूचना दिनांक 30 अगस्त 2019 से अधिसूचित किया गया है। जिसके तहत वर्ष 2019 में बैतूल की कुल 47 रेत खदानों में रेत खनन एवं विक्रय हेतु अपसेट प्राईज राशि रूपये 12,50,00,000/- एवं निविदा हेतु निर्धारित मात्रा 10,00,00 घ.मी. वार्षिक हेतु ई-निविदा के माध्यम से बैतूल हेतु उच्चतम ऑफर राशि रूपये 32,50,00,000/- प्राप्त होने पर ठेकेदार के साथ अनुबंध दिनांक 06.06.2020 से निष्पादित किया गया। तत्समय समस्त रेत खदानों की पर्यावरण अनुमति प्राप्त किये जाने का दायित्व ठेकेदार का

था। उक्त नियमों में दिनांक 26 मई 2023 को अधिसूचित संशोधन अनुसार रेत समूह बैतूल की कुल 42 रेत खदानों से रेत खनन एवं विक्रय हेतु अपसेट प्राईज राशि रूपये 25,00,00,000/- एवं निविदा हेतु निर्धारित मात्रा 10,00,00 घ.मी. वार्षिक हेतु सह नीलामी के माध्यम से बैतूल हेतु उच्चतम ऑफर राशि रूपये 27,27,45,000/- प्राप्त होने पर माईन डेवलपर कम ऑपरेटर के साथ दिनांक 03.11.2023 को अनुबंध निष्पादित किया गया। वर्तमान में प्रचलित नियम अनुसार रेत खदानों की पर्यावरण अनुमति आदि प्राप्त करने का दायित्व मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम का है। वर्तमान में रायल्टी की दर 125 रूपये प्रति घनमीटर निर्धारित है। ठेके में सम्मिलित रेत खदानों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब एवं स पर** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द पर** है।

महिला गुमशुदगी की जानकारी

[गृह]

12. परि.अता.प्र.सं. 88 (क्र. 817) श्री राजन मण्डलोई : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2023 से प्रश्न दिनांक तक मध्यप्रदेश के पुलिस थाना में अ.ज.जा. (वयस्क एवं अवयस्क) महिला गुमशुदगी कितनी संख्या दर्ज हुई है? **(ख)** कितनी महिलाओं को दस्तयाब किया गया तथा दस्तयाब महिलाओं की सुपुर्दगी किन्हें दी गई है उनके नाम, पूर्ण पता की जानकारी उपलब्ध कराये? **(ग)** कितनी महिलाओं को प्रश्न दिनांक तक दस्तयाब नहीं किया जा सका उनकी सूची कारण सहित उपलब्ध कराये?

मुख्यमंत्री : [***(क) से(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।***] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है।

आदेशों की अव्हेलना

[खनिज साधन]

13. परि.अता.प्र.सं. 109 (क्र. 982) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अद्योहस्ताक्षरकर्ता का पत्र क्र. 707 दिनांक 07.08.24 एवं 726 दिनांक 10.10.24 जो कलेक्टर, जिला भोपाल को प्रेषित किया गया था प्राप्ति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनाक 22.3.2011 में उल्लेखित पांचों बिन्दुओं एवं परिशिष्टों (1, 2) का पालन सुनिश्चित कर किया गया है? कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई? संबंधित अधि./कर्म. का नाम, पदनाम कार्यालयीन अभिलेखों/नोटशीटों/पत्रों/नियमों की प्रति सहित बताये? **(ख)** क्या पत्र पर कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं, तो आदेश के उल्लंघन पर विभाग में किन-किन के विरुद्ध जिम्मेदारी निर्धारित की गई? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित स्पष्ट करें। **(ग)** उपरोक्त के अनुक्रम में समाचार पत्रों, पीआरओ कक्ष, जनप्रतिनिधियों/राजनैतिक दल के पत्र, आर.टी.आई. अन्तर्गत कितनी सूचनायें प्राप्त हुई है गौशवारा बनाकर बतायें? उनकी प्रतियों सहित एवं व कृत कार्यवाही के अभिलेखों से अवगत करायें।

यदि कार्यवाही नहीं की गई तो इसकी जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्य में लापरवाही के लिये कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक और क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [***(क) से(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** जी हाँ। प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है व की गई कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर** है तथा कार्यालयीन अभिलेखों/नोटशीट/पत्र/नियमों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नकर्ता को विभाग से संबंधित बिन्दुवार जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांश अनुसार समाचार पत्रों, पी.आर.ओ. कक्ष, जनप्रतिनिधियों/राजनैतिक दल के पत्र, आर.टी.आई. अंतर्गत कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम/मजरे टोलो की जानकारी
[खनिज साधन]

14. अता.प्र.सं.145 (क्र. 1412) श्री मौंटू सोलंकी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. जिला खनिज प्रतिष्ठान अन्तर्गत सेंधवा विधान सभा के कितने ग्रामों/मजरे टोलों को कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है, सूची उपलब्ध करावे तथा इनके अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र सेंधवा के कितने ग्रामों एवं मजरों टोलों को कार्य योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है सम्मिलित नहीं करने का कारण बतावें। उक्त अनुसार कार्य योजना में शेष रहे ग्रामों/मजरे टोलों की सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** म.प्र जिला खनिज अन्तर्गत सेंधवा विधान सभा में चयनित ग्रामों एवं मजरे टोलों में वर्तमान तक उक्त योजना से विद्युतीकरण का लाभ दिया गया है अथवा नहीं यदि नहीं, तो वर्तमान तक प्रस्तावित कार्य योजना में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई कारण बतावें। **(ग)** म.प्र जिला खनिज योजना अन्तर्गत विधानसभा सेंधवा क्षेत्र में वर्तमान तक की गई कार्यवाही/सर्वे की जानकारी तथा उक्त योजना की सम्पूर्ण कार्य योजना, डीपीआर, टेण्डर प्रक्रिया उपलब्ध करावें। **(घ)** सेंधवा विधानसभा के कितने ग्रामों में 24 घंटे बिजली प्रदाय की जा रही हैं कितने ग्राम उक्त सुविधा से वंचित हैं सूची उपलब्ध करावे 24 घंटे बिजली प्रदाय से वंचित ग्रामों में कब तक बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री : [***(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** म.प्र. जिला खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों/मजरे टोलो में जिला खनिज प्रतिष्ठान बड़वानी के अंतर्गत वर्तमान में कोई कार्य सम्मिलित नहीं किया गया है। माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 22/08/2023 द्वारा 20 से अधिक घरों वाले मजरे टोलों में विद्युतीकरण का कार्य राशि रूपये 910.510 करोड़ स्वीकृत किया गया था। पुन: समिति की बैठक दिनांक 25/08/2023 द्वारा उक्त कार्य को निरस्त कर दिया गया है। **(ख)** एवं **(ग)** प्रश्नांश (क) में दिये उत्तर अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** कार्यालय अधीक्षण यंत्री (संचा/संधा) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं. लि. बडवानी वृत्त से प्राप्त जानकारी अनुसार, बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा क्षेत्रातंर्गत समस्त 124 नं. राजस्व ग्रामों को 24 घंटे विद्युत प्रदाय की जा रही है, तथा कोई भी राजस्व ग्राम विद्युत से वंचित नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 18 दिसम्बर, 2024

जिला चिकित्सालय विदिशा में अनियमितताएं
[लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा]

15. ता.प्र.सं. 8 (क्र. 26) श्री मुकेश टंडन : क्या उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता ने अनुविभागीय अधिकारी विदिशा की उपस्थिति में माह जुलाई 24 में माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय विदिशा का औचक निरीक्षण किया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त निरीक्षण में वहां पदस्थ सिविल सर्जन की प्रशासनिक क्षमता में कमी के कारण अनेक प्रकार की अनियमिततायें पायी गयी थी? **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता ने मान. मंत्री महोदय लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग को पत्र क्रमांक 407, दिनांक 31.07.2024 से अवगत कराकर जिला चिकित्सालय विदिशा में पायी गई प्रशासनिक अनियमितताओं को देखते हुए शीघ्र जांच करवा कर संबंधित दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करने का आग्रह किया था? यदि हाँ, तो अभी तक उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : [***(क) एवं(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** जी हाँ। जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। माननीय विधायक महोदय द्वारा इस संदर्भ में प्रेषित ज्ञाप क्रमांक 407 दिनांक 31.07.2024 में उल्लेखित बिन्दुओं की जांच हेतु कलेक्टर, जिला विदिशा को संचालनालय के ज्ञाप क्रमांक 1940/ दिनांक 19.11.2024 द्वारा संलग्न प्रेषित किया गया। कलेक्टर, जिला विदिशा से परीक्षण रिपोर्ट अप्राप्त होने पर उन्हें पुन: स्मरण ज्ञाप क्रमांक 2088/दिनांक 04.12.2024 प्रेषित किया गया। जिला विदिशा में डॉ. शिरिष रघुवंधी के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के पद पर पदस्थी के दौरान उनके विरूद्ध विभागीय गतिविधियों के क्रियान्वयन में लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता किये जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर संचालनालय के आदेश क्रमांक 2176/ दिनांक 13.12.2024 द्वारा डॉ. शिरिष रघुवंशी, सिविल सर्जन विदिशा को निलंबित किया गया। निलंबन आदेश की प्रति **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट - "तीन"

कटरा अवैध रेत खदान हादसा एवं मझगवां डम्पर ऑटो दुर्घटना की जानकारी
[राजस्व]

16. ता.प्र.सं. 4 (क्र. 210) श्री लखन घनघोरिया : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर जिला के तहसील सिहोरा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 05 जून, 2024 को कटरा की अवैध रेत खदान दुर्घटना एवं जून माह में ही हुये ब्लडस्ट से भरे डम्पर द्वारा ऑटो को टक्कर मारने से मृतक कितने-कितने मजदूरों के परिवारों के पीड़ितों एवं घायल व्यक्तियों को जिला प्रशासन एवं शासन ने कब किस मान से कितनी-कितनी राशि की आर्थिक सहायता व अन्य क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की है? दुर्घटना में किन-किन मृतकों के पीड़ित परिजनों तथा घायलों को कब से कितनी-कितनी राशि की आर्थिक सहायता नहीं दी गई एवं क्यों? मृतकों व घायलों की सूची सहित

जानकारी दें। **(ख)** जिला पुलिस प्रशासन जबलपुर ने अवैध रेत खदान के संचालकों एवं डम्पर के दोषियों के विरूद्ध कब क्या कार्यवाही की है? किस-किस के विरूद्ध कब एफ.आई.आर. दर्ज कर गिरफ्तार किया है एवं किसके विरूद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है एवं क्यों? **(ग)** प्रश्नांकित दुर्घटनाओं में मृतकों के पीड़ित परिजनों/घायल व्यक्तियों की क्या स्थिति है? घायल मजदूरों के लिये रोजगार एवं जीवन उपार्जन की क्या व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री : [***(क) से(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।***] **(क)** जबलपुर जिले की तहसील सिहोरा अन्तर्गत दिनांक 05 जून 2024 को कटरा की अवैध रेत खदान दुर्घटना एवं जून माह में हुये ब्लूडस्ट से भरे डम्पर द्वारा आटो को टक्कर मारने से मृत हुए मृतकों के सभी वारिसानों एवं घायलों को जिला प्रशासन द्वारा सहायता राशि प्रदान करने एवं मृतकों व घायलों की सूची सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख)** जिला पुलिस प्रशासन जबलपुर द्वारा अवैध रेत खदान के संचालकों एवं डम्पर के दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग)** उक्त दुर्घटना में समस्त घायल व्यक्ति वर्तमान में स्वस्थ हैं। श्रमिकों/मजदूरों के द्वारा रोजगार मांगने पर ग्राम पंचायत के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की व्यवस्था है।

पृथक वितरित उत्तर

भुआणा उत्सव का आयोजन
[संस्कृति]

17. परि.अता.प्र.सं. 37 (क्र. 377) कुँवर अभिजीत शाह : क्या राज्य मंत्री, संस्कृति, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा विगत 03 वर्षों में किन-किन जिलों को, कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है एवं इसका व्यय किस कार्य पर किया गया है? जिन जिलों को राशि आवंटित नहीं की गई तो इसका क्या कारण है। संपूर्ण जानकारी वर्षवार, विभागवार, जिलावार, कार्यवार देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित होने वाले महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मेले हेतु शासन द्वारा कितना बजट, कब-कब तथा किस-किस विभाग से आवंटित किया गया है? यह किस आधार पर आवंटित किया गया है? जानकारी वर्षवार, राशिवार, विभागवार उपलब्ध करावें। **(ग)** जिला हरदा में पर्यटन एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ हुए भुआणा उत्सव का आयोजन किस कारण से नहीं किया जा रहा है? क्या पर्यटन विभाग द्वारा इस हेतु कोई बजट उपलब्ध कराये जाने की योजना है? यदि हो तो कितना एवं कब, यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** हरदा जिले में भुआणा उत्सव प्रतिवर्ष मनाये जाने के राज्य शासन के क्या निर्देश है? इनकी छायाप्रति उपलब्ध करावें। शासन द्वारा भुआणा उत्सव को प्रदेश के अन्य कार्यक्रमों, महोत्सवों के समान महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा है? हरदा जिला पर्यटन में पिछड़ा है, इसके क्या कारण है?

राज्य मंत्री, संस्कृति : [***(क)*** *पर्यटन विभाग की जानकारी निरंक है तथा संस्कृति विभाग अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यालय संचालित न होने से विभाग द्वारा जिलावार बजट आवंटन की कार्यवाही नहीं की जाती है। संस्कृति विभाग अंतर्गत संस्कृति संचालनालय द्वारा "अर्थाभावग्रस्त*

साहित्यकारों/कलाकरों एवं उनके आश्रितों को मासिक वित्तीय सहायता" योजना संचालन के उद्देश्य से योजना अंतर्गत सहायता राशि जारी करने हेतु संबंधित जिले के जिला पंचायत कार्यालय को जिलेवार राशि आवंटित की जाती है। विगत 3 वर्षों में आवंटित राशि की ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार****। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार वर्ष 2022 एवं 2024 में म.प्र. स्थापना दिवस आयोजन के लिए भोपाल जिले को छोड़कर एक-एक लाख की राशि अन्य जिलों को प्रदाय की गई।* ***(ख)*** *गतिविधियों के संचालन के लिए शासन से जिलावार बजट राशि प्राप्त नहीं होती है। अत: जिलेवार गतिविधि के लिये राशि निर्धारित करने की स्थिति निर्मित नहीं होती है।* ***(ग)*** *पर्यटन विभाग की जानकारी निरंक है तथा संस्कृति विभाग द्वारा वार्षिक गतिविधियों का कैलेण्डर 'कला पंचांग' तैयार किया जाता है। यथासंभव निर्धारित अनुसार ही विभाग अंतर्गत संस्कृति संचालनालय एवं अधीनस्थ अनुषंगों द्वारा वर्षभर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिला प्रशासन, हरदा द्वारा आयोजित 'भुआणा उत्सव' वर्ष 2011-12 और वर्ष 2012-13 में विभाग अंतर्गत जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा सहयोग किया गया।* ***(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] (घ) हरदा जिले में भुआणा उत्सव मनाये जाने के राज्य शासन से कोई निर्देश नहीं है। भुआणा उत्सव हरदा जिले की जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद (डीएटीसीसी) समिति द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों की मांग/मंशा के अनुरूप जिले की लोक संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर क्रमश: वर्ष 2010-11, 2012-13 एवं 2019-20 में आयोजित किया गया है। हरदा जिले के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु समय-समय पर स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

कीट प्रकोप क्षति राशि का भुगतान
[राजस्व]

18. ता.प्र.सं. 6 (क्र. 957) श्री बाला बच्चन : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न क्र. 2532, दिनांक 10.07.2024 के 'ग' प्रश्नांश में उल्लेखानुसार प्रश्न क्र. 1103, दिनांक 12.02.2024 में वर्णित जिलों आगर मालवा, देवास, हरदा और सीहोर में फल क्षति राशि का भुगतान किस माध्यम से किया गया? क्या किसानों के खाते में सीधे भुगतान किया गया या किसी अन्य प्रणाली या प्रक्रिया के द्वारा भुगतान किया गया की पूरी जानकारी देवें। **(ख)** उपरोक्तानुसार भुगतान की जानकारी ट्रेजरी वाउचर की प्रमाणित प्रति के साथ देवें। यदि भुगतान सोसायटियों के माध्यम से किया गया तो उसकी भी प्रमाणित प्रति तहसीलवार, जिलावार, भुगतानकर्ता अधिकारी का नाम पदनाम सहित देवें। ट्रेजरी भुगतान की जानकारी भी इसी प्रकार देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार विधानसभा के मूल प्रश्न का उत्तर न देकर अन्य उत्तर देने वाले सभी संबंधित अधिकारियों के नाम, पदनाम देवें। प्रश्न के उत्तर से संबधित पूरी नस्ती की प्रमाणित प्रति देवें। इसके उत्तरदायी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा?

राजस्व मंत्री : [***(क)*** *प्रश्न क्र. 2532, दिनांक 10.07.2024 के 'ग' प्रश्नांश में उल्लेखानुसार प्रश्न क्र. 1103, दिनांक 12.02.2024 के परिप्रेक्ष्य में वर्णित जिलों आगर मालवा, देवास, हरदा और सीहोर में वर्ष 2020-21 में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की सीमा में शासन के निर्णय अनुसार जिला कोषालय द्वारा ई-पेमेंट के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे भुगतान किया गया है।*

(ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) *विधानसभा के मूल प्रश्न के अनुक्रम में ही उत्तर दिया गया है। नस्तियों की प्रमाणित प्रति* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार*** *है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।*] **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है।**

पृथक वितरित उत्तर

संचालित योजनाओं की जानकारी
[पर्यटन]

19. अता.प्र.सं.143 (क्र. 1127) श्री सुरेश राजे : क्या राज्य मंत्री, पर्यटन, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश शासन द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही है? इनके क्रियान्वयन संबंधी आदेश/नियम की प्रति देवें तथा जिला ग्वालियर में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2021-22 से 2024-25 में कितनी-कितनी राशि योजनावार प्राप्त हुई? प्राप्त राशि से किस स्थान पर कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि से स्वीकृत हुए? वर्षवार एवं कार्यवार सहित पूर्ण जानकारी देवें। **(ख)** जिला ग्वालियर अंतर्गत गूजरी महल संग्रहालय एवं पिछोर (विधानसभा डबरा) संग्रहालय अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2024-25 में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि से करवाए गए? लोक संस्कृति के जन जागरण हेतु किस महाविद्यालय/संस्था से कितने-कितने छात्र-छात्राओं को किस स्थान पर कब से कब तक भ्रमण करवाया गया? प्रत्येक भ्रमण के दौरान कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? उक्त अवधि में इन संग्रहालय का संचालन पर्यटन विभाग अथवा किस संस्था द्वारा किया गया? वर्षवार पूर्ण जानकारी देवें।

राज्य मंत्री, पर्यटन : [***(क)*** *एवं* ***(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** मध्यप्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु म.प्र.टूरिज्म बोर्ड द्वारा निम्नानुसार योजनाऐं संचालित की जाती है :-

(1) निवेश संवर्धन – पर्यटन नीति अंतर्गत प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना।

(2) योजना – विभिन्न परियोजनाओं हेतु डी.पी.आर. तैयार कराना।

(3) कौशल संवर्धन – ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल, कौशल उन्नययन एवं जनजातिय पर्यटन संबंधित योजनाएं।

(4) जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद – पर्यटक आचरण एवं व्यवहार के प्रति संवेदनशील एवं जिम्मेदार बनाने के लिये जागरूकता कार्यक्रम गाईड प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम।

(5) साहसिक एवं जल पर्यटन – साहसिक गतिविधियॉ, हाउस बोट क्रूज, मोटर बोट एवं जल क्रीडा संबंधी गतिविधियॉ।

(6) फिल्म पर्यटन–फिल्म निर्माताओं को स्थानीय स्तर पर शूटिंग की अनुमति हेतु समन्वय कर शूटिंग को बढ़ावा देना।

(7) आयोजन विपणन एवं प्रचार-प्रसार – पर्यटन प्रदर्शनी में सहभागिता, रोड शो का आयोजन, ट्रेवल ऐजेंटों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, आयोजनों में स्पॉसंर, प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार करना, संबंधित स्थल के ब्रोशर एवं सामग्री का प्रिंट करना। आदेश/नियम की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार**। ग्वालियर में भारत सरकार प्रायोजित योजना महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन के तहत प्राप्त राशि स्थान एवं कार्य **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार**। केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 1.0 में ग्वालियर एवं उसके आसपास स्वीकृत कार्य एवं राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार**। केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 में ग्वालियर में स्वीकृत कार्य एवं राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार**। **(ख)** जिला ग्वालियर अंतर्गत गूजरी महल संग्रहालय एवं पिछोर (विधान सभा डबरा) संग्रहालय अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2024-25 में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 19 दिसम्बर, 2024

आयरण फैक्ट्री ग्राम भरतरी
[नगरीय विकास एवं आवास]

20. ता.प्र.सं. 2 (क्र. 1347) श्री मोहन सिंह राठौर : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए कौन-कौन से विभागों से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है? नियमों की प्रति उपलब्ध करायें। क्या आवास एवं पर्यावरण विभाग से अनापत्ति आवश्यक है? **(ख)** ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा क्षेत्र में संचालित भरतरी आयरन फैक्ट्री को आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा एन.ओ.सी. दी गई है? यदि हाँ, तो कब? आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। **(ग)** ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा क्षेत्र में संचालित भरतरी फैक्ट्री से आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण फैल रहा है? यदि हाँ, तो इसे रोकने के क्या-क्या प्रयास किये गये? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? **(घ)** प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित औद्योगिक इकाई का विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2023, 2024 में कब-कब एवं किस-किस अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया? निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायें। यदि आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है तो फैक्ट्री मालिक पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)*** *ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा क्षेत्र में ग्राम भरतरी, तहसील चिनोर में मेसर्स ओम स्मेल्टर्स प्रायवेट लिमिटेड को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 13.10.2014 को स्थापना की सम्मति जारी की गई है जो कि* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार*** *है। उद्योग को स्थापना उपरांत दिनांक 14.10.2015 को संचालन की सम्मति जारी की गई है, जो कि* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार*** *है। कालान्तर में दिनांक 27.07.2018 को क्षमता विस्तार करने हेतु उद्योग को स्थापना सम्मति जारी की गई है, जो कि* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार*** *है। उद्योग को क्षमता विस्तार हेतु संचालन सम्मति दिनांक 21.12.2018 को जारी की गई है, जो कि* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार*** *है। वर्तमान में उद्योग की सम्मति दिनांक 30.11.2027 तक की अवधि हेतु नवीनीकृत होकर वैध है। सम्मति नवीनीकरण आदेश की प्रति* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार*** *है।* ***(ग)*** *जी नहीं। फैक्ट्री के आस-पास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलने की स्थिति नहीं पाई गई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।*

(घ) प्रश्नाधीन अवधि में मेसर्स ओम स्मेल्टर्स एण्ड रोलर्स प्रायवेट लिमिटेड उद्योग का दिनांक 19.12.2023 को क्षेत्रीय अधिकारी ग्वालियर श्री आर.आर. सिंह सेंगर द्वारा तथा दिनांक 04.12.2024 को रसायनज्ञ श्री के.एस. राठौर द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र6 एवं 7 अनुसार*** *है। उद्योग के आस-पास के क्षेत्र में प्रदूषण फैलने की स्थिति निरीक्षणों में नहीं पाई गई है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।*] **(क)** प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिये आवश्यकता अनुसार विभिन्न विभागों यथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम विभाग, पर्यावरण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग, श्रम विभाग, सहकारिता विभाग से अनुमत/अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। नियमों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। जी हां, वर्तमान में आवास एवं पर्यावरण विभाग पृथक होकर 'नगरीय विकास एवं आवास विभाग' तथा 'पर्यावरण विभाग' में विभक्त हुआ है।

पृथक वितरित उत्तर

दिनांक 20 दिसम्बर, 2024

गबन के आरोपियों पर कार्यवाही
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

21. परि.अता.प्र.सं. 2 (क्र. 7) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 72 (क्र. 1635) के प्रश्न के उत्तर के प्रश्नांश **(ग)** में जो कि 05 जुलाई 2024 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी सूची के पृष्ठ क. 142 में स्पष्ट किया है कि फर्जी परिवहन दर्शाने वाले ट्रक विशाल रोड लाईस के थे? अगर हाँ तो क्यों खाद्य विभाग ने प्रश्नतिथि तक उक्त ट्रक कंपनी के मालिक के विरुद्ध एफ.आई.आर. में नाम क्यों नहीं जुड़वाया? क्या विभाग की परिवहनकर्ता के साथ सांठ-गांठ थी? अगर नहीं तो सब कुछ स्पष्ट होने के बाद किसके दबाव में शासन एफ.आई.आर. ट्रांसपोर्ट मालिक पर नहीं होने दे रहा है? कब तक एफ.आई.आर. दर्ज करवायेगा विभाग? समय-सीमा दें? **(ख)** क्या तात्कालीन आपूर्ति अधिकारी नागेन्द्र सिंह सहित नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक सहित बड़े-बड़े वे अधिकारी जिन्होंने मुख्य भूमिका इस घोटाले में निभाई को अभी तक विभाग संरक्षण दे रहा है? अगर नहीं तो इन अधिकारियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. क्यों दर्ज नहीं करवाई गई कारण दें? नियम बतलायें। **(ग)** क्या वित्तीय वर्ष 01.04.2021 से प्रश्नतिथि तक कई इसी प्रकार के घोटाले पूरे प्रदेश में आये? शासन को जानकारी होने के बाद भी उन प्रकरणों पर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाई गई? प्रमुख सचिव खाद्य/संचालक खाद्य के पास आई सभी रजिस्टर्ड शिकायतों की प्रति उन पर की गई कार्यवाही की दिनांकवार/आदेश क्रमांकवार जारी पत्रों की प्रति के साथ उपलब्ध करायें?

खाद्य मंत्री : [***(क) से(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** प्रकरण की जांच जिला स्तरीय दल द्वारा की गई। जांच में दोषियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। परिवहनकर्ता

का आपरेटर दोषी पाए जाने पर उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता। **(ख)** सतना जिले में रबी विपणन वर्ष 2023-24 में तत्कालीन जिला आपूर्ति अधिकारी श्री नागेन्द्र सिंह एवं तत्कालीन जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा कर्तव्य में लापरवाही के फलस्वरूप निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई है। जांच में पाए गए दोषियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** दिनांक 01.04.2021 से प्रश्न तिथि तक इस स्वरूप के उपार्जन केन्द्र से समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न के परिवहन हेतु बिल्टी, ट्रांसपोर्ट चालान फर्जी आई.डी. निर्मित करने की अनियमितता के अन्य प्रकरण प्रकाश में नहीं आए हैं। सतना जिले में दोषियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निजी भूमि की अपील
[वन]

22. परि.अता.प्र.सं. 17 (क्र. 359) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या राज्य मंत्री, वन, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वनमंडल नर्मदापुरम वनमंडल ने अपने पत्र क्रमांक मा.चि/6402 दिनांक 31.05.2022, पत्र क्रमांक मा.चि/11176 दिनांक 17.10.2022 पत्र क्रमांक मा.चि 5057 दिनांक 25.05.2024 में खोरी वनखण्ड के ग्राम खटामा के भूस्वामी हक में दर्ज किस खसरा नम्बर के कितने रकबे के संबंध में क्या-क्या लेख कर वन मुख्यालय की उत्पादन शाखा, भू-अभिलेख शाखा एवं भू-प्रबंध शाखा से क्या-क्या मार्ग दर्शन मांगा वह मार्ग दर्शन किस दिनांक को दिया गया मार्गदर्शन की प्रति सहित बतावें? **(ख)** एफ.एस.ओ. इटारसी के आदेश दिनांक 06.06.2022 की जानकारी वन मण्डल नर्मदापुरम को किस दिनांक को प्राप्त हुई उसकी अपील प्रस्तुत करने की क्या समय-सीमा निर्धारित है, आदेश के विरूद्ध अपील किस दिनांक को प्रस्तुत की ग्राम खटामा की पृथक की गई भूमि वर्ष 1953-54 से किस-किस किसान के नाम पर दर्ज होने की जानकारी वन मण्डल में उपलब्ध है। **(ग)** आदेश दिनांक 06.06.2022 की अपील प्रस्तुत करने हेतु वन मुख्यालय ने किस पत्र क्रमांक दिनांक से क्या-क्या निर्देश दिए इस बावत् क्या-क्या मार्गदर्शन वनमंडल को किस दिनांक को दिया प्रति सहित बतावें।

राज्य मंत्री, वन : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** प्रश्नाधीन पत्रों में से केवल पत्र क्रमांक/मा.चि./5057 दिनांक 25.05.2024 से वन मुख्यालय से प्रश्नांश में उल्लेखित शाखा से मार्ग दर्शन चाहा गया है, चाहे गये मार्गदर्शन का विवरण उक्त पत्र में उल्लेखित है जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक में** है। वन मुख्यालय की उत्पादन शाखा द्वारा पत्र दिनांक 29.05.2024, कार्य आयोजना शाखा द्वारा पत्र दिनांक 16.08.2024 एवं (भू-प्रबंध) शाखा द्वारा पत्र दिनांक 05.06.2024 द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। उक्त पत्रों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर** है। **(ख)** प्रश्नाधीन आदेश वनमण्डल अधिकारी नर्मदापुरम् को 08.06.2022 को प्राप्त हुआ। भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 17 के तहत वन व्यवस्थापन अधिकारी के आदेश दिनांक से तीन माह के अंदर अपील करने का प्रावधान है। प्रश्नाधीन आदेश वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम की अनुशंसा पर किया गया है, अतः अपील का प्रश्न निहित नहीं है। प्रश्नाधीन खसरे से संबंधित पुराना खसरा नंबर 166, 167, 168 एवं 170 वन मण्डल नर्मदापुरम् के अभिलेखों में अहस्तांतरित खसरे के रूप में दर्ज है।

(ग) अपील प्रस्तुत करने के निर्देश वन मुख्यालय द्वारा नहीं दिये गये हैं। अतः शेष प्रश्न पस्थित नहीं होता।

खरीदी केन्द्रों की स्थापना
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

23. परि.अता.प्र.सं. 22 (क्र. 516) श्री अभय मिश्रा : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सहकारिता विभाग द्वारा खरीदी केन्द्रों की स्थापना कर खरीदी के कार्य बावत निर्देश जारी किये गये, निर्देश की प्रति देते हुये बतावें कि रीवा जिले में कितने खरीदी केन्द्र कब-कब कहां-कहां संचालित है इनका संचालन किनके माध्यम से किया जा रहा है, समूहों के द्वारा जिन खरीदी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है उनमें किन समूहों पर अनियमितताएं पाकर कार्यवाही प्रस्तावित की गई तो कब बतावें विवरण 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक का देवें? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित खरीदी केन्द्रों पर की जा रही अनियमितता के संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग भोपाल को पत्र क्रमांक/213/ए/रीवा/से.वि./2024 दिनांक 19.02.2024, आयुक्त राजस्व रीवा संभाग रीवा को पत्र क्रमांक/255/रीवा/से.वि./2024 दिनांक 29.02.2024, कलेक्टर जिला रीवा को पत्र क्रमांक/651/2024 दिनांक 25.10.2024 को जांच एवं कार्यवाही हेतु लिखा गया, जिस पर कार्यवाही की स्थिति क्या है? किन-किन पर कार्यवाही की गई बतावें अगर नहीं की गई तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांश (क) के संचालित खरीदी केन्द्रों से खरीदे गये धान एवं गेहूँ परिवहन बावत किन संविदाकारों को कब-कब, किन-किन शतों पर आदेश जारी किये गये का विवरण वर्ष 2020 से प्रश्नांश दिनांक तक का देवें, परिवहनकर्ताओं द्वारा समय पर उठाव कर परिवहन कार्य पूरा किया गया अगर नहीं तो क्यों उस पर कब-कब कौन-कौन सी कार्यवाही की गई बतावें अगर कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों, परिवहनकर्ताओं/ठेकेदारों को शासन के आदेश किन शर्तों पर दिये जाने के थे प्रति देते हुये बतावे? **(घ)** प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के तारतम्य में श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय मुख्य कार्यपालन अधिकारी/महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रीवा के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार व आर्थिक अनियमितता से संबंधित शिकायत मुख्य सचिव म.प्र. शासन भोपाल को पत्र क्रमांक 564/शिकायत/2024 दिनांक 10.10.2024, प्रमुख सचिव सहकारिता को पत्र क्रमांक 492/शिकायत/2024 रीवा दिनांक 19.09.2024 के द्वारा की गई थी इनके विरूद्ध थाना अमरपाटन जिला सतना में दिनांक 07.06.2018 को 48 करोड़ 78 लाख 32 हजार 546 रूपये के फर्जी ऋण वितरण एवं फर्जी बीमा क्लेम की राशि गवन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया फिर भी संबंधित को महाप्रबंधक के पद पर पदस्थ कर कार्य क्यों लिया जा रहा है इनको अन्यत्र हटाते हुये जांच बावत क्या निर्देश देंगे बतावें अगर नहीं तो क्यों? **(ड.)** प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार उल्लेखित तथ्यों पर कार्यवाही न करने, पत्रों का समय पर निराकरण न करने के जिम्मेदारों की पहचान कर क्या कार्यवाही के निर्देश देंगे साथ ही पत्रों पर समय पर कार्यवाही बावत भी निर्देश देंगे। यदि नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** समर्थन मूल्य पर धान एवं गेहूं उपार्जन हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी नीति में उल्लेखित प्रावधान अनुसार उपार्जन केन्द्रों का निर्धारण किया जाता है उपार्जन नीति की **प्रति पुस्तकालय में**

रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। वर्ष 2020 से रबी एवं खरीफ मौसम में धान एवं गेहूं उपार्जन हेतु स्थापित उपार्जन केन्द्रों के स्थान, उपार्जन केन्द्र संचालन करने वाली संस्था की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।** महिला स्व-सहायता केन्द्रों पर पाई गई अनियमितिता एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। (ख)** जी हाँ। विधानसभा क्षेत्र सैमराया में सेवा सहकारी समिति मर्यादित कुम्हारा, जुडवानी, बम्हनों, गडोहा, भमरा द्वारा धान एवं गेहूं उपार्जन हेतु स्थापित केन्द्र की जांच में उपार्जन नीति के अनुसार संचालित होना पाया गया। जांच प्रतिवेदन की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है।** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** वर्ष 2020 से समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न के परिवहनकर्ताओं से किए गए अनुबंध में प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'य' अनुसार है।** उपार्जित खाद्यान्न के परिवहन हेतु किए गए अनुबंध अनुसार परिवहनकर्ता को निर्धारित समय सीमा में खाद्यान्न का परिवहन करना होता है। निर्धारित समय सीमा में किन्ही कारणों से परिवहन न करने की स्थिति में अनुबंध की शर्त अनुसार पेनल्टी लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। विगत तीन वर्षो के भुगतान का अंतिमीकरण किया जाना शेष है। **(घ)** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रीवा के सहित कुल 9 व्यक्ति/कर्मचारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है परन्तु, आयुक्त सहकारिता के आदेश क्र./साख/सीबी-2/81/2019/660 दिनांक 27.02.2019 से मुख्य कार्यवालन अधिकारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। सहकारिता विभाग द्वारा प्रेषित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'इ' अनुसार** है। **(ड.)** प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बीपीएल अपात्र परिवारों की जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

24. अता.प्र.सं.65 (क्र. 1520) श्री महेश परमार : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिले के शहरी एवं ग्रामीण में प्रत्येक वार्ड में कितने-कितने फर्जी बीपीएल कार्ड पाए गए? विस्तृत संख्या एवं विभागीय प्रतिवेदन देवें। **(ख)** उज्जैन जिले में कुल पाए गए फर्जी बीपीएल परिवारों के कार्ड की जांच कब-कब, किस-किस अधिकारी के द्वारा की गई? विवरण देवें। **(ग)** बीपीएल की पात्रता के निर्धारण हेतु किस-किस अधिकारी एवं सर्वे टीम ने सर्वे कर पात्रता का सत्यापन किया? सत्यापन उपरांत फर्जी बीपीएल कार्ड कैसे पाए गए? इसके लिए कौन-कौन जवाबदार है? इस लापरवाही पर प्रश्न दिनांक तक किस-किस पर क्या-क्या दंडात्मक कार्यवाही हुई? **(घ)** किस-किस राशन कार्ड के द्वारा कितना-कितना खाद्यान प्रति व्यक्ति दिया जाता हैं? **(ड.)** पूर्व अनुसार 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल हितग्राहियों को नहीं दिए जाने का कारण क्या हैं? **(च)** क्या वर्तमान में 4 किलो चावल एवं 1 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराने का प्रावधान है? **(छ)** प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 12/07/24 तारांकित प्रश्न क्रमांक 1596 के सभी खंडों के उत्तर अभिलेखों के साथ कब तक उपलब्ध कराए जायेंगे? (ज) वर्ष 2020 से उज्जैन जिले के अपात्र परिवार एवं गरीबी रेखा से बाहर परिवारों के आंकड़ों की जांच रिपोर्ट एवं परिणामी नतीजे की रिपोर्ट कब तक सार्वजनिक की जावेगी?

खाद्य मंत्री : [***(क) से(ज) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** विभाग द्वारा बीपीएल कार्ड जारी नहीं किए जाते हैं। जिला उज्जैन के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिकता परिवहन अंतर्गत बीपीएल के फर्जी राशनकार्ड (पात्रता पर्ची) की जानकारी निरंक है। **(ख)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** विभाग द्वारा बीपीएल की पात्रता का निर्धारण नहीं किया जाता। शेष भाग प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होगा। **(घ)** उज्जैन जिले में अंत्योदय परिवारों को खाद्यान्न 35 किग्रा. (गेहूं 24 किग्रा. एवं चावल 11 किग्रा.) तथा प्राथमिकता परिवारों को खाद्यान्न 05 किलोग्राम (गेहूं 04 किग्रा. एवं चावल 01 किग्रा.) प्रति सदस्य प्रति माह नि:शुल्क दिया जा रहा है। **(ड.)** जिला उज्जैन में वर्तमान में प्राथिमिकता परिवार के प्रत्येक सदस्य को 04 किलो गेहूं एवं 01 किलो चावल दिया जा रहा है। **(च)** जिलों में गेहूं एवं चावल का अनुपात भारत सरकार के आवंटन में गेहूं चावल के अनुपात और जिलों में खान-पान की आदत को दृष्टिगत रखते हुए गेहूं, चावल का अनुपात निर्धारित किया जाता है। **(छ)** विधानसभा की दिनांक 18.11.2024 को प्रश्न क्रमांक 1596 के खण्डों का उत्तर प्रेषित किया जा चुका है। (ज) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दतिया जिले में किसानों को खाद की उपलब्धता
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

25. परि.अता.प्र.सं. 77 (क्र. 1590) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दतिया जिले में वर्ष 1/4/2023 से प्रश्न दिनांक तक कितनी एवं कौन-कौन सी खाद का आवंटन शासन से प्राप्त हुआ? जानकारी उपलब्ध कराई जाए। **(ख)** जिले में प्राप्त आवंटन से किसानों को कितना-कितना खाद किस माध्यम से अर्थात दुकानदार द्वारा समिति द्वारा अथवा सीधा गोदाम से दिया गया? विकासखंडवार, फसलवार, किसानवार वितरित खाद का नाम एवं मात्रा की जानकारी दी जाये। **(ग)** राज्य सहकारी विपणन संघ दतिया के गोदाम पर 1/4/2023 के बाद मासिक स्टॉक की जानकारी के साथ वितरण की जानकारी भी देवें कि किसको कितना खाद बांटा गया? **(घ)** क्या गोदाम में डी.ए.पी. खाद की उपलब्धता होने के बावजूद किसानों व सोसाइटियों को बहुत कम मात्रा में ही खाद दी गई? यदि नहीं तो बताएं कि किसको कितनी डी.ए.पी. खाद दी गई? सूची दी जाए कि किसके आदेश से खाद का वितरण रोका गया, किसानों को परेशान किया गया? जानकारी एवं आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराई जाए।

खाद्य मंत्री : [***(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** दतिया जिले में वर्ष 01.04 2023 से प्रश्न दिनांक तक यूरिया 84729.66 में टन डीएपी 424419 में टन, एनपीके 15914 15 में टन एसएसपी 11359 55 में टन एवं एमओपी 885 55 में टन प्राप्त हुआ है। **(ख)** किसानवार एवं उर्वरक विक्रेतावार उर्वरक वितरण की जानकारी iFMS पोर्टल अनुसार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' अनुसार है।** IFMS पोर्टल पर उर्वरक वितरण की विकासखंडवार एवं फसलवार जानकारी संधारित नहीं है। कृषकों व्दारा मौसम अनुरूप बोनी की जाती है एवं फसल बोनी के अनुसार ही कृषकों द्वारा उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ब' अनुसार है। (घ)** जिले के समस्त डबल लॉक केन्द्रों पर खाद की उपलब्धता होने पर टोकन पर्ची जारी कर व्यवस्थित तरीके से खाद का वितरण किया जा रहा है। खाद की उपलब्धता होने पर

वितरण रोकने संबंधी कोई आदेश जिले में जारी नहीं किया गया है। किसानों को वितरित किये जाने वाले डीएपी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है** एवं गोदाम द्वारा सोसाइटियों को वितरित डीएपी उर्वरक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।**

अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

26. ता.प्र.सं. 13 (क्र. 1680) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01 जनवरी, 2024 से प्रश्न दिनांक तक प्रमुख सचिव/आयुक्त/संचालक खाद्य किस-किस अधिकारियों के विरूद्ध कब-कब किस-किस के द्वारा क्या-क्या शिकायत की गई? शिकायतवार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त शिकायतों में कब-कब, क्या-क्या नियमानुसार कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त शिकायतों में जिसमें कार्यवाही नहीं की गई, उन शिकायतों में कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कार्यवाही नहीं करने के लिए कौन जिम्मेदार है? कब तक कार्यवाही की जायेगी? **(घ)** दिनांक 01 जनवरी, 2024 से आज दिनांक तक कहां-कहां से घटिया चावल वितरण की शिकायत किस-किस ने कब-कब की एवं विभागीय जांच में कब-कब, किस-किस अधिकारी ने घटिया चावल पकड़ा, उसमें कब-कब क्या-क्या कार्यवाही हुई?

खाद्य मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** एवं **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। **(घ)** प्रश्नांकित अवधि में शासकीय उचित मूल्य दुकान सुनपुरी, उफरी तथा बोदर के विक्रेताओं द्वारा क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को दूरभाष पर दिनांक 28.02.2024 को जानकारी दी गई कि उक्त दुकानों नागरिक आपूर्ति निगम डिण्डौरी के प्रदाय केन्द्र मॉ नर्मदा वेयर हाउस सागरटोला से जिस चावल की पूर्ति की गई है, वे अमानक स्तर का है। दिनांक 29.02.2024 को दुकानों में पूर्ति किये गये चावल की जांच कर नमूने एकत्रित कर मौके पर ही गुणवत्ता निरीक्षक से जांच कराई गई जिसमें उक्त तीनों दुकानों में पूर्ति किया गया चावल अमानक स्तर का पाया गया। उक्त अमानक चावल को वितरण से रोक लिया गया तथा पृथक से एफएक्यू चावल का भण्डारण कराया जाकर वितरण कराया गया तथा प्रकरण की जांच कर मॉ नर्मदा वेयर हाउस सागरटोला में पदस्थ सर्वेयर जिसके द्वारा उक्त चावल को मानक स्तर का बताकर उक्त दुकानों में पूर्ति की गई थी के विरूद्ध क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री शेख शमीम खान द्वारा पुलिस थाना गाडासरई में दिनांक 04.03.2024 को अपराध क्रमांक 0066/2024 धारा 420 ताह, 3/7 अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मामला कायम कराया गया है।

<u>परिशिष्ट - "चार"</u>

राशन वितरण केन्द्रों द्वारा खाद्यान्न वितरण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

27. अता.प्र.सं.126 (क्र. 1701) श्री राजेन्द्र भारती : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश शासन द्वारा गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण प्रतिमाह किया जा रहा है? यदि हाँ, तो ग्वालियर संभाग में जिलेवार, दुकानवार खाद्य सामग्री के वितरण की सूची प्रदान करें। **(ख)** क्या प्रदेश की राशन दुकानों, उपभोक्ता भण्डारों को शासन द्वारा प्रतिमाह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि हाँ, तो दतिया जिले में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक प्रत्येक राशन दुकान को क्या-क्या खाद्य सामाग्री वितरण हेतु प्रदान की गई? माहवार सूची प्रदान करें। **(ग)** क्या दतिया जिले में शासन द्वारा वर्ष 2019 से 2023 तक प्रतिमाह खाद्यान्न वितरण हेतु प्रदाय किया गया उसको दुकानों अथवा समितियों द्वारा प्रतिमाह वितरित किया गया? यदि हाँ, तो कृपया वर्ष 2019 से दिसंबर 2023 तक राशन वितरण पंजी की माहवार प्रतियां प्रदान करें। यदि नहीं तो क्यों। **(घ)** क्या राशन दुकानों द्वारा खाद्यान्न वितरण में हितग्राहियों को थम्ब इंप्रेसन प्राप्त करने के उपरांत राशन प्रदाय किया जाता है? यदि हाँ, तो वृद्ध एवं ऐसे व्यक्ति जिनके थम्ब इंप्रेशन मशीनों में नहीं आते उनको राशन प्रदान करने का क्या प्रावधान है। थम्ब के माध्यम से राशन प्राप्त न होने की स्थिति में शासन का क्या नियम है? कृपया संपूर्ण विवरण दें एवं दतिया जिले में विगत 5 वर्षों में प्रतिमाह ऐसा कितना खाद्यान्न शेष रहा जो राशन दुकानों द्वारा वितरित नहीं किया गया? जानकारी दें।

खाद्य मंत्री : [***(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत अन्तयोदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोगाम खाद्यान्न, 01 किलोग्राम शक्कर, 01 किलोग्राम नमक तथा प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को खाद्यान्न 5 किलोग्राम प्रति सदस्य एवं 01 किलोग्राम नमक प्रतिमाह वितरण हेतु आवंटन जारी किया जा रहा है। ग्वालियर संभाग के जिलेवार एवं दुकानवार माह नवम्बर, 2024 में वितरित सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख)** जी हाँ। दतिया जिले में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक माहवार, दुकानवार एवं सामग्रीवार वितरित खाद्य सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (ग)** दतिया जिले में वर्ष 2019 से 2023 तक माहवार वितरित खाद्यान्न सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।** राशन सामग्री का वितरण उचित मूल्य दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन से डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से किए जाने के कारण वितरण पंजी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। **(घ)** जी हां उचित मूल्य दुकानों पर लगाई गई पीओएस मशीन पर पात्र हितग्राही के बायोमैट्रिक सत्यापन से राशन का वितरण किया जाता है। वृद्धजनों, दिव्यांगों एवं अन्य पात्र व्यक्तियों के बायामेट्रिक सत्यापन सफल न होने पर ओटीपी अथवा नॉमिनी के माध्यम से राशन वितरण करने की व्यवस्था है। उचित मूल्य दुकान पर राशन प्राप्त करने हेतु उपस्थित होने वाले समस्त पात्र परिवारों को राशन का वितरण किया गया है। उचित मूल्य दुकान पर वितरण पश्चात शेष रही मात्रा का समायोजन कर आगामी माह का आवंटन जारी किया जाता है।

वन भूमि के क्रय-विक्रय एवं अतिक्रमण

[वन]

28. परि.अता.प्र.सं. 119 (क्र. 1702) श्री राजेन्द्र भारती : क्या राज्य मंत्री, वन, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दतिया गिर्द स्थित भूमि सर्वे न. 2467 से 2469 को वर्ष 1943-44 की खतौनी के आधार पर अधिकारियों द्वारा जंगल घोषित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या उक्त वर्षों की खतौनी में सर्वे नं. 2202 से 2212 तक जंगलात दर्ज है, यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें। **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2896 दिनांक 12/07/2024 में विभाग द्वारा दी गई जानकारी में ब्लॉक में 2467, 2468, 2469 और 257 का उल्लेख न होकर 2206 से 2216 तक का उल्लेख होते हुये भी पंजीयन कार्यालय में अवैध भू-स्वामियों द्वारा नियम विरुद्ध तरमीम कराकर (रेनू एसोसिएट अशोक गोयल आदि द्वारा) क्रय-विक्रय कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा अतिक्रमण धारियों के विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई है? कृपया विवरण दें। **(ग)** क्या विभाग द्वारा अवैध क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो कार्यवाही कब तक की जायेगी। वन विभाग अतिक्रमण धारियों से वन भूमि को मुक्त कराने की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं तो? कारण सहित बतायें। उक्त नम्बरों में जो क्रय-विक्रय और अवैध कब्जा हुआ है उसका बाजार मूल्य क्या है? जानकारी दें।

राज्य मंत्री, वन : [***(क)*** *जी हाँ। कलेक्टर भू-अभिलेख जिला दतिया से प्राप्त जानकारी अनुसार दतिया गिर्द स्थित भूमि सर्वे नंबर 2467 से 2469 पर वर्ष 1943-44 में जंगल दर्ज है। सर्वे नंबर 2202 से 2212 तक की खतौनी की* ***प्रमाणित प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार*** *है। सर्वे नंबर 2467, 2468, 2469 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में रिट पिटीशन नंबर 8023/2021 विचाराधीन है।* ***(ख) भूमि के क्रय-विक्रय की जानकारी पंजीयन कार्यालय से संकलित की जा रही है।*** *कलेक्टर भू-अभिलेख जिला दतिया से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में अवैध कालोनी निर्माण नहीं है। वन विभाग के आधिपत्य की वनभूमि में कोई अवैध कालोनी निर्माण नहीं किया जा रहा है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।* ***(ग)*** *वन विभाग के प्रबंधन की वनभूमि में अवैध क्रय-विक्रय का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।*] **(ख)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2896 दिनांक 12.07.2024 में दी गई जानकारी में ग्राम दतिया गिर्द के उल्लेखित खसरों में वन विभाग के वनखंड में शामिल भूमियों पर रजिस्ट्री नहीं हुई है। राजस्व विभाग के प्रभार के खसरा नं 2207/2 एवं 2207/1/2 पर रजिस्ट्री हुई है। रजिस्ट्री में भूमि का उपयोग कृषि कार्य दर्ज है। कलेक्टर भू-अभिलेख जिला दतिया से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में अवैध कालोनी निर्माण नहीं है। वन विभाग के आधिपत्य की वनभूमि में कोई अवैध कालोनी निर्माण नहीं किया जा रहा है। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन कटनी की जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

29. परि.अता.प्र.सं. 124 (क्र. 1713) श्री प्रणय प्रभात पांडे : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 2023-24 में कटनी-जिले के ढीमरखेड़ा तहसील अंतर्गत शिवन्या वेयरहाउस झिन्ना-पिपरिया में बनाए गए मूंग उपार्जन केंद्र के बिल्कुल नाले के किनारे स्थित होने के कारण उसमें बारिश का काफी मात्रा में पानी अंदर भर जाने के कारण स्कंध का नुकसान हुआ?

(ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में यदि हाँ, तो उल्लेखित वेयरहाउस में उपार्जन-केंद्र खोले जाने का चयन किसके द्वारा किया गया बतलावें एवं यह भी बतलावें कि किसी भी वेयरहाउस में उपार्जन-केंद्र खोले जाने के क्या नियम दिशा-निर्देश हैं? गलत स्थल पर मूंग-उपार्जन-केंद्र खोले जाने का दोषी कौन है? क्या दोषियों पर कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई तो किस प्रकार से कब की जावेगी जानकारी दें। **(ग)** क्या कटनी-जिले में अधिकांश राइस मिल नगर-निगम क्षेत्र में है तथा इसके आसपास 25 से 30 किलोमीटर में गोदाम होने के बावजूद स्टेट-वेयर हाउसिंग-कॉरपोरेशन कटनी (SWC) द्वारा सन 2023-24 में शहर से 45 किलोमीटर दूर कटनी से सावित्री सिंह-वेयरहाउस में चावल का भंडारण कराया गया जबकि रास्ते में कई गोदाम तत्समय खाली थे। **(घ)** प्रश्नांश (ग) में यदि हाँ, तो क्या शासन उल्लेखित प्रकरणों की जांच एमपी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन (SWC) के अलावा अन्य एजेंसी से कराते हुए दोषियों पर कार्यवाही करेंगे। यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब-तक यदि नहीं तो क्यो नहीं बतलावें।

खाद्य मंत्री : [***(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** वर्ष 2023-24 में कटनी जिले के ढीमरखेडा तहसील अन्तर्गत शिवन्या वेयरहाउस झिन्ना-पिपरिया में बनाए गए मूंग उपार्जन केन्द्र में बारिश का पानी भर जाने का कारण संज्ञान में नहीं आया है। **(ख)** मध्यप्रदेश शासन द्वारा दलहन एवं तिलहन उपार्जन हेतु जारी उपार्जन नीति निर्देशानुसार जिला उपार्जन समिति द्वारा उपार्जन केन्द्रों का निर्धारण किया जाता है। प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हाँ। कटनी नगर निगम क्षेत्र स्थित राईस मिल एवं सावित्री सिंह वेयरहाउस के मध्य स्थित गोदामों में तत्समय रिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं थी अथवा गोदाम संचालकों द्वारा ऑफर/सहमति एमपी वेयरहाउस एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन को नहीं दिए जाने से एमपी वेयरहाउस एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा उपलब्ध भंडारण क्षमतानुसार चावल का भंडारण कराया गया है। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रश्नकर्ता के पत्रों पर कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

30. परि.अता.प्र.सं. 129 (क्र. 1727) श्री कमलेश्वर डोडियार : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर एवं जिला शिवपुरी के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी 2000 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में कौन-कौन सी विभागीय नल-जल योजनाएं, मुख्यमंत्री पेय जल योजनाएं, समूह नल-जल योजना, जल जीवन मिशन योजना, जन सहयोग पेय जल योजना स्वीकृत की गई है? उक्त समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन पर जो भी बजट एवं राशि विभाग द्वारा व्यय की गई है अथवा संबंधित ठेकेदार फर्म को राशि भुगतान की गई है, उसकी सम्पूर्ण जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध करावें तथा प्रत्येक योजना की वर्तमान स्थिति तथा उसके जल स्त्रोत की स्थिति एवं लाभान्वित हितग्राहियों की कुल संख्या की जानकारी पृथक-पृथक जिलेवार, योजनावार उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा जिला रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर एवं जिला शिवपुरी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं घोटाले के संबंध में विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव को दिनांक 01 जनवरी 2024 से दिनांक 22 नवम्बर 2024 तक की अवधि में पृथक-पृथक

लिखित शिकायतें उनकी विभागीय ई. मेल आई.डी. पर की गई है? यदि हाँ, तो उक्त प्रत्येक शिकायत का अंतिम निराकरण सदन में उत्तर देने की दिनांक तक क्यों नहीं किया गया? इसके लिये कौन दोषी है? दोषी अधिकारी के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जाकर प्रश्नकर्ता विधायक को प्रत्येक लिखित पत्र पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा? निश्चित समय अवधि बताएं। **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्नकर्ता विधायक के द्वारा जिला रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर एवं जिला शिवपुरी में हुये भ्रष्टाचार की जांच हेतु भी विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव को लोकहित में विभिन्न पत्र दिनांक 22.11.2024 को अपनी ई. मेल आई.डी. kamleshwar.d@mpvidhansabha.nic.in से विभागीय ई.मेल आई.डी. psphed@mp.gov.in की ई-मेल आई.डी. पर लिखे गये हैं? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर प्रश्न दिनांक तक कोई अंतिम कार्यवाही क्यों नहीं की गई? इसके लिये कौन दोषी है? बतायें। **(घ)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिला रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर एवं जिला शिवपुरी में विभागीय नल जल योजनाएं, मुख्यमंत्री पेय जल योजनाएं, समूह नल जल योजना, जल जीवन मिशन योजना, जन सहयोग पेय जल योजना में हुये भ्रष्टाचार एवं घोटाले की जांच मुख्यालय भोपाल के विभागीय सचिव के माध्यम से कराये जाने के आदेश देंगे? यदि हाँ, तो कब तक? निश्चित समय अवधि बतावें। यदि नहीं तो क्यों नहीं?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री : [***(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख)*** *एवं* ***(ग)*** *जी हाँ।* ***जानकारी संकलित की जा रही है। (घ)*** *जानकारी प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।*] **(क)** एकल ग्राम नल जल प्रदाय योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 एवं 02 तथा** समूह जल प्रदाय योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है**। **(ख)** जी हाँ। माननीय विधायक के पत्र दिनांक 16.01.2024, पत्र दिनांक 23.10.2024 एवं पत्र दिनांक 02.12.2024 के संदर्भ में चाही गई जानकारियाँ कार्यपालन यंत्रियों/मध्यप्रदेश जल निगम के अधिकारियों द्वारा माननीय विधायक को पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं। माननीय विधायक के उक्त पत्रों की प्रतियाँ **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-04 अनुसार**, कार्यपालन यंत्रियों के उपरोक्तानुसार पत्रों की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 अनुसार** तथा मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-06 अनुसार है**। कार्यपालन यंत्रियों द्वारा माननीय विधायक को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है तथापि इसके अतिरिक्त भी माननीय विधायकगण के पत्रों पर त्वरित कार्यवाही के लिए मुख्यालय से समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को प्रमुख अभियंता ने निर्देश जारी किए हैं, जिसकी प्रतिलिपि **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-07 अनुसार है।** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** उत्तरांश (ख) अनुसार कार्यपालन यंत्रियों द्वारा माननीय विधायक को जानकारी उपलब्ध कराई गई है। माननीय विधायकगण के पत्रों पर त्वरित कार्यवाही के लिए मुख्यालय से समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को प्रमुख अभियंता ने निर्देश जारी किए हैं, जिसकी प्रतिलिपि **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-07 अनुसार है।** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जिलों में विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही नलजल योजनाओं के कार्य गुणवत्तापूर्वक कराए जा रहे हैं। जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) की बैठक आयोजित कराई जाकर उसमें माननीय विधायकों को विशेष रूप से आमंत्रित कर, विस्तारपूर्वक

योजनाओं की चर्चा कर समस्याओं का समाधान करने की कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त पत्र की प्रतिलिपि **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-07 अनुसार है**। जल जीवन मिशन के नलजल योजना कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

वेयर हाउस की क्षमता
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

31. परि.अता.प्र.सं. 133 (क्र. 1744) श्री पंकज उपाध्याय : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला मुरैना अंतर्गत कितने शासकीय, अर्द्धशासकीय, फॉर्म एजेंसी, संस्थान, निजी अथवा अन्य किसी और आशय के कितने वेयर हॉउस कितनी-कितनी क्षमता के किन-किन स्थानों पर किस वर्ष से स्वीकृत होकर शासन अथवा विभाग की जानकारी में होकर संचालित किये जा रहे हैं? **(ख)** उपरोक्त अनुसार विभिन्न प्रकार के वेयर हॉउस विशेषत: जिन-जिन वेयर हॉउस में खाद्यान्न सामग्रियों का संग्रहण किया जाता है। खाद्यान्न सामग्री संग्रहण खराब होकर खाद्यान्न मानवीय रूप से हानिकारक न हो इसके नियंत्रण हेतु किस-किस प्रकार के मापदंड अनुसार संग्रहण किया जाता है। प्रक्रिया से अवगत करायें। **(ग)** खाद्यान्न सामग्रियों को कितने समय तक संग्रहित रखा जा सकता है ताकि खाद्यान्न सामग्री खराब ना हो इस हेतु केंद्र अथवा राज्य के मानक अनुसार क्या-क्या सावधानियां रखे जाने का प्रावधान है? **(घ)** जिला मुरैना अंतर्गत वर्ष 2020-21 से लेकर प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त अनुसार उल्लेखित वेयर हॉउसों की कब-कब जांच की गई एवं किस दिनांक को एवं किस अधिकारी द्वारा की गई? जांच के दौरान किस-किस वेयर हाउस में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई? एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? शासन द्वारा विभिन्न संग्रहण हेतु किस-किस को कितना-कितना भुगतान किया गया?

खाद्य मंत्री : [***(क) से(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** जिला मुरैना अंतर्गत 08 शासकीय एवं 70 वेयरहाउस विभाग के पोर्टल पर दर्ज होकर संचालित किये जा रहे हैं। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। (ख)** मध्यप्रदेश वेयर हाउससिंग एंड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन के शासकीय गोदामो एवं उनके द्वारा अनुबंधित निजी वेयरहाउसों में संग्रहित स्कंध का वैज्ञानिक रख-रखाव हेतु प्रक्रिया निर्धारित है जिसमे समस्त संग्रहित स्कंध का पाक्षिक निरीक्षण किया जाता है एवं भंडारित स्कंध के कीटोपचार हेतु भी केन्द्रीय भंडारण निगम के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार प्रत्येक 15 दिवस मे मैलाथियान कीटनाशक औषधि का उपयोग कर छिड़काव किया जाता है। एवं प्रत्येक 3 माह में फ्यूमीगेशन किया जाकर संग्रहित स्कंध का कीटोपचार किया जाता है। **(ग)** खादयान्न सामग्री के भंडारण हेतु WDRA के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार स्कंध का प्रथमतः 6 माह से 1 वर्ष तक की अवधि के लिए संग्रहित किया जा सकता है एवं संग्रहित स्कंध के रख-रखाव हेतु प्रश्नांश (ख) में दिये गए उत्तर अनुसार कीटोपचार किया जाता है। **(घ)** जिला मुरैना अंतर्गत निगम की शाखा मुरैना अम्बाह, पोरसा, जौरा, कैलारस एवं सबलगढ़ के समस्त गोदामों में संग्रहित स्कंध का निगम मुख्यालय द्वारा जारी रोस्टर अनुसार वर्ष 2020-2021 से 2023-2024 तक एवं वर्तमान मे भी निर्धारित सामान्य निरीक्षण एवं त्रैमासिक भौतिक सत्यापन संपादित किये गये है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है।** मुरैना जिला अंतर्गत किसी शाखा पर उक्त

अवधि में संग्रहण सामग्री के खराब होने की स्थिती संज्ञान में नहीं आई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है।** वर्ष 2020-2021 से प्रश्न दिनांक तक गोदाम संचालको को किये गये गोदाम किराये के भुगतान की सूची संलग्न है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है।**